खण्ड-307, अंक-6
मंगलवार, 28 ज्येष्ठ, शक संवत् 1896
(18 जून, 1974 ई0)

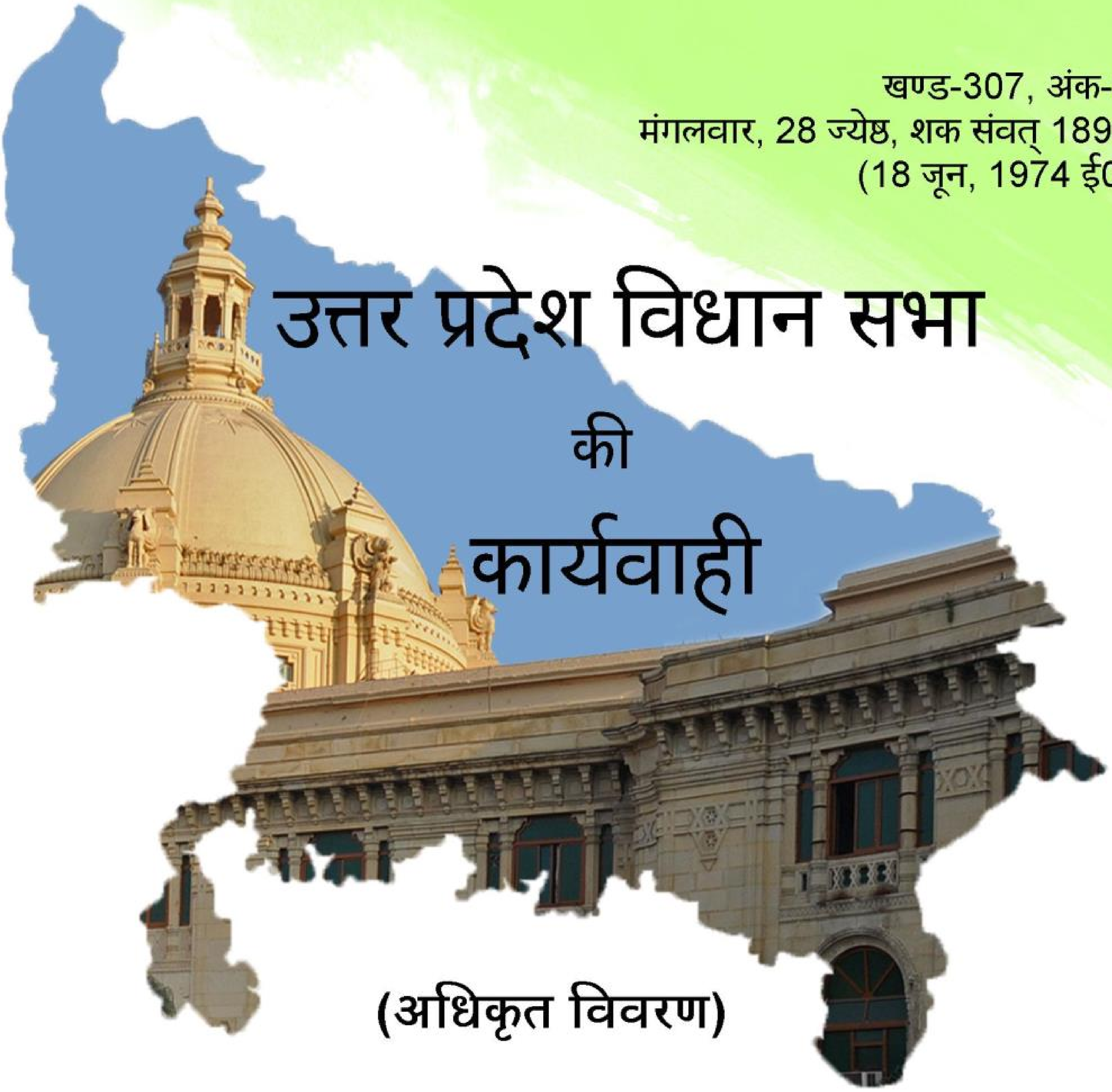

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 307 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 18 जून, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 376

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
उदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश, सिंह श्री (जिला मिर्जापुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
ान्ति कुमार, श्री
खचेड़ सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा साद, श्री
ंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री

गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री (अतरौलिया जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह, परमार श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डा0
जुगलकिशोर श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दीपनारायन वन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मित्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पुरन चन्द, श्री
पुरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री

प्रभू दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमदत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
वंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बाबाम सिंह, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोलावत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल वेहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा, कुमारी,
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री

राज बजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद बौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी,
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति विन्द, एडवोकेट (जिला वाराणसी)
रामरती देवी, श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शत रुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुल रहमान बर्क
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव पाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद सिंह, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री

श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टण्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नरायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खण्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—लघु उद्योग मन्त्री श्री इस्तफा हुसैन भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 18 जून, 1974

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सीतापुर में 'दि मेन्टीनेन्स आफ इंटरनल सिक्योरिटी ऐक्ट' के अधीन कुछ व्यक्तियों की निरुद्धि

**1—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 अप्रैल, 1974 को सीतापुर में 'दि मेंटीनेन्स आफ इंटरनल सिक्योरिटी ऐक्ट, 1971 (ऐक्ट सं0 26, 1971) के अधीन -किन-किन व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया और क्या यह सही है कि गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से श्री प्रकाश नारायण मेहरोत्रा पर उक्त कानून की धारा 4 को 9 अप्रैल, 1974 को भंग करने का आरोप लगाया गया है जबकि दिनांक 7 अप्रैल, 1974 से ही वह जेल में बन्द थे? यदि हां, तो ऐसे निराधार आरोप लगाकर शासन की प्रतिष्ठा को गिराने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

दिनांक 7-4-74 को सीतापुर में दि मेन्टेन्स आफ इन्टर्नल सिक्योरिटी ऐक्ट, 1971 की धारा 3 (1) (ए) (ii) तथा (iii) के अधीन सर्व श्री प्रकाश नाथ मेहरोत्रा, जगदीश नारायण शुक्ला तथा कृष्ण गोपाल त्रिवेदी के निरुद्ध किये गये थे। श्री प्रकाश नाथ मेहरोत्रा को उक्त ऐक्ट की धारा 8(1) के अधीन दिये गये कारणों की संख्या 4 में उल्लिखित तिथि 9-4-74 वास्तव में 6-4-74 थी। टंकन त्रुटि के कारण दिनांक 9-4-74 छप गया था। शासन ने निरोधादेश का अनुमोदन नहीं किया था। अतः श्री मेहरोत्रा दिनांक 18-4-74 को निरुद्ध से रिहा कर दिये गये थे, इस कारण टंकन त्रुटि का निराकरण नहीं हो सका। जिला अधिकारी को सचेत कर दिया गया है।

श्री प्रमोद कुमार बाजपेयी निवासी ग्राम मुद्रासन जिला सीतापुर की बस में हत्या

**2—श्री श्याम मिश्रा, (जिला कानपुर) (अनुपस्थित), श्रीमती कैलाश पती (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित), श्री शिवकुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित), श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 21 मई, 1974 को श्री प्रमोद कुमार बाजपेयी संचालक गन्ना सहकारी समिति हरगांव व सदस्य जिला कांग्रेस कमेटी सीतापुर की हत्या बस में दिन दहाड़े गोली मार कर कर दी गयी परन्तु अभी तक सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों ने अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की? यदि हां, तो अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21-5-74 को श्री प्रमोद कुमार बाजपेई निवासी ग्राम मुद्रासन, थाना हरगांव, जिला सीतापुर पर लगभग 5-30 बजे सायंकाल, जब वह एक बस में सफर कर रहे थे, कुछ व्यक्तियों ने गोली चलाई जिसके फलस्वरूप व गम्भीर रूप से घायल हो गये। अगले दिन उनकी मृत्यु हो गयी। दिनांक 21-5-74 को ही इस घटना के सम्बन्ध में थाना हरगांव पर अपराध संख्या 145 अन्तर्गत धारा 307, भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत हुआ। उसी दिन मृतक के भाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली में दिनांक 22-5-74 को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से धारा 147, 148, 307 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ। श्री प्रमोद कुमार बाजपेई की मृत्यु की सूचना मिलने पर यह अपराध 147, 148, 302 भारतीय दण्ड विधान में परिवर्तित किया गया।

इस मुकदमे की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है। इस घटना से सम्बन्धित एक अभियुक्त दिनांक 31-5-74 को जनपद हरदोई में अदालत के समक्ष हाजिर हो गया है और वह अब हरदोई जेल में है। अन्य अभियुक्तों का पता लगाने के लिये जांच जारी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में कुल कितने अभियुक्त हैं और उनको क्यों नहीं गिरफ्तार अभी तक किया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मृतक के जो बयान हैं डाइंग डिक्लेरेशन उसके मुताबिक एक आदमी का तो नाम लिया और बाकी डाइंग डिक्लेरेशन में उन्होंने जो नाम लिया उनको कहा कि किसी

की साजिश से यह हुआ। पर यह भी कहा साथ ही साथ कि वह वहां पर नहीं था। इसलिए अपराध अनुसन्धान विभाग को दिया गया है कि कौन-कौन से लोग हैं उनका पता करें।

श्री भीखा लाल—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि प्रदेश में कई घटनायें राजनैतिक कार्यकर्ताओं की इलाहाबाद, बाराबंकी, सीतापुर में हुई तो क्या वह महसूस करते हैं कि प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है? तो राजनैतिक कार्यकर्ताओं और जनता के अन्य लोगों की रक्षा के लिए कोई कदम उठा रहे हैं जिससे कि पुलिस ज्यादा सतर्क हो अपराध को रोकने के लिए?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, यह तो सीमित प्रश्न है एक आदमी की हत्या का। जो प्रश्न माननीय भीखालाल जी ने किया यह तो व्यापक बात है। गवर्नमेंट को बहुत खेद है कि हत्या हो रही है। लेकिन किसी भी साल में ऐसा नहीं हुआ कि हत्या हुई नहीं है चाहे वह राजनैतिक कार्यकर्ता हो या अन्य व्यक्ति हो। बदकिस्मती से दुश्मन सभी के कुछ न कुछ होते हैं। अभी 1967 के एलेक्शन में एक राजनैतिक कार्यकर्ता एक विधायक चुनाव जीतने के बाद श्रोथ लेने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उनकी हत्या हो गई। यह मैं जरूर मानता हूं कि हत्या हो रही हैं, जुर्म हो रहे हैं। अभी हाल में हमने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का ध्यान इन जुर्मों तथा रिकार्डों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया। ला ऐंड आर्डर को ध्यान में रखने के लिए तमाम लोगों को जगह-जगह पर पकड़ा भी गया है और उनके साथ सख्ती भी की जा रही है। अब कभी-कभी कुछ सख्ती ज्यादा भी होती है और कभी-कभी कुछ कम सख्ती भी हो जाती है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि एक व्यक्ति का मृतक ने नाम लिया और दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं लिया और यह नहीं बताया कि वह घटना स्थल पर था। उसकी साजिश बतायी। तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या साजिश का मुकदमा चलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह घटना स्थल पर मौजूद रहे? और वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम नहीं लिया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैंने जानबूझकर इसमें नाम नहीं लिखा है क्योंकि जब मामला अनुसन्धान शाखा को दे दिया है तो नाम बताना उचित प्रतीत नहीं होता। मृतक कांग्रेस का एक लीडर था और पार्टी में था। दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी का नहीं है। दूसरी पार्टी पर लांछन लगाना मेरा ध्येय नहीं है। कुछ खराब किस्म के लोग थे जिनका इस मर्डर से ताल्लुक था।

श्री राम सेवक यादव—

जब डाइंग डिक्लेरेशन में नाम आ गया तो उसे न छापने से क्या प्रयोजन हो सकता है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

डाइंग डिक्लेरेशन और बाकी सभी चीजें भी प्रोपर्टी हो सकती है। जैसा मैंने अभी कहा जब मामला अनुसंधान शाखा को सौंप दिया गया है तो नाम लेने से कोई खास लाभ नहीं होगा यह कोई साधारण आदमी है, गंगा मिश्र नाम का आदमी है।

श्री उदल (जिला वाराणसी)—

डाइंग डिक्लेरेशन के जो थाने में रिपोर्ट दर्ज की, उसमें इन दो व्यक्तियों के अलावा और भी नाम दर्ज हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मृत के भाई ने दूसरे दिन जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां रिपोर्ट दी, उसमें कई नाम हैं और उन सब के सिलसिले में कार्यवाही हो रही है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तारी

**3—चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के 17 छात्रों को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर इतने दिनों तक जेलों में रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक सभा में छात्रों पर भारतीय रक्षा कानून को लगाना एक अनैतिक प्रहार बताया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

लखनऊ विश्वविद्यालय के सभी 17 छात्र, जिनमें से केवल 2 छात्रों को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था, रिहा कर दिये गये हैं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता है ।

चौधरी चरण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे भाग का प्रश्न उठता है । मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि भारत रक्षा कानून में उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, विशेष कर जब कि माननीय मुख्य मंत्री किसी मौके पर यह फरमा चुके थे कि यह कानून उनके खिलाफ नहीं लगना चाहिये था। यह तो असाधारण स्थिति में ही लागू किया जाना चाहिये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

17 विद्यार्थियों में से केवल 2 विद्यार्थियों को ही भारत रक्षा कानून के अन्दर गिरफ्तार किया गया। शेष 15 विद्यार्थियों को भारतीय दंड विधान की धाराओं अर्थात् साधारण कानून के अन्तगत ही पकड़े गये । कोई दफा 144 को तोड़ने में गिरफ्तार किया गया और कोई मारपीट करने के लिये पकड़ा गया । उनके ऊपर अलग-अलग धारायें थीं । जैसा मैंने निवेदन किया भारत सुरक्षा कानून में केवल 2 विद्यार्थियों को ही पकड़ा गया । चौधरी साहब का कहना उचित है और मेरी भी यही राय है कि जहां तक संभव हो डी० आई० आर० के कानून का उपयोग विद्यार्थियों पर या मजदूरों के आन्दोलन के सिलसिले में कम करना चाहिये लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह लागू हो ही नहीं सकता है । कोई स्थिति आ सकती है । मैंने उसी भाषण में यह भी कहा था कि भारत रक्षा कानून चोर-बाजारी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिये, मूल्यों को ठीक करने में प्रयोग में लाया जा सकता है । दूसरे जो हमारी बुनियादी नीतियां हैं, जैसे हरिजनों के प्रति अत्याचार करने वालों के खिलाफ होना चाहिये और मैं एक सूची पेश कर सकता हूं जिससे स्पष्ट हो जायगा कि किन-किन लोगों के विरुद्ध भारत सुरक्षा कानून का प्रयोग किया गया है ।

चौधरी चरण सिंह—

अगर मैं कुछ कहूं तो बहस हो जायगी लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी बात कह दी । मेरी राय में भारत रक्षा कानून उस समय लागू होना चाहिये जब कि देश पर हमला हो या हमले की आशंका हो या देश के अन्दर स्थिति खराब हो तब इसके मुताबिक कार्यवाही होनी चाहिये । चोर बाजारी करने वाले से निपटने के लिये मामूली कानून हैं, उसके अन्दर कार्यवाही करनी चाहिये और अगर उस कानून में कोई त्रुटि है, तो उसमें तरमीम करनी चाहिये । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे 2 विद्यार्थी कौन थे, जिनके विरुद्ध आपने भारत रक्षा कानून का इस्तेमाल किया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जो लड़के भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत पकड़े गये, उनमें से एक का नाम नगेन्द्र प्रताप सिंह, यूनियन कांग्रेस अध्यक्ष और उनका एक और साथी है जिसका नाम इस समय मेरे पास नहीं है ।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने पूछा क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

डी0 आई0 आर0 सारे देश में लागू है । यह बहुत बुनियादी सवाल है और इसे भारतीय स्तर पर माननीय चौधरी साहब ही तय करा सकते हैं । वे ही एक अखिल भारतीय स्तर के नेता हैं । हमारे देश के संसद ने और प्रदेशों ने इस कानून को जायज करार दे रखा है । कहा गया कि तुम्हें इन लड़कों से क्या खतरा मालूम हुआ । मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर दूं कि अगर हम यह न करते तो यूनिवर्सिटी में शांति और व्यवस्था स्थापित करना किसी और दूसरे कानून से इतना आसान न था । इस मसले को ज्यादा से ज्यादा आसानी से हल करने की शासन ने कोशिश की ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

जिन दो विद्यार्थियों को भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया क्या उन पर नोटिस सर्व की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो ब्योरे का प्रश्न हो गया, तफसील का प्रश्न हो गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उन्होंने कहा कि भारत सरकार से सम्बन्धित है मेरा विचार है कि आपसे भी सम्बन्धित है जहां तक उसका एप्लीकेशन का सम्बन्ध है । जब डिटेन किया जाता है तो नोटिस सर्व किया जाता है तो कौन सा नोटिस सर्व किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इसके लिए सूचना की जरूरत होगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जो व्यक्ति डिटेन किया गया, क्योंकि डिटेन किया गया निश्चित रूप से, तो नोटिस रहा होगा । मैं प्रार्थना करूंगा कि मुख्य मन्त्री जी के पास है पढ़कर सुना दीजिए । यह आरोप निराधार है, जस्टिफाइड नहीं करते डी0आई0 आर0 को ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

माधव बाबू को कुछ नाराजगी है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे पास कागज उपलब्ध नहीं है । जो लड़के छूट जाते हैं तो थोड़े दिन डिटेन रहने के बाद उनको समझ आ गयी है । न वह नासमझ हैं, न हम कोई गलत कार्य नासमझी का करेंगे ।

श्री रामसेवक यादव--

यह किस-किस तारीख को छोड़े गए ? दो बैजेज में छोड़े गए हैं, अलग-अलग तारीखों को ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अलग-अलग तारीखें थीं ।

श्री राम सेवक यादव---

15 वाली तारीख और दो वाली तारीख कौन-कौन सी है, यह बता दीजिए ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

बेरी सारी। मेरे पास अलग-अलग नहीं है। लेकिन दो हिस्सों में बाहर निकले हैं। तारीखें याद नहीं हैं। पिछले 10--15 दिन के अन्दर हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि वह सिद्धान्ततः माननीय नेता विरोधी दल के कन्टेंशन को मानते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात का स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि मजदूर आन्दोलनों के विरुद्ध डी०आई०आर० का इस्तेमाल नहीं होगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अगर इस्तेमाल करेंगे तो पहले समाज के शत्रुओं के विरुद्ध करेंगे। चोर-बाजारी करने वालों और जमाखोरों के विरुद्ध करेंगे जोकि रोज कर रहे हैं और यह भी कहा कि जब बिल्कुल कोई रास्ता नहीं रह जायगा तब विद्यार्थी और मजदूर आन्दोलन के विरुद्ध करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)---

एक लालचन्द पांडेय थे जो ज्ञानपुर डिग्री कालेज के छात्र थे। उनकी जमानत 10 दिन पहले हो गई थी और 7 जून को वह छोड़े गये, तो मन्त्री जी बतायेंगे कि जब जमानत दाखिल हो गयी तो लालचन्द पांडेय को 10 दिन के बाद क्यों रिहा किया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

इन 17 छात्रों में से लालचन्द पांडेय नाम का कोई नहीं है।

तारांकित प्रश्न

नानपारा गन्ना सहकारी प्रक्रियात्मक समिति लि० (बहराइच) को छोटी शकर मिल के निर्माण हेतु धन का आवंटन

*1---श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नानपारा गन्ना सहकारी प्रक्रियात्मक समिति लि०, नानपारा जनपद बहराइच को छोटी शकर मिल के निर्माण हेतु अब तक धन का आवंटन न करने का क्या कारण है जबकि शासन द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 1967 को 60 हजार रुपए का हिस्सा खरीदा जा चुका है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

शासन द्वारा 60,000 रु० की अंश-पूंजी विनियोजन प्रश्नगत समिति के लिए वित्तीय वर्ष 1966-67 में स्वीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रबन्धकीय अनुदान को छोड़ कर शासन द्वारा कोई अन्य सहायता देय न थी। धनाभाव के कारण समिति मिल नहीं लगा पाई है। वित्तीय वर्ष 1973-74 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से इस समिति को 4,50,000 रु० का ऋण दिलाने का प्रयत्न किया गया किन्तु सफलता नहीं मिली।

कानपुर जिले के विकास खण्डों में पौष्टिक आहार कार्यक्रम

*2—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले में पौष्टिक आहार कार्यक्रम किन-किन ब्लाकों में चल रहा है? क्या इस पौष्टिक आहार कार्यक्रम को जिले के सबसे पिछड़े इलाके के विकास खण्ड डेरापुर, झींझक, सन्दलपुर, रसूलाबाद में भी प्रारम्भ किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

कानपुर जिले में पौष्टिक आहार कार्यक्रम घाटमपुर विकास खण्ड में चल रहा है। विकास खण्ड डेरापुर, झींझक, सन्दलपुर तथा रसूलाबाद को निकट भविष्य में पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत लिया जाना सम्भव नहीं है।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

वह कौन से कारण हैं जिनके कारण सम्भव नहीं है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कानपुर जिला पिछड़ा हुआ, जिला नहीं है। ऐसे जिलों में जो पिछड़े हुए हैं जहां के बच्चों और धात्री माताओं में पौष्टिक आहार की कमी है उन विकास खंडों को लिया जाता है। इसलिए निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं है कि कानपुर के जिन विकास खंडों का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वे लिये जा सकें।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिला पिछड़े हुए जिलों में न हो लेकिन कोई ऐसा ब्लाक उत्तर प्रदेश में नहीं है जिसमें पिछड़े हुए हरिजन लोग नहीं रहते हों जिनके बच्चों को पौष्टिक आहार देना जरूरी न हो, तो क्या यह योजना सब जगह चलाया जाना मुनासिब है या नहीं और सब जगह चलायेंगे या नहीं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जैसा कि निवेदन किया, कानपुर के विकास खंडों में फिलहाल इस योजना का प्रारम्भ करना संभव नहीं है। भविष्य में अगर हमें सहायता उपलब्ध हुई तब इस प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे पिछड़े जिले हैं जिनको यह सौभाग्य प्राप्त है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

प्रदेश के प्रत्येक जिले में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वह इस योजना के अन्तर्गत है। कानपुर में भी घाटमपुर इस समय इस योजना के अन्तर्गत है और वहां पौष्टिक आहार योजना चल रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने जिला पूछा था?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पिछड़े हुए जिलों की एक सूची है और माननीय सदस्य को भली प्रकार मालूम है कि कौन जिले पिछड़े हुए हैं ।

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)—

क्या आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया पिछड़े जिलों में आते हैं या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह प्रश्न तो सिर्फ कानपुर से संबंधित है ।

*3—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[3रे गुरुवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर नगर महापालिका द्वारा जलपूर्ति हेतु लगाये गये ट्यूबवेल

*4—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर महापालिका के अन्तर्गत विगत वर्षों में जल पूर्ति के लिए सरकारी ट्यूब वेल बनाये गये थे ? यदि हां तो कहां-कहां और उन पर अलग-अलग क्या लागत आई और उनसे कितने गैलन पानी नगर की जल पूर्ति के लिये मिल रहा है । क्या यह सही है कि इन ट्यूबवेलों में लाखों रुपये का गोलमाल किया गया है और ये सभी नलकूप हमेशा से बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो इसके लिये दो ी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 697 पर)

प्रदेश में यूरिया खाद की आपूर्ति

*5—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1973–74 में प्रदेश में कुल कितने टन यूरिया खाद की प्रदेश को अपेक्षित आश्यकता थी और कितनी यूरिया खाद वितरित की गई ? इस वर्ष की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा:—

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1973–74, खरीफ तथा रबी के लिए 4,90,000 मी0टन नत्रजन की अपेक्षित आवश्यता थी जो कि यूरिया के रूप में 10,85,217 मी0टन के बराबर है ।

वर्ष 1973–74 में 3,28,593 मी0 टन नत्रजन प्रदेश में वितरित किया गया जो यूरिया के रूप में 7,17,311 मी0 टन हुआ ।

खरीफ 1974–75 में प्रदेश के लिए 1,39,000 मी0 टन नत्रजन उर्वरक वितरण के लिए आवंटित किया गया है जिसकी अधिक से अधिक पूर्ति के लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि 1974–75 में खरीफ तथा रबी के लिये कितनी नाइट्रोजन खाद की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्न तो सिर्फ खरीफ का है, रबी के मेरे पास आकड़े नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का जवाब तो है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जवाब में तो 1974–75 में कितना आवंटित है यह दिया हुआ है लेकिन मैं तो आवश्कता पूछ रहा हूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैंने कहा कि खरीफ के लिये हमारी आशा 1 लाख 39 हजार टन बांटने की है । रबी का अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी ही खाद प्राप्त हुई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं । आवश्यकता के हिसाब से तो कुछ अधिक होनी चाहिये लेकिन उतनी मिल नहीं पा रही है क्योंकि हम खुद बिजली नहीं दे पा रहे हैं ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

चौथे नम्बर के प्रश्न पर हम सप्लीमेंट्री नहीं कर पाये आप हमको मौका दें ।

श्री अध्यक्ष—

सतत् जागरूकता यह स्वतन्त्रता का मुख्य लक्षण है । आपको जागरूक रहना चाहिये ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष—

अब तो समय नहीं है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस समय गेहूं खरीद में जो खाद दी जा रही है। क्या वह खरीफ कोटे की खाद दी जा रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह नाइट्रोजन खाद तो गेहूं के सिलसिले में जारी हुई है पर जो बेसिल नर्सरी वगैरह उगाने के लिये जरूरी है और पोटाश और दूसरे किस्म की खादें हैं वह तो आसानी से और साधारणतया मिल रही हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

गेहूं के बदले जो खाद दी जा रही है वह उसी खाद में से दी जा रही है जो मिलती है अथवा उसके लिये अलग से कोटा मिलता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—
उसी में से दी जा रही है ।

श्री रामसेवक यादव—
यह पुराने दामों पर दी जा रही है या नये ?

श्री अध्यक्ष—
इस पर तो शाम को वक्तव्य होगा ।

दक्षिणी क्षेत्रीय सहकारी समिति अतरौली, जिला अलीगढ़ के सुपरवाइजर गंगा सहाय शर्मा का गबन के संबंध में निलम्बन

*6—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि दक्षिणी क्षेत्रीय सहकारी समिति अतरौली, जिला अलीगढ़ के वर्तमान सुपरवाइजर श्री गंगा सहाय शर्मा गबन के आरोप में बन्दी बनाये गये जो बाद में जमानत पर छूटे तथा डिप्टी रजिस्ट्रार आगरा ने उपरोक्त समिति के संचालक मंडल को सम्बोधित दिनांक 6 अप्रैल, 1974 के पत्र द्वारा उपरोक्त सुपरवाइजर को निलम्बित करने का आदेश निर्गत किया है ? यदि हां, तो उन्हें निलम्बित न किये जाने के क्या कारण हैं तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां, यह सत्य है कि दक्षिणी क्षेत्रीय सहकारी समिति अतरौली, जिला अलीगढ़ के वर्तमान सुपरवाइजर श्री गंगा सहाय शर्मा सिकन्दराराऊ क्षेत्रीय सहकारी समिति के गबन के सम्बन्ध में बन्दी बनाये गये और अब जमानत पर हैं। गबन के सम्बन्ध में जांच विशेष अनुसंधान शाखा के हाथ में है। दिनांक 6–4–74 को उप निबन्धक आगरा, ने श्री गंगा सहाय शर्मा को निलम्बित करने हेतु कोई आदेश निर्गत नहीं किए हैं। किन्तु उप निबन्धक आगरा ने दिनांक 13–6–74 को श्री शर्मा के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को सन्तोषजनक न पाये जाने के कारण उक्त समिति के सभापति तथा संचालक मण्डल को श्री शर्मा को निलम्बित करने हेतु आदेश प्रसारित किये हैं।

श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि इस सुपरवाइजर पर कितने रुपये का गबन था और इसको कब बन्दी बनाया गया ? यह जेलखाने में कितने दिन रहा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इनके ऊपर 2,948 रुपये के विभिन्न प्रकार के धन के गबन का आरोप है।

श्री कल्याण सिंह—

डिप्टी रजिस्ट्रार आगरा, ने 13–6–74 को इनके निलंबन का आदेश दिया और 14–5–74 को मैंने प्रश्न किया। इससे प्रतीत होता है कि अधिकारियों की आंख तब खुली जब मैंने प्रश्न किया। इसके पहले भी कई बार कई लोगों ने ए0डी0ओ0 ने, बी0डी0ओ0 ने पत्र लिखे मगर उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं जानना चाहता हूं कि नीचे के जिन अधिकारियों ने इस संबंध में ढिलाई बरती है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह सच है कि विधान सभा में प्रश्नों से प्रशासन चुस्त रहता है और उससे उसको बड़ी सहायता मिलती है यहां बैठे-बैठे आफिसरों को बहुत सी बातों का पता नहीं चल पाता।

इसके लिये तो हम सदन के बहुत आभारी हैं। जहां तक कार्यवाही करने का प्रश्न है, कुछ अधिकारियों ने कार्यवाही की है। सुपरवाइजर आदि संचालक मंडल के अधीन रहते हैं। वे सरकारी अफसर तो हैं नहीं। ए0आर0ओ0 निलम्बित नहीं कर सकते। हम तो केवल सलाह दे सकते हैं। वे स्वायत्त शासी संस्थायें हैं। उनके कार्य करने के अपने नियम बने हुये हैं। मैं मानता हूं, गड़बड़ी करने की बात। संचालक मंडल ने लापरवाही बरती और ऐसा घृणित काम किया है, जो दंडनीय भी कहा जा सकता है।

श्री कल्याण सिंह—

एक प्रश्न केवल और पूछता हूं, मान्यवर मैं यह मानता हूं कि संचालक मंडल की लापरवाही बहुत ज्यादा रही है। तो यह कहना चाहता हूं कि स्वायत्त शासी संस्था है इसलिये क्या कार्यवाही न हो सकी। आप नियमों में यह दे रहे हैं कि संचालक मंडल विभागीय नियमों का अनुपालन न करे तो संचालक मंडल निलंबित कर सकते हैं। तो क्या आप विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, कार्यवाही की जा रही है।

श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि निलम्बन के आदेश अगर हो गये हैं तो उसके खिलाफ पहले से मुकदमा चलाने की बात होगी या नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अब एफ0आई0आर0 लिखवानी चाहिये संचालक मंडल को, हमारे पास शिकायत आयी है। गवर्नमेंट खुद भी टेक ओवर कर सकती है और मैं खुद देख रहा हूं कि क्या हो रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, पिछली बार इस सदन को बताया गया कि ट्रांस्फर करना हमारे अधिकार में नहीं है। लेकिन सरकार स्वयं विचार करे तो देखेगी कि यह सब गड़बड़ी सुपरवाइजर्स की ही है। वह एक जगह 12–13 वर्ष रह गये हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट बन रहे हैं तो इसको दृष्टि में रखते हुये सरकार से कहता हूं कि इनका ट्रांस्फर किया जाये। सरकार ऐसा अधिकार ले कि इनका स्थानान्तरण कर दिया जाय तो क्या सरकार स्वयं विचार कर सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न दूसरा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चूंकि सवाल माधव बाबू का है इसलिये मैं जवाब दूंगा।

मान्यवर सुपरवाइजर कोई सरकारी नौकर है नहीं। ट्रान्सफर करने के लिये हम सरकारी नौकर उसे बनायें। जो हमारा सैलरी स्ट्रक्चर है, बेजेज है, उनका कितना फैलाव हो रहा है। ऐसा करने से बोझ और होगा। फिर सुपरवाइजर कहेगा कि हम थोड़ी तनख्वाह पाने वाले हैं हमको बस्ती या गोरखपुर मत भेजो।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय मुख्य मंत्री जी, इस बात को देखते हुये कि प्रदेश में सुपरवाइजर्स द्वारा गबन की लाखों घटनायें की जा रही हैं, तो क्या सरकार कोई ऐसा नियम में परिवर्तन कर रही है कि जिससे उन पर इफेक्टिव कंट्रोल किया जा सके। क्या सरकार नियम म संशोधन कर रही है कि जिससे उन पर अच्छी तरह से कन्ट्रोल हो सके और जब चाह ट्रांस्फर किया जा सके ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो विचाराधीन है। अब हम आगे चलते हैं।

उप निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) की बेस वर्कशाप के लिये खरीदे गये थ्रेशरों और ट्रेलरों के सम्बन्ध में रिपोर्ट

*7—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि वर्ष 1969–70 में उप निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) की बेस वर्कशाप के सहायक कृषि अभियन्ता द्वारा खरीदे गये थ्रेशरों और ट्रेलरों की उपयोगिता एवं दशा के सम्बन्ध में क्षेत्र प्रबन्धक, मन्झरा, उपनिदेशक पशुलोक तथा क्षेत्र प्रबन्धक सैदपुर ने कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ट्रेलरों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई परन्तु थ्रेशरों के बारे में क्षेत्र प्रबन्धक मंझरा फार्म तथा उप निदेशक, पशुलोक फार्म, देहरादून से उनके असन्तोषजनक होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। क्षेत्र प्रबन्धक, सैदपुर से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि थ्रेशर ठीक कार्य कर रहे हैं।

श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि सैदपुर फार्म के थ्रेशरों के बारे में 18–9–70 को कोई रिपोर्ट आयी थी और यदि आयी थी तो क्या थी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, सैदपुर से जो रिपोर्ट आयी, तो कोई खास रिपोर्ट मेरे सामने नहीं आयी। थ्रेशर ठीक है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या मान्यवर मंत्री जी का ध्यान श्री ब्रजभान सिंह चौहान, फार्म मैनेजर, सैदपुर की रिपोर्ट की ओर गया है जिसमें उन्होंने निम्नलिखित तीन बातें लिखी हैं :—

1. The new threshers can be termed to be the complete wastage of government money. It would have been much better to refund the money rather than to spend in this way. I need not comment any more on it.

2—उप निदेशक पशुलोक फार्म, जिला देहरादून ने अपने प0 सं0 4477/थ्रेशर/1970–71 दिनांक 6–6–1970 द्वारा थ्रेशरों की खराबी को सूचित किया जिसका उद्धरण निम्न प्रकार है :—

मैंने दोनों मशीनों को चलवा कर देखा। ये मशीनें मजबूत किस्म की न होकर काफी कमजोर बनी हुई हैं। और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बोल्ट आदि टूटने लगते हैं। कार्यक्षमता भी एक बोरी प्रति घन्टा से अधिक नहीं है जिसमें भूसा भी मिला रहता है, हमारे किसी मतलब के नहीं है.....

3—एक रिपोर्ट फार्म मैनेजर, मंझरा, जिला लखीमपुर खीरी की है कि ये थ्रेशर ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं.....अतः अभी तक इनसे काम नहीं लिया जा सका।

श्री अध्यक्ष—

आप ये दूसरे प्रश्न कर रहे हैं। इतने प्रश्न जो आप कर रहे हैं वह ठीक नहीं है

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मान्यवर, यदि सरकार का ध्यान इन थ्रेशरों की ओर गया है तो सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

क्या प्रश्न संतोषजनक है ? यदि प्रश्न संतोषजनक है तो मुख्य मंत्री जी उत्तर दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, फार्म मैनेजर, मंझरा से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेसर्स स्वदेशी कृषि यंत्र उद्योग, सीतापुर से जो थ्रेशर खरीदे गये थे वे ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तथा उन्होंने मैकेनिक भेजकर मशीनों को ठीक कराने के लिये प्रार्थना की थी। इस सिलसिले में 2 मैकेनिकों को भेजकर मशीनों को ठीक करा दिया गया।

पशु लोक फार्म—उप निदेशक ने 6 जून, 1970 को एक पत्र लिखा कि ये मशीनें मजबूत किस्म की नहीं हैं तथा इनकी गल्ला निकालने की क्षमता एक बोरी प्रति घन्टा से अधिक प्रतीत नहीं होती है। इस सिलसिले में भी फर्म को लिखा गया और उसने अपना मैकेनिक भेजा और थ्रेशर ठीक करा दिया गया। उसके बाद उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई शिकायत नहीं आई।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह थ्रेशर जब खरीदे गये थे तो उनका कोई टेक्निकल परीक्षण करवाया गया था कि नहीं। यदि करवाया गया और उसके बाद भी थ्रेशर खराब निकले तो उन अधिकारियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अध्यक्ष—

आप काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं कि यदि परीक्षण करवाया गया तो काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, जब थ्रेशर खरीदे गये तो उनका टेक्निकल परीक्षण करवाते हैं और परीक्षण के बाद थ्रेशर खराब निकले तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्या की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, इन शिकायतों को हमने सतर्कता अधिष्ठान को जांच के लिये दे दिया है कि ये शिकायतें ठीक हैं कि नहीं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

फार्म मैनेजर, मंझरा की रिपोर्ट पढ़ने की कृपा करें जिसमें थ्रेशर के संबंध में शिकायत गई है कि सहायक कृषि अभियंता द्वारा खराब तथा पुराने थ्रेशरों को क्रय किया गया और भुगतान नये थ्रेशरों का किया गया। तो इस अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है कि जांच की जा रही है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मान्यवर मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि 64,450 रु0 के जो थ्रेशर लिये गये वे किस फर्म द्वारा लिये गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

नम्बर (1) सेक्शन एग्रिको, बरेली ।

(2) स्वदेशी कृषि यांत्रिक उद्योग, सीतापुर ।

*8--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[4थे मंगलवार के लिये स्थगित]

सीतापुर के सीड स्टोरों के सुपरवाइजर और कामदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

*9--श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में कौन-कौन से सीड स्टोर और संघ हैं तथा उनमें कार्य कर रहे सुपरवाइजर और कामदारों में से किन-किन के खिलाफ जमानत रोकने, बिना विभागीय अनुमति के रुपया एडवान्वस लेने, फर्टिलाइजर ब्लैक-मार्केट करने तथा अन्य भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ? इस प्रकार के उपर्युक्त कर्मचारियों के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही हुई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सीतापुर जनपद में 51 सहकारी संघ तथा 36 सीट स्टोर हैं जिनकी सूची संलग्नक (1) में दी हुई है। इन पर नियुक्त पर्यवेक्षकों तथा कामदारों में से 9 पर्यवेक्षकों तथा 2 कामदारों के विरुद्ध जमानत रोकने, अनधिकृत धन लेने तथा अन्य भ्रष्टाचार के मामले जानकारी में आये। जिन में से 7 सहकारी पर्यवेक्षकों एवं दोनों कामदारों को निलम्बित किया जा चुका है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है इसके अतिरिक्त एक पर्यवेक्षक के बारे में जो भागा हुआ था, थाना मिश्रिख में पुलिस रिपोर्ट 2 जुलाई, 1973 को लिखा दी गयी है और एक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 698-699 पर।)

सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन के उर्वरक बिक्री केन्द्र तथा फर्टिलाइजर एकाउन्ट में असमायोजित धनराशि

*10--श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन के फर्टिलाइजर सेल प्वाइन्ट्स कौन-कौन से हैं और उनमें हर सेल प्वाइन्ट पर यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन का कितना रुपया फर्टिलाइजर एकाउन्ट का 30 अप्रैल, 1974 तक अन-एडजस्टेड पड़ा है और उसको वसूलने के लिये पिछले साल भर में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सीतापुर जनपद में उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन के उर्वरक बिक्री केन्द्रों की सूची संलग्नक (2) में दी हुई है जिसमें फर्टिलाइजर एकाउन्ट की 30 अप्रैल, 1974 तक की असमायोजित धनराशि केन्द्रवार दिखायी गई है। वसूलयाबी की कार्यवाही जारी है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 700-701 पर।)

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो एडवान्स सुपरवाइजरों ने लिये उनकी जानकारी कब हुई और अब तक उस संबंध में उनकी रिकवरी के लिये या उनको दण्डित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मेरे सामने हर एक की तिथि तो है नहीं कि कब एडवान्स लिये गये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं मान्यवर, यह जानना चाहता था कि इन्होंने जो जुर्म कमिट किया वह कब कमिट किया और पहले पहले इस विभाग की नोटिस में यह बात कब आई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, सच्ची बात यह है कि 9 लोगों की शिकायतें समय-समय पर आई हैं। एक तारीख नहीं है। जब विभाग ने इन लोगों की शिकायतों के बारे में देखा तो मालूम हुआ कि एडवान्स ले लिया है, जमानतें लोगों से ले ली लेकिन जमा नहीं की, इस तरह-तरह की अलग-अलग बातें हैं। अलग-अलग तिथियों का ब्योरेवार देना सम्भव नहीं है।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक जानकारी चाहूंगा कि क्या उन्हें यह बात मालूम है कि सरकारी आफीसर जब मुआयना करने के लिये गये थे तो उन्हें रिश्वत देने के लिये उसी दिन में एडवान्स दर्ज है—चाहें असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार हों या और कोई। तो क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में एक इंक्वायरी वरिष्ठ अधिकारी से करायेंगे और यदि सत्य पाया जाय तो क्या कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह जो सूचना, माननीय सदस्य ने दी है हम इसको जरूर ध्यान में रखेंगे और अब यह जरूरी हो गया है कि सहकारिता विभाग नहीं बल्कि किसी और विभाग से, वह विभाग सतर्कता अधिष्ठान हो सकता है, इसकी सारी जांच कराई जाय क्योंकि अगर कोई बात सच है या आशंका है तो उस आशंका को दूर करना होगा। बहरहाल यह जो बातें इन पर्यवेक्षकों के सम्बन्ध में सामने आई है, उससे उनका कन्डक्ट बेहद असन्तोषजनक है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इनको निलम्बित कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इनको निलम्बित किया गया, इस प्रश्न के भेजे जाने के पहले या बाद में ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अलग-अलग तारीखों में किये गये। एक-आध पहले, एक-आध बाद में।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे प्रश्न 10 के सन्दर्भ में कि जो ढ़ाई लाख के करीब का एमाउन्ट है उसमें से कितना रिकवर हुआ ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

गया प्रसाद जी सब काम जानते हैं। अगर वे हमारी मदद करें तो सारा रुपया वसूल हो जाय।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

आप सुनते कहां हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इतनी बात तो हो गयी कि अगर हम सुनेंगे तो आप हमारी मदद करेंगे।

अलीगढ़ नगरपालिका में वाटरवर्क्स की व्यवस्था

*11—श्री इन्द्र पाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार अलीगढ़ नगरपालिका में वाटर वर्क्स की व्यवस्था निजी ठेकेदार से वापस लेकर स्वयं अथवा नगरपालिका द्वारा संचालित कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो व्यवस्था कब से लागू होगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां । प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री इन्द्रपाल सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 55 जिलों में अलीगढ़ की नगरपालिका ऐसी अभागी है जहां कि आज भी पानी की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जा रही है । ठेकेदार जनता को परेशान करता है । कर्मचारी उसका साथ नहीं देते और इसलिए नहीं देते ताकि सरकार जल्दी टेकओवर कर ले और वह सरकारी कर्मचारी हो जाय । अभी की बात है कि वहां 24 घंटे तक पानी जनता को नहीं मिला । जो मेरे प्रश्न का अन्तिम हिस्सा है कि टेक ओवर की व्यवस्था सरकार कब तक लागू कर देगी इसका उत्तर देने की कृपा करें ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पहले तो मैं माननीय सदस्य के सन्तोष के लिये यह कह दूं कि अलीगढ़ का ही नहीं मुरादाबाद का भी यही दुर्भाग्य है । वहां भी इसी ठेकेदार के हाथ में है । जहां तक इसको लेने का प्रश्न है इस पर विचार कर रहे हैं । मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके एम0एल0ए0 के कार्य-काल के बाद यह शिकायत अलीगढ़ को न रह जायेगी ।

श्री इन्द्र पाल सिंह—

मुख्य मंत्री जी ने मेरे कार्यकाल की बात कही । पता नहीं कि यह 75 तक चले, 76 तक चले या पांच साल तक चले । इसलिये मैंने प्रश्न किया था कि क्या आप अपने कार्यकाल में इस ठेकेदार से अलीगढ़ का पिंड छुड़वा देंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय सदस्य अपने कार्यकाल की बाबत बहुत संदिग्ध प्रतीत होते हैं । लेकिन मेरा 79 तक का मामला पक्का है । 1979 के पहले यह मामला ठीक हो जायगा ।

श्री कल्याण सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 1979 तक इसको ठीक कर पायेंगे । जब आप समझते हैं कि वहां की जनता को कठिनाई है और पानी नहीं मिल रहा है तो इतने से प्रश्न के लिये पांच साल या चार साल की अवधि लेने का क्या औचित्य है । यह क्या साल भर के अन्दर नहीं हो सकता ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह ठेकेदार बहुत पुराना है । अंगरेज बहादुर इनको यह दे गये थे । (एक माननीय सदस्य के टोकने पर) आपने धनुष यज्ञ कराने की प्रतीज्ञा की है तो मैं धनुष तोड़ूंगा ।

श्री राम सेवक यादव—

क्या यह इसको अपनी जिन्दगी का आधार मानते हैं इसलिये सन् 1979 तक करेंगे । अगर पहले कर दिया तो कहीं खत्म न हो जायं क्या ऐसा समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न समाप्त हो गये।

श्री कल्याण सिंह—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं० 1 को ले लें।

श्री अध्यक्ष—

त्रिवेणी सहाय उपस्थित नहीं हैं।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, मेरा अल्पसूचित में कर लें . . . ।

श्री अध्यक्ष—

वह लिखित होना चाहिये था, वह है नहीं। अब हम आगे चलते हैं।

*12—श्री प्रेमदत्त तिवारी तथा श्री प्रताप नरायण द्विवेदी—

(4थे मंगलवार के लिये स्थगित)

अतारांकित प्रश्न

वाराणसी उपभोक्ता सहकारी लि०, सी० के० वाराणसी में अनियमिततायें संबंधी आरोप

1—श्री ओम प्रकाश सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी उपभोक्ता सहकारी लि0, सी0 के0 65/52, बड़ी पियरी वाराणसी में व्याप्त अनिमितताओं एवं गलत चुनाव के संबन्ध में उसके 12 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायत-पत्र दिनांक 10 अप्रल, 1974 को रजिस्ट्री किया हुआ सरकार को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां।

जांच कराई गई परन्तु आरोप निराधार पाये गये।

चीनी मिलों से शीरा खरीद कर प्रदेश से बाहर भेजने हेतु परमिट

2—श्री रामचरन शाह (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, 1973 से मार्च, 1974 तक चीनीं मिलों से शीरा खरीद कर प्रदेश के बाहर ले जाने का परमिट किस किस व्यक्ति को दिया गया तथा कितने-कितने मात्रा शीरे का परमिट दिया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस अवधि में चीनीं मिल से शीरा खरीद कर प्रदेश के बाहर ले जाने के लिये किसी भी व्यक्ति को कोई परमिट नहीं दिया गया।

प्राइमरी सहकारी समितियों का, वार्षिक चुनाव

3—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी को यह जानकारी है कि प्रदेश की ऐसी सभी प्राइमरी सहकारी समितियों का जिनके वार्षिक चुनाव सितम्बर, 1973 तक न किये गये हों, प्रबन्ध विभागीय अधिकारियों को अपने हाथ में लेने के आदेश प्रशासन ने दिये थे? यदि हां, तो ऐसी कितनी प्राइमरी समितियां हैं जिनका प्रबन्ध विभागीय अधिकारियों ने उक्त आदेश के अन्तर्गत अपने हाथ में ले लिया है? क्या उनमें रेलवे मेन्स कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, गोरखपुर भी है। जिसका वार्षिक चुनाव गत चार वर्षों से न कराये जाने के विषय में दिनांक 12 दिसम्बर, 1973 को एक पत्र सहकारिता विभाग को भेजा गया था?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं ।

ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये थे। अतः सितम्बर, 1973 तक चुनाव न कराने के कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा समितियों (जिनमें रेलवे मेन्स कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, गोरखपुर भी सम्मिलित है) का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे मेन्स कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि0, गोरखपुर का वार्षिक चुनाव गत चार वर्षों से न कराये जाने के विषय में 12-12-73 का पत्र प्राप्त हुआ था। ऐसी सभी समितियों में जिनमें चुनाव नही हो सके हैं चुनाव संपन्न कराने की तिथि 31 जुलाई, 1974 निर्धारित की जा चुकी है ।

4—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

(पुनरावृत्ति के कारण निरस्त)।

लघु सिंचाई विभाग के अमीनों के वेतन में भिन्नता

5—श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत अमीनों के वेतन में अन्य विभागों के अमीनों के वेतन से भिन्नता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। वेतन में भिन्नता है। यह भिन्नता वेतन आयोग की संस्तुति पर अधारित है ।

साधन सहकारी समिति, रामकोला (देवरिया) के सदस्यों पर बकाया ऋण की वसूली

6—श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25 अप्रैल, 1974 को साधन सहकारी समिति, रामकोला (देवरिया) में सहकारी ऋण किन-किन सदस्यों के नाम किस वर्ष में कितना-कितना बकाया था और उनके वसूली के संबंध में अब तक सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

साधन सहकारी समिति लि0 रामकोला (देवरिया) में 25-5-74 को 143 सदस्यों पर 1,19,822.70 रु0 की धनराशि बकाया रूप में थी। सदस्यवार बकाया की सूची संलग्नक क-1 में है। कतिपय बकायादारों के विरुद्ध आर्बिट्रेशन, एवार्ड लिया जा चुका है तथा शेष पर आर्बिट्रेशन हेतु समिति कार्यवाही कर रही है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 702-707 पर।)

डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट फेडरेशनों के लाभ या हानि पर चलना

7—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त के प्रत्येक जिले में कार्यरत डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशनों में से कितने लाभ पर चल रहे हैं और कितने घाटे पर ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रदेश के 55 जिलों में से चमोली, उत्तर काशी तथा ललितपुर में जिला सहकारी संघ नहीं हैं। फतेहपुर जिले का संघ विघटित हो चुका है। शेष 51 जिलों में से 34 जिलों के सहकारी संघ लाभ पर तथा 17 जिलों के संघ घाटे पर चल रहे हैं।

प्रान्त के सहकारी सुपर मार्केटों में लगी पूंजी तथा लाभ-हानि की स्थिति

8—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में सहकारी सुपर मार्केट कहां-कहां चल रहे हैं और उनमें लगी पूंजी 1969 से 1973 तक प्रत्येक वर्ष कितनी रही और प्रत्येक वर्ष घाटा और मुनाफा कितना रहा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रान्त में सहकारी सुपर मार्केट लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, देहरादून तथा मेरठ नगरों में चल रहे हैं। इनमें 1969 से 1973 तक लगी वर्षवार पूंजी तथा इनमें प्रत्येक वर्ष हुए लाभ/हानि की स्थिति संलग्नक में इंगित है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 708 पर।)

लखनऊ और कानपुर स्थित सहकारी दुग्ध संघों में प्रशासनिक व्यय तथा दूध का क्रय-विक्रय मूल्य

9—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ और कानपुर स्थित सहकारी दुग्ध संघों में पिछले 6 वर्षों 1969 से 1973 तक प्रत्येक वर्ष प्रशासनिक व्यय का परसेंटेज क्या था तथा वार्षिक लाभ-हानि की क्या स्थिति है ? उपरोक्त दुग्ध संघों से किसानों की दूध की सप्लाई का प्रति लीटर कितना दाम दिया जाता है तथा उस दूध को उपभोक्ताओं को किस दाम पर बेचा जाता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

लखनऊ दुग्ध संघ एवं कानपुर मिल्क बोर्ड में 1969 से 1973 तक प्रत्येक वर्ष में प्रशासनिक व्यय की प्रतिशत एवं वार्षिक हानि-लाभ के आंकड़े संलग्नक (1) के अनुसार हैं। इस समय लखनऊ दुग्ध संघ में औसत क्रय दर रु0 1.50 प्रति लीटर और कानपुर मिल्क बोर्ड में औसत क्रय दर रु0 1.65 है। दूध का बिक्रय मूल्य लखनऊ एवं कानपुर में संलग्नक (2) के अनुसार है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 709 पर।)

प्रदेश में जिला परिषदों का चुनाव

10—श्री झामलाल अहिरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला परिषदों के चुनाव कब तक कराये जाने की सम्भावना है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषदों के सामान्य निर्वाचन के सितम्बर, 1974 तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

दक्षिणी क्षेत्रीय सहकारी समिति अतरौली, जिला अलीगढ़ के सदस्यों पर बकाया धनराशि की वसूली

11—श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दक्षिणी क्षेत्रीय सहकारी समिति अतरौली, जिला अलीगढ़ में कौन-कौन व्यक्ति कब से कितनी धनराशि के बकायादार हैं और उनसे ऋण वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या यह सच है कि उपरोक्त समिति के कुछ ऐसे भी लोग बकायादार हैं जो अभी भी संचालक बने हुये हैं? यदि हां, तो क्यों और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दक्षिणी क्षेत्रीय व सहकारी समिति अतरौली, अलीगढ़ में 290 सदस्य बकायादार हैं जिन पर कुल 2,01,251 रु0 95 पैसे की धनराशि बकाया है।

सदस्यवार बकाया की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है, वसूली हेतु सालसी, एवार्ड तथा डिक्री की कार्यवाही की जा चुकी है।

यह सच है कि समिति के तीन संचालक अब भी बकायेदार हैं। बकायेदार संचालकों को अलग करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बदायूं में सैदपुर—करेंगी संपर्क मार्ग का निर्माण

12—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बदायूं में बदायूं, बिसौली, मुरादाबाद से जुड़ने वाली सैदपुर रोड पक्की बनाने हेतु लिंक रोड योजना कुछ समय पूर्व कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत ली गई थी? यह कार्य कब तक समाप्त हो जायगा और उसमें कितना व्यय होगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। जनपद बदायूं में 5 कि0 मी0 लम्बी सैदपुर—करेंगी संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। कार्य के सम्पन्न होने में लगभग 6 माह का समय और लगने की सम्भावना है।

वर्ष 1972 में उक्त मार्ग के निर्माण का व्यय 2,95,334 रुपये आंका गया था परन्तु सामग्री के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण आगणन में वृद्धि होने की संभावना है।

उप-निदेशक पशुपालन (क्षेत्र) के कार्यालय के वर्कशाप में लाभ अथवा हानि

13—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप-निदेशक पशुपालन (फार्म्स) की बेस वर्कशाप में वर्ष 1968—69 से 1972—73 तक वर्षवार कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

उप निदेशक, पशुपालन (क्षेत्र) के कार्यालय में जो वर्कशाप स्थापित है वह वाणिज्यिक नहीं है। उसमें विभागीय गाड़ियों तथा मशीनों की मरम्मत वास्तविक व्यय पर की जाती है। अतएव हानि तथा लाभ का प्रश्न नहीं उठता।

उप-निदेशक, पशुपालन के अधीनस्थ नीलगांव फार्म में बोआई का लक्ष्य

14—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उप-निदेशक पशुपालन के अधीनस्थ नीलगांव फार्म पर कृषि वर्ष 1973–74 में बोआई का क्षेत्र का लक्ष्य क्या था और वास्तव में कितना क्षेत्र बोया गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

लक्ष्य 1015.25 एकड़ था परन्तु उसके समक्ष 886 एकड़ में ही बोआई की जा सकी क्योंकि यह प्रक्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है और कथित वर्ष में इस पर तीन बार बाढ़ आई ।

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र गंजरिया में दुग्ध का उत्पादन

15—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र गंजरिया पर अगस्त, 1972 से फरवरी, 1973 तथा अगस्त, 1973 से फरवरी, 1974 तक कुल कितना दुग्ध उत्पादन हुआ ? दोनों ही अवधि में दूध देने वाले पशुओं की संख्या क्या थी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अगस्त, 1972 से फरवरी, 1973 तथा दुग्ध 1,83,633 किलो पैदा हुआ और दूध देने वाले पशुओं की औसत संख्या 207 थी ।

अगस्त, 1973 से फरवरी, 1974 तक 1,49,863 किलो दूध का उत्पादन हुआ तथा दूध देने वाले पशुओं की औसत संख्या 197 थी ।

16—श्री श्रीनारायण—

[3रे गुरुवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

पशुपालन विभाग में अधिकारी व कर्मचारी की तदर्थ नियुक्ति

17—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन विभाग में कितने अधिकारी और कर्मचारी एक वर्ष की अवधि या अधिक से पदों पर तदर्थ नियुक्ति के रूप में सेवा में कार्यरत हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

पशुपालन विभाग में 625 अधिकारी और कर्मचारी एक वर्ष की अवधि या अधिक से, पदों पर तदर्थ नियुक्ति के रूप में सेवा में कार्यरत हैं ।

सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि० बिसवां, जिला सीतापुर का चुनाव

18—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि0, बिसवां, जिला सीतापुर के चुनाव दिनांक 25 दिसम्बर, 1973 को किसके आदेश से स्थगित किये गये थे तथा किस आधार पर ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, बिसवां का चुनाव 23–12–73 को होने वाला था, प्रशासन को कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण स्थगित करना पड़ा था ।

प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों के चुनाव

19—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रांत के जिला सहकारी बैंकों के चुनाव की अन्तिम तिथि जो 30 अप्रैल, 1974 निर्धारित की थी उस तिथि में क्या कोई बढ़ोत्तरी की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

समस्त सहकारी समितियों में निर्वाचन कराने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल, 1974 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 1974 कर दी गई है क्योंकि प्रदेश की अनेक सहकारी समितियों द्वारा गेहूं की खरीद की जा रही है ।

कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अन्तर्गत डाइरेक्टरों के पुनः चुनाव के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध

20—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट की उस धारा को जिसके द्वारा दो टर्म से काम कर रहे डाइरेक्टरों को पुनः चुनाव में खड़े होने पर प्रतिबन्ध है, यदि हां, तो इसमें कोई छूट देने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री राजितराम पाण्डेय के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा खेद है कि मुझको इस माननीय सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि इस माननीय सदन के एक सदस्य, श्री राजितराम पाण्डेय का गोली मारे जाने के कारण निधन हो गया । गत 13 जून, को अपरान्ह 5-00 बजे उनके ही गांव में उनका यह असामयिक निधन सबके लिये क्लेश की बात है । माननीय पाण्डेय जी एक सामाजिक कार्यकर्त्ता भी थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के पदाधिकारी भी समय-समय पर रहे हैं और 1971 से कांग्रेस के सदस्य थे । वह वर्तमान समय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे । उनकी अवस्था करीब 55 साल की थी । वह अपने पीछे अपनी एक विधवा पत्नी और 5 पुत्रों को छोड़ गये हैं । वह एक निडर व्यक्ति थे, साहसी व्यक्ति थे । किन कारणों से यह हत्या हुयी, क्या हुआ, यह एक अलग प्रश्न है, जो शीघ्र सामने आयेगा; यह अवसर नहीं है कि जब उसके सम्बन्ध में सिवाय इसके कुछ कहूं कि सरकार को इस बात का बड़ा दुःख है कि एक सामाजिक कार्यकर्त्ता का निधन हुआ, जो इस माननीय सदन का 1974 तक (1964 से 74 तक) सदस्य रहा । मैं अपनी और अपने दल की ओर से प्रार्थना करता हूं कि माननीय राजितराम पाण्डेय के शोक-संतप्त परिवार तक हमारी वेदना पहुंचा दें ।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय.....।

श्री अध्यक्ष--

चौधरी साहब तो मौजूद हैं; इसलिए उन्हीं को बोलने दें ।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरे सहयोगी का उनसे बहुत जातीय ताल्लुक था, उनकी पार्टी में रहे हैं, इसलिये मैंने ठीक समझा कि उनका बोलना ठीक होगा। मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी जो कुछ कहा है कि मैं अपने को और अपने दल को पूरी तरह से उससे जोड़ना चाहता हूं। मुझको भी खुश-किश्मती हासिल रही है कि वह और मैं कुछ अर्से तक साथ ही साथ इस सदन के मेम्बर रहे हैं। पहले वह कुछ समय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे। उससे पहले पुरानी सोशलिस्ट पार्टी में काम करते रहे थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वह एक पुराने सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे और जोशीले आदमी मालूम देते थे। मुझको, उनका जो काम अपने जिले में था या दूसरे इलाके में रहा हो, उसका जातीय इल्म नहीं है। मैं केवल इतना ही जानता हूं जितनी उनकी कार्यवाही यहां सदन में होती थी। वह एक जन सेवक थे। मुझको और हम सभी को अफसोस है कि धीरे-धीरे पुराने काम करने वालों की पंक्ति छीजती जा रही है, लोग उसमें से उठते जा रहे हैं। उठेंगे, जायेंगे, यह तो इस संसार का नियम ही रहा है, लेकिन देश के हित में यही है कि ऐसी कोई जगह खाली न रहे, कोई न कोई आगे बढ़ कर उसको पूरा करे। वह मुझको ऐसा लगता है कि हमारे देश व प्रदेश में हो नहीं रहा है। मैं इन शब्दों के साथ चाहता हूं कि आप मेरी तथा मेरे दल की ओर से उनके परिवार के लोगों को संवेदना भेजने की कृपा करें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, नेता सदन तथा नेता विरोधी दल ने जो विचार स्वर्गीय राजित राम पांडेय के बारे में व्यक्त किए हैं मैं उनसे अपने को तथा अपने दल को संबद्ध करता हूं। गत विधान सभा में वह हम लोगों के साथ थे एस०एस० पी० पार्टी की तरफ से। फिर वह कांग्रेस में चले गये। जैसा हमारे मुख्य मन्त्री ने कहा वह बहुत निडर समाज सेवी थे। उनका स्वभाव बड़ा हंसमुख था। कितने भी कटु शब्द का प्रयोग कोई उनके खिलाफ करे वह सदैव हंसते रहते थे। आपको भी इसका अनुभव होगा। गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गयी। स्वाभाविक रीति से उनकी मृत्यु भी नहीं हुयी, यह सोच कर हृदय बड़ा दुःखी हो जाता है। लेकिन वह किसी के वश की बात भी नहीं थी। किसी ने किसी कारण ऐसा किया, बहुत जघन्य अपराध किया। उनके निधन से हम बहुत दुखी हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि उनके परिवार तक हमारी और हमारे दल की संवेदना पहुंचाने का आप कष्ट करेंगे।

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

मान्यवर, नेता सदन ने स्वर्गीय राजित राम पांडेय के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी तथा मेरे दल की ओर से आप संवेदना का संदेश उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)--

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय पांडे जी के बारे में माननीय नेता ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से उनसे सम्बद्ध करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके संतप्त परिवार को हमारी तरफ से भी समवेदना भेजने का कष्ट करें।

---

* वक्ता ` भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)--

नेता सदन ने तथा नेता विरोधी दल ने माननीय राजितराम पांडेय के बारे में जो सूचना दी उसको जान कर हम सबको बहुत ज्यादा तकलीफ हुयी। राजितराम पांडेय सोशलिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े कार्यकर्त्ता थे। वह बहुत ही निर्भीक तथा बहादुर किस्म के आदमी थे। आपको याद होगा विधान सभा में रोज ही वह खड़े होकर इस प्रदेश के हित में आलोचना सरकार की किया करते थे। हमको उनके साथ 5 वर्ष तक काम करने तथा साथ रहने का मौका मिला है। उनकी मृत्यु से हमको बहुत तकलीफ हुई है। मेरी प्रार्थना है कि मेरी तथा मेरे दल की ओर से उनके संतप्त परिवार को समवेदना का सन्देश भेजने की कृपा करें।

*श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, राजितराम पांडेय तथा मैं लगातार 20 साल तक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे हैं और 67 में हमारा उनका अलगाव हुआ और उसके बाद हम लोग लगातार प्रतिद्वन्दी रहे। लेकिन उनके व्यवहार तथा कार्य कुशलता का मैं हृदय से स्वागत करूंगा। हम दोनों जब मिलते थे तो गले लग कर मिलते थे। उनकी मृत्यु से आज हमको बड़ा दुख हो रहा है कि वह हमसे इस प्रकार अलग हो गये। मैं अपनी समवेदना उनके परिवार तक आपके द्वारा भेजना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य दलों के नेताओं ने स्वर्गीय राजित राम पांडेय जी के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय राजित राम पांडेय इस सदन के 1969 से 1974 तक सदस्य थे और कभी-कभी वे इस सदन में कुछ अपनी बात बरबस भी कह देते थे। यहां भी और बाहर भी वे किसानों के आदमी थे। और जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि वे एक निडर और निरभ्रांत व्यक्ति थे तथा एक संघर्षशील व लड़ाकू स्वभाव के थे। उनके निधन से निश्चित ही सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक रिक्तता आयी है जो अपने ढंग की निराली है। यह दुख और शोक का ही प्रकरण है कि ऐसे राजनीतिक नेताओं का असामयिक और आकस्मिक निधन हो रहा है। हम सब इससे दुखी हैं। मैं शोक-संतप्त परिवार को आपकी ओर से समवेदना का संदेश भेज दूंगा। अब आपसे निवेदन है कि आप दो मिनट खड़े होकर मौन रहें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1974 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 710--712 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधेयक, 1974 जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिए 'ज' आगे पृष्ठ 713–714 पर)

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1974 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 7 जून, 1974 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन से दिनांक 17 जून, 1974 को वापस प्राप्त हो गया है ।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1974 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 1974 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 जून, 1974 को वापस प्राप्त हो गया है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा द्वारा रोडवेज मजदूर सभा के विरुद्ध परिवहन मंत्री के सम्बन्ध में पर्चे बांटने के विषय में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पहले आयी थी । इसमें श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री राजमंगल पांडेय परिवहन मन्त्री के विरुद्ध वितरित किये गये पर्चे के सम्बन्ध में रोडवेज मजदूर सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी गई है । चूंकि इस पर्चे में कोई आरोप नहीं है इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं . . . ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

माननीय मन्त्री जी एक वरिष्ठ मन्त्री हैं . . . . . ।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो लिखकर दिया है वह उनके पक्ष में दिया है कि मजदूर सभा के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मैं उठा रहा हूं । फिर उसमें कोई आरोप नहीं है, प्रश्न केवल किये गये हैं । इसमें चाहे जो दिया हो, किन्तु यह पर्चा किसने बांटा और कैसे बांटा, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है . . . . . ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इस प्रकार के गम्भीर आरोप लगाना ठीक नहीं है, किन्तु इसकी सफाई तो होनी ही चाहिये कि क्या इसमें वास्तविकता है . . . . . ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसे सवाल कर देना क्या केवल विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बन जायगा। सवाल करने का तो विरोध पक्ष को हक है ही।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित नये वेतन-मान विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों में लागू किये जाने के विषय में वित्तमन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक अन्य विशेषाधिकार का प्रश्न श्री ओम प्रकाश सिंह तथा श्री त्रिवेणी सहाय जी ने उठाया है, जो श्री नारायणदत्त तिवारी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है कि माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित नये वेतनमान विश्वविद्यालयों एवम् डिग्री कालेजों में लागू कर दिये गये हैं। यह गलत है और जानबूझकर सदन में मन्त्री जी ने गलतबयानी की है और सदन को गुमराह किया है। इसके बारे में स्पष्टीकरण के लिए मैं वित्त मन्त्री जी से पूंछे लेता हूं।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य ने जो यह प्रश्न उठाया है, कम से कम उनकी इस प्रश्न में जो जिज्ञासा है, अभिप्राय समझने की जो अभिलाषा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। अगर उनकी इच्छा यह थी कि टैक्निकल या प्राविधिक दृष्टिकोण से स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो सके तो यह बात सही है कि अभी वेतनमान जो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने देने का निर्णय किया है, वह उन्होंने यहां सूचना नहीं भेजी है। लेकिन इस शासन ने 2-3 बार इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। मैं सम्मानित सदन को सूचित करूं कि 31 जनवरी, 1974 को गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों की परिलब्धियों में तदर्थ वृद्धि के बारे में एक आदेश प्रसारित किया गया था, उसमें लिखा हुआ है कि--"जो वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा इन शिक्षकों के लिये निर्धारित किये जाएंगे, उनमें इस तदर्थ वृद्धि को समायोजित कर दिया जाएगा।" फिर 2 फरवरी, 1974 को एक आदेश प्रसारित किया गया जो विश्वविद्यालय अध्यापकों की परिलब्धियों में तदर्थ-वृद्धि के सम्बन्ध में था उसमें लिखा गया था जो उस समय 100 रुपये बढ़ाये गये थे, उसके बाद यह आदेश प्रसारित किये गये थे कि--"जो वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा इन अध्यापकों के लिये निर्धारित किये जायेंगे, उनमें इस तदर्थ वृद्धि को समायोजित कर दिया जाएगा।" इसी प्रकार सम्मानित सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने एक प्रश्न यहां पूछा था, जिसका उत्तर गुरुवार को माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा दिया गया था। उक्त तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में यह जवाब दिया गया था कि--"सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवम् सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत एवं घोषित वेतनमान प्रदेश में सांगोपांग लागू किये जायेंगे।" तो मेरे बजट भाषण के पहले भी शासन ने इस नीति को स्पष्ट कर दिया था और सम्मानित सदस्य के प्रश्न के उत्तर में "सांगोपांग" शब्द और जोड़ दिया गया था। अब जहां तक हमारा मन्तव्य है वह बिलकुल स्पष्ट है। यदि इन गा, गे, गि पर जोर न दिया जाए तो इस सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं होना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

जो उक्त लिखकर भाषण दिया उसका अर्थ लगाने का उन्हीं पर भार न छोड़ा जाए। इसका वह अर्थ लगाया जाए जो सब समझते हैं। वह कहते हैं कि--"लागू कर दिया जाएगा।" तो यह भी उसमें है कि बीच में कोई अड़चन आ गई तो नहीं भी होगा। वे इन दोनों बातों में समझते हैं।

श्री अध्यक्ष--

भाषा और भ्रम का चिरन्तन और सनातन सम्बन्ध रहा है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरा मतलब है कि तिवारी जी ने लिखकर दिया और बजट भाषण में कहा कि "लागू कर दिया गया", अब वह कहते हैं कि "लागू कर दिया जाएगा"--मैं ऐसा समझता हूं कि अपने अनुभव से पिछले समय में कई बार सरकार ने ऐसा किया है । "कर दिया गया" और "कर दिया जायगा" दोनों के परिणाम में बड़ा फर्क आ गया । अब बताएं कि लागू कर दिया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उसको मैं मान लेता हूं । "जायगा" पढ़ लिया जाय ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

जो बजट भाषण में शब्दावली है वह यह है "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित नये वेतनमान विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजों में लागू कर दिये गये हैं ।" हमें जो 6 तारीख को उत्तर दिया गया था उस में कहा गया है कि, "लागू किये जायेंगे ।" बजट भाषण में जो भी शब्द कहे जाते हैं उसके एक-एक शब्द का इतना महत्व होता है, अगले आने वाले वर्ष में सरकार क्या करने जा रही है, प्रदेश का क्या भविष्य होगा वह बजट के एक एक शब्द से जाहिर होता है । माननीय मुख्य मन्त्री ने प्रश्न के उत्तर में 6 तारीख को जो कहा, वह यह है कि निर्णय लिया है और निर्णय को लागू किया जायगा । बजट में हमने सुना कि निर्णय को लागू कर दिया गया । दोनों में अन्तर है । और यह अन्तर जानबूझ कर सरकार को झूंठी प्रशंसा करने के लिए, जनता को भ्रम में डालने के लिए किया गया है और ऐसी शब्दावली लिखी गयी है । स्पष्ट रूप से सदन को गुमराह करने के लिये, माननीय वित्त मन्त्री ने सरकार की झूठी प्रशंसा करने के लिए बजट भाषण में यह शब्दावली लिखी है । जिस दिन बजट भाषण निकला है, कम से कम 15-20 अध्यापकों ने मुझसे पूछा कि बजट भाषण की शब्दावली में अन्तर है । 6 तारीख और 11 तारीख के बीच में क्या सरकार ने कोई नया आदेश दिया है और यह लागू कर दिया गया है ? 6 तारीख और 11 तारीख के बीच में अगर इसको लागू करने के लिए कोई आदेश दिया गया है तो मैं विशेषाधिकार का प्रश्न वापस लेने को तैयार हूं । अगर ऐसा आदेश नहीं दिया है, कि जो सरकार ने निर्णय लिया है वह लागू कर दिया गया है, और अगर लागू कर दिये जाने की बात है, तब विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है ।

मेरा निश्चित आरोप है कि वित्त मन्त्री ने सरकार की झूठी प्रशंसा करने के लिए, अध्यापकों को गुमराह करने के लिये, उनको अपने पक्ष में लाने के लिये, यह शब्दावली बजट भाषण में जानबूझ कर जोड़ी है । हमारे 6 तारीख के प्रश्न के उत्तर में यह कहा है--"सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों" के लिए स्वीकृत एवं घोषित वेतन-मान प्रदेश में सांगोपांग लागू किये जायेंगे ।" उसमें यह नहीं कहा है कि लागू कर दिये गये हैं । यह स्पष्ट बात है कि बजट भाषण में और उत्तर में प्रयुक्त शब्दावली में अन्तर है, और भाव में भी निश्चित अन्तर है । इसके पीछे उनकी गलत मंशा है । चूंकि सदन को गुमराह किया है, सदन की अवमानना की है, इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जो सम्मानित नेता जनसंघ ने कहा है, उसको मैंने मान लिया कि "जायगा" पढ़ लिया जाय। वह जो यह कहते हैं कि उन्होंने अध्यापकों और सदन को गुमराह करने की कोशिश की, सरकार का निर्णय पूर्व घोषित है। बजट भाषण से पहले किया जा चुका है। सम्मानित सदस्य के प्रश्न के उत्तर में घोषित है कि जो भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति है वह रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से लागू की जायगी। गुमराह करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

क्यों नहीं उत्तर में कहा कि लागू कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित नये वेतनमान, यह मुख्य है, यह हो गया घोषित।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

मान्यवर, एक बात कह दूं। माननीय ओम प्रकाश को मैं बधाई देना चाहता हूं। बारीकी से पढ़ते हैं। और अच्छी बात है। हमारी भूलों को हमारे सामने पेश करते हैं। यह एक अच्छा काम है। सचमुच सचेत विरोधी पक्ष का बड़ा भारी दायित्व भी है। हमारी भाषा की भूलों के लिये, हम पहले कह चुके हमें अफसोस है कि भाषा में भूल हो गयी। अब इसके बाद अगर माननीय सदस्य कोई सजा देना चाहें, तो तजवीज करें, सर खम है, जो मिजाजे यार में आये।

श्री अध्यक्ष---

यह अस्वीकार किया जाता है।

खाद्य तथा रसद मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने खाद्य मन्त्री डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के विरुद्ध इस आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है कि उन्होंने बुलन्दशहर में आयोजित एक सभा में भाषण देते हुए यह घोषित किया था कि मेरठ डिवीजन में रासायनिक खाद देने में प्राथमिकता दी जायेगी तथा यह भी कहा था कि सरकार की खाद्य नीति बिलकुल फेल हो गई है।

अब यह कोई नीति के बारे में वक्तव्य नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)---

रासायनिक खाद्य मेरठ डिवीजन में प्राथमिकता देने का प्रश्न एक नीति का मामला है।

श्री अध्यक्ष---

अगर कोई मन्त्री कह दे कि किसी जिले को खाद दी जायेगी तो इसमें नीति का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मेरठ डिवीजन में खाद देने में प्राथमिकता दी जायेगी तो यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

यह हो सकता है कि जहां गेहूं ज्यादा मिलता हो उसके लिये कहा गया हो। लेकिन जब विधान सभा का बजट सेशन चल रहा है और जो बजट स्पीच हुई है वह आपके सामने है तो इसकी आलोचना-प्रत्यालोचना करने का आपको अधिकार है। इसमें आप सब वा. कहेंगे। इसमें नीति की कोई बात नहीं कही। इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

ग्राम किन्तूर, थाना राम नगर, जिला बाराबंकी में श्री राम हर्ष की हत्या के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य

*श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, इसी वक्तव्य के ऊपर आप से मुझे निवेदन करना है। मैंने बेचनलाल जी की हत्या के सम्बन्ध में 10-6-74 को एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था। यह हमारी पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री हैं और अदालत के सरपंच हैं। इनकी हत्या हुई और प्राथमिक सूचना के अनुसार एक राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी के एक माननीय व्यक्ति का नाम लिया था। यह भी मैंने कहा था कि इस जिले में बड़ी गड़बड़ी हो रही है तो आपने कहा था कि विवरण नहीं है। फिर दूसरे दिन घटना घट गई और 10 तारीख को एक विवरण जिसमें 9-10 घटनायें घटी हैं। इनमें से 2 घटनायें मुख्य हैं एक श्री बेचनलाल जी की हत्या तथा दूसरी बेलिखरा के श्री याकूब की है। इनकी हत्याओं में षड़यंत्र और साजिश है। इनके ऊपर बस में जाते हुए हमला हुआ जिसकी रिपोर्ट दर्ज है और एक बार देवा थाने में हमले की रिपोर्ट लिखी गई।

श्री अध्यक्ष---

इसमें भ्रम हो गया है कि आपने कहा कि हमारे पास भेजा है और हमने कहा कि हम मिला नहीं। लेकिन आपने वह भेजा था और वह हमारे दफ्तर में रह गया था। हमारे सचिव ने उसको देख लिया है।

श्री राम सेवक यादव---

इसको आप इस समय न लें।

श्री अध्यक्ष---

जो कागज आपने भेजा वह मिल गया। जब आपने यह भेजा और आपने उसमें जो प्रमाण दिया और घटनायें लिखीं उनको हमने उदाहरण के रूप में समझा।

श्री राम सेवक यादव---

श्रीमन् मैं बेचनलाल जी के बारे में बता दूं। जो उनको दो गार्ड दिये गये हैं। उनको इस क्षेत्र के सम्मानित सदस्य ने हटाने के लिए सी० ओ० और दरोगा जी को चिट्ठियां लिखीं तथा उनसे मिले।

श्री अध्यक्ष---

यह हो जाये तो देखेंगे।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी पार्टी के जो नेता थे उनको हमने चुनाव में हराया है और आप जो आरोप लगा रहे हैं वह बिलकुल निराधार और गलत है। मैंने कोई बात नहीं की। यह गलतफहमी फैलाई जा रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह वक्तव्य हो जाये । 2 वक्तव्य हैं मुख्य मन्त्री जी के ।

श्री रामसेवक यादव—

मुझे सूचना है कि उन्होंने लिखा है कि गार्ड हटा दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष—

वह बाद में होगा । वह मेरे पास है ।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, श्री राम हरष निवासी किन्तूर थाना रामनगर, जिला बाराबंकी की दिनांक 9–6–74 की शाम को हत्या किये जाने की मौलिक सूचना दिनांक 10–6–74 को थाना राम नगर पर प्राप्त हुई थी । उक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा 302/201 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रारम्भ की गई । प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित चार अभियुक्तियों में से तीन नामजद अभियुक्त तथा जांच से प्रकाश में आये दो अन्य अभियुक्त 12–6–74 को गिरफ्तार किये जा चुके हैं और जेल में हैं । विवेचना जारी है ।

2—1 मई से 10 जून 1974 तक थाना रामनगर के क्षेत्र में हत्या की उक्त घटना के अतिरिक्त केवल एक अन्य हत्या व एक डकैती की सूचना दर्ज कराई गई । पिछले वर्ष में इसी अवधि में अपेक्षाकृत अधिक अपराध हुये थे । इस प्रकार अपराध स्थिति नियंत्रण में है । यह कहना सही नहीं है कि जनता में असुरक्षा एवं आक्रोष व्याप्त है ।

3—जहां तक माननीय सदस्य श्री राम सेवक यादव द्वारा दिनांक 10–6–74 को दिये गये पत्र में उल्लिखित मामलों का सम्बन्ध है, इन सभी मामलों में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जांच कराई जा रही है ।

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष जी, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बारे में जांच की जाय । मुझे कोई ज्यादा प्रश्न नहीं करना है ।

श्री अध्यक्ष—

उसके बारे में तो मैंने आपको बताया ।

श्री राम सेवक यादव—

10–6–74 को मैंने लिख कर दिया है । जो साजिश की है उसमें एस० पी० और स्थानीय दरोगा राना थे । जो कातिल हैं उनमें दो डकैत हैं । उन्हें छुड़वाने की भी कोशिश हो रही है । उसमें जो साजिश हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिये तभी असलियत का पता चल पायेगा । असली कातिल जो है उन्हें नामजद किया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

कई मामलों का जिक्र है । मैं उन्हें भेज दूंगा ।

श्री राम सेवक यादव—

अध्यक्ष जी, उसके बाद उनको दो गार्ड मिले । उनको छीनने की कोशिश की गई और जो डकैत मुलजिम हैं उन्हें छुड़ाने की सिफारिश की गई । वहां की स्थानीय पुलिस

ऐसे काम कर रही है। उस षडयंत्र की जांच होनी चाहिये। राजनैतिक ढंग से जो हत्यायें होंगी वह विषाक्त रूप धारण करेगी।

श्री अध्यक्ष---

आप चाहते हैं कि हम उसको भी भेज दें।

श्री राम सेवक यादव---

एक घटना और है जिसमें दो आदमियों की बोटी-बोटी कर डाल दिया गया। उस दरोगा को वहां से हटाना चाहिये। उसने उस घटना की रिपोर्ट 360 में लिखी।

श्री गोविंद सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, जो घटना इस बयान में नहीं है उसके ऊपर आप बहस दिलवा रहे हैं। मेरा आप से निवेदन है कि जो कार्य सूची में आप ने रखा है उसी तक सीमित रखा जाय।

श्री अध्यक्ष---

उसी तक सीमित रखा गया है।

श्री राम सेवक यादव---

मान्यवर, बेचन लाल वाले मामले में भी मुख्य मंत्री जी का बयान मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

यह तो प्रश्न भी आप कर सकते हैं।

श्री राम सेवक यादव---

मान्यवर, प्रश्न का नम्बर ही नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष---

आप अल्पसूचित प्रश्न करें।

श्री राम सेवक यादव---

मान्यवर, यह प्रश्न जो है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ला एन्ड आर्डर का सवाल है। इससे सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं जा सकती है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जो आप ने लिखकर दिया मैंने उसे सबसे बड़े अधिकारी को जांच करने के लिये दिया है कि बाराबंकी में जाकर एक-एक थाने देखकर जांच करें यद्यपि उन सभी थानों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। जो दो वर्णन हमारे पास आये हैं, जो दो के सम्बन्ध में हत्यायें हैं, एक के सम्बन्ध में यह है कि 3 भाई और एक बहन अपने घर में थी उनके जीजा आये, कहने लगे कि इसकी शादी मैं अपने भाई के साथ कराऊंगा। कोई दुश्मनी नहीं थी, शादी विवाह का मामला था। आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि ज्यों ही आपने वहां की शिकायत की कि मैंने होम सेक्रेटरी को आज्ञा दी, आई0 जी0 को आज्ञा दी, । 24 घंटे में कोई उत्तर नहीं निकाल सकता हूं। जो लोग शिकायत कर्ता हैं, जो-जो भी शिकायतें हैं इन दोनों हत्याओं में मैं कह सकता हूं कि कोई राजनीति नहीं है। इन दोनों में शादी विवाह को छोड़ कर और कोई चीज नही है। इस राम नगर में जो दो हत्यायें हुई हैं उन पर मैं विचार कर रहा हूं।

श्री राम सेवक यादव ---

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जहां तक बेचन लाल बेवा थाने का मामला है, इसके पीछे साजिश है। इसके पीछे षडयंत्र का मामला है। मान्यवर, इस साजिश की जांच तुरन्त करा ली जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ---

जांच की बात आपने कही, जांच मैं करवा रहा हूं ।

श्री राम सेवक यादव ---

मान्यवर, मैंने कई कागज आपको दिये थे ।

श्री अध्यक्ष---

अब आपने सब कागज भेजे तो मैंने समझा कि इसी किन्तूर के समर्थन में आप सब कागज दे रहे हैं । मैंने समझा कि महत्वपूर्ण कागज यहीं हैं । उसको हम भेज देंगे माननीय मुख्य मंत्री जी को वह जांच करवा लेंगे ।

बनस्पति घी के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य तथा रसद मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से समस्त माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूं कि प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित में बनस्पति के सम्बन्ध में शासन ने कुछ विशेष कदम उठाये हैं जिससे एक नया दृष्टान्त स्थापित होगा । केन्द्रीय सरकार ने बनस्पति उत्पादन सम्बन्धी समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये 15 जून, 1974 से बनस्पति थोक तथा फुटकर मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की है। इस मूल्य वृद्धि की सूचना प्राप्त होते ही शासन ने समस्त जिला अधिकारियों जो तत्काल आदेश दिया कि वे अपने जनपद में बनस्पति के समस्त स्टाकिस्ट के स्टाक की चैकिंग जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा तुरन्त करायें और यदि इस चैकिंग के दौरान में कोई अनाधिकृत स्टाक पाया जाय तो उसको तुरन्त जब्त करें और साथ ही साथ एस स्टाकिस्ट के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें । इस चैकिंग के उपरान्त कितनी मात्रा में अनाधिकृत बनस्पति मिली इसकी सूचना जिला अधिकारियों से अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

2---इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिये कि मूल्य वृद्धि के पहले जो भी बनस्पति न केवल स्टाकिस्ट बल्कि फुटकर बिक्रेता तथा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर पहुंच चुका है, उसकी बिक्री में स्टाकिस्ट, फुटकर बिक्रेता तथा सस्ते गल्ले के दुकानदार अनुचित लाभ न उठाये, जिला अधिकारियों को भी यह आदेश दिये गये हैं कि उसके पुराने मूल्य पर ही सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा उपभोक्ताओं को बिकवायें । यदि इस आदेश का कोई भी स्टाकिस्ट फुटकर बिक्रेता तथा सस्ते गल्ले का दूकानदार ठीक तरह से अनुपालन नही करता तो उसके विरुद्ध लाइसेन्स के निरस्तीकरण की तुरन्त कार्यवाही की जायेगी ।

3---यह सत्य है कि बनस्पति के मूल्य वृद्धि से उपभोक्ताओं को कुछ कठिनाई होगी परन्तु राज्य सरकार ने उनका बोझ हल्का करने के लिये उपरोक्त कदम उठायें हैं, जिससे कि कम से कम मूल्य वृद्धि की तिथि के स्टाक उपभोक्ताओं को पुराने मूल्यों पर मिल सके । साथ ही साथ शासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि इस प्रदेश में स्थिति समस्त बनस्पति घी की फैक्ट्रियां जो कुछ समय से या तो बन्द हो गई थीं या न्यूनतम उत्पादन कर रहीं थीं, वह तुरन्त चालू हो जांय और अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन अविलम्ब आरम्भ कर दें। आशा है कि शीघ्र ही बनस्पति घी की पर्याप्त उपलब्धता प्रदेश में हो जायेगी ।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)---

बनस्पति के सम्बन्ध में तो कहा गया है कि पुराने स्टाक उपभोक्ताओं को पुराने मूल्यों पर मिलें लेकिन खाद के बारे में सरकार को क्या दिक्कत है, कि जो पुराने स्टाक हैं, उनको पुराने मूल्यों पर ही किसानों को दिया जाय ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सायंकाल इस सम्बन्ध में मेरा वक्तव्य है। उससे पहले मैं उस वक्तव्य को प्रकाशित नहीं करना चाहता हूं। माननीय सदस्य कुछ संतोष कर लें।

अभी जो खाद्य मंत्री जी की ओर से जो वक्तव्य दिया गया है, उस सिलसिले में 1—2 बातें और जोड़ना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दें।

बनस्पति के 15 जून से पहले से उपलब्ध स्टाक को पूर्व निर्धारित दामों पर बिकवाने के आदेश समस्त जिला अधिकारियों को दिये गये हैं। इन आदेशों के अनुपालन में जिला अधिकारियों द्वारा जो कार्यवाही की गई हैं, उसकी सूचना कुछ जिलों से प्राप्त हो गई है। जिला वार स्थिति इस प्रकार है :—

लखनऊ में 6,894 टिन 2 किलो के 15 जून, 1974 से पहले के थे। इनमें से 50 प्रतिशत राशन की दुकानों पर वितरण हेतु दे दिये गये और 50 प्रतिशत शादियों क लिय विशेष परमिटों पर बांटा जा रहा है। अब तक कुल, 3,000 टिन 2 किलों के, राशन की दुकानों को दिये जा चुके हैं। शीघ्र ही और सप्लाई आने की उम्मीद है जो कि पुनरीक्षित दरों पर बिकेगी।

कानपुर—

में 2,599 टिन 16.5 किलो के 7,478 टिन 4 किलो के और 18,930 टिन 2 किलो के अर्थात् कुल 1.10 लाख किलो बनस्पति का पुराना स्टाक प्राप्त हुआ है जिसका वितरण राशन की दुकानों पर परमिटों पर करवाया जा रहा है।

वाराणसी—

में लगभग 80,000 किलो बनस्पति का पुराना स्टाक प्राप्त हुआ जिसमें से 4,785 किलो बनस्पति ऐसा था जिसको सम्बन्धित दुकानदारों द्वारा हिसाब में नहीं दिखाया गया था। इसको भी राशन की दुकानों व परमिटों पर बांटा जा रहा है।

ऋषिकेष —

में लगभग 1,000 टिन ऐसे बरामद हुये जिनका दुकानदारों द्वारा हिसाब नहीं रखा गया। इस बरामद बनस्पति को पुरानी दरों पर बटवाने की कायवाही की जा रही है तथा सम्बन्धित दुकानदारों के विरुद्ध भी डी0 आई0 आर0 के अन्तर्गत कायवाही की जा रही है।

मेरठ—

में 47,140 किलो बनस्पति का पुराना स्टाक निकला जिसको बटवाया जा रहा है।

मुरादाबाद—

में 2,680 टिन 2 किलो के और 331 टिन 16.5 किलो के अर्थात् लगभग 10,000 किलो बनस्पति बरामद हुआ है। जिसे राशन की दुकानों व परमिटों द्वारा पुरानी दरों पर बटवाया जा रहा है।

इलाहाबाद—

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इलाहाबाद में भी बनस्पति के स्टाक की चैकिंग की गई है कितना स्टाक बरामद हुआ और वितरण की क्या व्यवस्था की गयी, इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की जा रही है।

अन्य जिलों के सम्बन्ध में सूचनायें एकत्रित की जा रहीं है।

मान्यवर, केन्द्रीय सरकार को, खाद्य मन्त्री जी को, एक पत्र भी लिखा है और उनको तार भी दिया है कि हमारे पुराने स्टाक पर हमारा सदन और हमारा प्रदेश यह स्वीकार नहीं

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

करेगा कि दाम बढ़े और मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने बड़ी सतर्कता से काम लिया और करीब-करीब सारे शहरों में वनस्पति के स्टाक को पकड़ा।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना इस चीज में जाये कि गवर्नमेन्ट अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर रही है या नहीं कर रही है, मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने एक्चुअली कितना स्टाक सीज किया और प्रति दिन हमारे प्रदेश में वनस्पति घी का इस्तेमाल या खर्चा क्या है? इससे मैं यह नतीजा निकालना चाहता हूं कि आपने जो स्टाक छीना वह कितने दिनों तक काम देगा?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैंने अभी कुछ शहरों की सूचना दी, सारे प्रदेश की सूचना अभी मेरे पास नहीं आयी है। मुझे आशा है 2—3 दिन के अन्दर पूरे प्रदेश की सूचना प्राप्त हो जायगी। प्रति दिन का कितना खर्चा है ये आंकड़े मेरे पास नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो बनस्पति की फैक्ट्रियां हैं, उनकी उत्पादन क्षमता क्या है और क्या सरकार प्रयास करेगी कि अपनी पूरी क्षमता के अनुसार शीघ्राति-शीघ्र उत्पादन आरम्भ कर दें? यदि हां तो कब तक?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उत्तर प्रदेश की जो फैक्ट्रीज हैं उनकी क्षमता करीब 12,000 टन से अधिक है और अब तक जो हमारा एलाटमेन्ट केन्द्रीय सरकार से होता है वह लगभग 6,000 टन होता है। पूरी क्षमता से कारखाने चलते नहीं हैं, उनमें कठिनाइयां होती हैं। पूरे देश में 22,000 टन उत्पादन की क्षमता है। हमारी जो टोटल रिक्वायरमेन्ट हैं, उन्हें हम पूरा कर सकते हैं लेकिन इस वक्त तेल और अनेक तरह की दिक्कतें हैं और कारण यह है कि कारखाने पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। मूल्यों के बढ़ने के बाद हमारे कारखाने चलने लगेंगे और हमें आशा है कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी आवश्यकता है, उतनी तो हम अपने ही कारखानों से पूरा कर सकेंगे।

चौधरी चरण सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि इस बीमारी का असली कारण क्या है? यह कीमत तो इसी तरह बढ़ती ही रहेगी। कुछ दिन यह भी रहेगी, आप जो पाबन्दी लगा रहे हैं, फिर बढ़ जायगी तो समस्या का असली हल क्या है, उसके लिये गवर्नमेन्ट क्या विचार कर रही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बात यह है कि मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो बनस्पति के उत्पादक हैं बड़े कारखानेदार, इन्होंने बनस्पति की पहल तो लोगों की आदत डाल दी और उसको कुछ सस्ता बेचा, वह अपनी लूट लगाना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह है कि पुराने स्टाक पर मुनाफाखोरी की जो प्रवृत्ति है उसको रोक सकें। क्योंकि इन बनस्पति बनाने वालों की जमाखोरी और मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति बन गयी है।

चौधरी चरण सिंह—

मैं यह कहना चाहता हूं कि मुनाफाखोरी और जमाखोरी का सवाल स्केयरसिटी कंडीशंस में ही उठता है, जब किसी चीज का अभाव होता है। तभी दुकानदार ही नहीं गृहस्थी भी जमाखोरी करते हैं और ब्लेक मार्केटिंग भी होता है। कायदे के खिलाफ छिपा कर किसी चीज को बेचना यह तभी सम्भव है जब कमी हो। तो यहां भी यही कारण है और मुख्य कारण

है वेजिटेबिल आयल का पैदा न होना और गुस्ताखी मांफ हो, आपका और आपकी पार्टी का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की ओर ध्यान न देना। जब तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा आप ग्राउन्डनट के प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हजार प्राफिटियर्स और जमाखोरों को बन्द करा दीजिये, मसला हल होने वाला नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब ने जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात कही तो हम यह नहीं कहते कि हर क्षेत्र में प्रोडक्शन बढ़ गया। देश की शक्ति और साधन को देख कर अलग-अलग सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया है। इतना जरूर उनसे ऐग्री करता हूं कि अगर बहुतायत से चीज पैदा होने लगे तो स्केयरसिटी की गुंजायश नहीं रहेगी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मुख्य मन्त्री जी ने अभी बतलाया कि बनस्पति के जो मैन्यूफैक्चरर्स हैं वह घी की कीमत बढ़वाने के लिये दबाव डालते हैं और स्केयरसिटी की पोजीशन पैदा करते हैं और उनकी जमाखोरी और मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति है। अब सरकार अगर स्केयरसिटी कंडीशंस को एलाऊ करती है और उनके दबाव में आकर के कीमत भी बढ़ाती है और वह स्केयरसिटी पैदा करने के लिये कारखाने भी बन्द करते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे मुनाफाखोरों, चोरबाजारी करने वालों और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ डी० आई० आर० के मातहत कोई कार्यवाही सरकार ने की और कोई मुकदमें चले ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह तो आपके सामने कहा गया कि डी० आई० आर० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। जहां तक उत्पादकों का सवाल है तो हमने दो बात कही हैं। एक तो हम उनको बिजली दे रहे हैं, इस ख्याल से कि जो कुछ गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने तेल और मूंगफली उनको दी है तो उसका उपयोग करें और बनस्पति बनावें। अब वह अकड़ रहे हैं और कहते हैं कि पुराने दामों पर बिचवाओगे तो घी नहीं देंगे। तो हमने कहा कि दूसरा कानून हमारे पास है—घी के कारखाने अपने हाथ में लेकर इस काम को आगे बढ़ायेंगे। ऐसी बात नहीं है, जानबूझ कर कहीं कोई लपेट में आयेगा तो छोड़ेंगे नहीं और अगर नहीं आयेगा तो जबरदस्ती तो किसी को पकड़ेंगे नहीं।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय खाद्य मन्त्री ने अपने विभाग के द्वारा कोई ऐसी डिटेल इंक्वायरी करायी है कि जो बनस्पति घी के पैदा करने वाले कारखानेदार हैं उनकी क्या-क्या कमियां हैं और अगर ऐसी कोई इंक्वायरी कराई है तो उसकी पूर्ति की जाय ताकि आये दिन जो कमी होती है वह दूर हो?

दूसरी बात यह है कि क्या वह यह मुनासिब समझती है कि जो मूंगफली की पैदावार होती है उसकी कीमत में और घी की पैदावार की कीमत के अनुपात को ऐसा जोड़ दिया जाय कि आये दिन जो घी की कीमत घट-बढ़ रही है वह आये दिन न हो सके और जनता को तकलीफ न हो ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

समय-समय पर बनस्पति बनाने वाले कारखानों के जो मालिक हैं उनसे राज्य सरकार परामर्श करती रही है। उन्होंने अपनी दिक्कतें भी हमारे सामने बतायीं। इस सिलसिले में हमने दो-तीन मीटिंग्स कीं उनके साथ। उन्होंने अपनी कठिनाइयों को मेमोरेंडम की शक्ल में दिया। उसमें मुख्य रूप से तेल की कठिनाई, टिन की कठिनाई और कोयले की कठिनाई

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

बतायी गयी है। उनका कहना था कि प्रतिदिन दो हजार रुपये का घाटा उनको होता है क्योंकि मूंगफली का तेल और जो सबसिडाइज्ड तेल पहले उनको मिल रहा था उसमें कमी हो जाने के कारण मूंगफली का तेल काफी महंगा है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही भारत सरकार समय-समय पर बनस्पति का मूल्य निर्धारित करती है। माननीय सदस्य को मालूम है कि अभी-अभी जब यह प्रश्न आया तो केन्द्रीय सरकार ने बहुत विचार करने के बाद और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि जो कारखाने चलाने में कठिनाइयां और घाटा हो रहा था उसको देखकर इकोनामिक तरीके से काम हो सके मूल्य की वृद्धि की है।

एक सदस्य--

मुख्य मन्त्री जी ने कहा उस पर जरा विचार कर के देख लें। जमाखोरी और भ्रष्टाचार की बात। तो मेरा सुझाव यह है कि यह जमाखोरी और भ्रष्टाचार का सवाल उठता है लेकिन सरकार ने खाद का दूना दाम कर दिया है.....

श्री अध्यक्ष--

यह वक्तव्य होगा। आगे चल कर बजट पर कह सकते हैं।

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मैं आपकी आज्ञा से खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं आपकी आज्ञा से खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "झ" आगे पृष्ठ 715--720 पर)

दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

मैं आपकी आज्ञा से दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 721—724 पर)

श्री अध्यक्ष—

यह दो 19, 20 को लिये जायेंगे।

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप "हां" और "न" कह जाते हैं लेकिन हम विपक्ष के लोग कभी "हां" या "न" कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। इसलिये आपको यह कहना चाहिये कि जो "हां" के पक्ष में हैं वह "हां" कहें और जो "न" के पक्ष में हैं वह न कहें।

श्री अध्यक्ष——

ऐसी परम्परा चल जाय तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज सात सूचनायें नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त हुई हैं। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की है—प्रदेश में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था के बारे में। माननीय ओम प्रकाश सिंह की है—पुलिस सब इन्सपेक्टर श्री मदन मोहन पाठक के वेतन के सम्बन्ध में। माननीय जगन्नाथ सिंह परमार की बांदा जिले में गेहूं की वसूली के सम्बन्ध में। माननीय रघुनाथ सिंह की ललितपुर जिले में गेहूं की वसूली पर। माननीय सत्य प्रकाश मालवीय की इलाहाबाद के भूतपूर्व विधायक श्री राजित राम पांडेय की हत्या के बारे में। माननीय रामसेवक यादव और माननीय मधुकर दिघे की प्रदेश में बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था के बारे में। माननीय ऊदल व अन्य की है प्रदेश के तराई इलाकों से धान की तस्करी। यह सभी विषय ऐसे हैं जिनको सामान्य चर्चा के समय उठाया जा सकता है.....

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

हमारा प्रश्न बड़ा अहम है.....

श्री अध्यक्ष——

इस सम्बन्ध में यहां पर दिये गये निर्णयों के संकलन में निर्णय संख्या 36 में आप देखें, आय-व्ययक विवाद के दिन में केवल उन्हीं विशेष महत्व के कार्य-स्थगन प्रस्तावों को विवाद के लिये स्वीकार किया जा सकता है जिनके बारे में अध्यक्ष को यह आभास हो जाय कि आय-व्ययक के विवाद में उन प्रश्नों को उठाया नहीं जा सकता अथवा उतनी चर्चा उन पर नहीं हो सकती जितनी कि होनी चाहिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अध्यक्ष महोदय ....

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, प्रदेश में बिजली की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। औद्योगिक आस्थानों को बिजली नहीं मिल रही है। सारा औद्योगिक उत्पादन ठप्प पड़ा है। जब माननीय मुख्य

[श्री राम सेवक यादव]

मन्त्री जी बने थे, उन्होंने घोषणा की थी कि एक हफ्ते में बिजली की समस्या हल हो जायेगी, पर आज कई हफ्ते गुजर गये। यह तात्कालिक व्यवस्था का प्रश्न है। हजारों मजदूर आज बेकार पड़े हैं। इसलिये चर्चा के लिये उसको आप स्वीकार करें, यह कामरोको का निश्चित रूप से विषय है.....

श्री अध्यक्ष ——

सामान्य बहस में आप कह सकते हैं।

श्री रामसेवक यादव——

उसमें उत्तर हर बात का कहां आ पाता है। एक विषय पर ही बोला भी नहीं जा सकता। यह तब एक स्पेसिफिक सवाल है, बड़े महत्व का है, लोक महत्व का है, इसे स्वीकार कीजिये।

श्री अध्यक्ष——

आपको समय मिलेगा, आप सामान्य चर्चा के समय कह सकते हैं।

श्री रामसेवक यादव——

उसम हमको समय मिलता है या नहीं, यह अलग बात है, यह विषय ऐसा है जिस पर तुरन्त चर्चा की आवश्यकता है। इसके कारण खेती की पैदावार पर असर पड़ रहा है, औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ रहा है, हजारों मजदूर बेकार हैं। यह सरकार का फेल्योर है। इसके ऊपर यहां चर्चा होना चाहिये।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)——

मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है मेरा प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। यह मामूली नहीं है। इसको साधारण तरीके से न लिया जाय। आज उत्तर प्रदेश में तस्करी की घटनायें बढ़ती जा रही हैं। इस सदन में चौधरी चरणसिंह ने एक प्रश्न उठाया था कि बाजरे की तस्करी दिल्ली को कुछ फर्जी फर्मों द्वारा हो रही है। आप देखें 3 लाख टन धान बीज के नाम पर स्मग्ल कर दिया गया और इस तस्करी में बहुत बड़े-बड़े लोग इन्वाल्व हैं। बड़े-बड़े लोगों के सुपुत्र इसमें शामिल हैं। केन्द्रीय मन्त्री के एक सुपुत्र इस तस्करी में शामिल हैं। और अन्य कई बड़े-बड़े अधिकारी तस्करी में इन्वाल्व हैं। मेरा कहना है कि आप इसको एक साधारण समस्या न समझें, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष——

इस पर बजट की आम बहस में चर्चा हो सकती है।

(शोर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)——

यह एक महत्वपूर्ण मसला है। लेकिन अगर इसमें बड़े-बड़े लोग इन्वाल्व हैं तो जो तथ्य हैं वह सामने आने चाहिये। इस पर वक्तव्य आ जाये। इस पर बहस तो होनी ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष——

मैं तो कह रहा हूं कि बजट की आम बहस में चर्चा कर लें।

(शोर)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं आज बिजली के कटौती के सवाल पर। आप 6 घंटे बिजली देने का वादा किये थे। लेकिन हमें आधे-आधे घंटे बिजली मिलती है। तीन-तीन दिन बिजली गायब रहती है। हमारे जिले का यह हाल है। एक तरफ आपकी पुलिस है और आपके बड़े-बड़े अधिकारी हैं जो किसानों ने बीज का गेहूं अपने भूसे में छिपा रखा है उसको निकाल कर ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ देहातों में गन्ना सूख रहा है। किसान का खेत सूख रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर पूरा बयान दे और बिजली की क्या स्थिति है उसको पेश करे और उसको ठीक करे। आज सबसे ज्यादा किसान पर हमला हो रहा है। आजमगढ़ जिले में 6 घंटे में दो घंटे या एक घंटे बिजली मिल रही है।

श्री अध्यक्ष——

इस पर विचार आगे होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी श्री त्रिपाठी जी ने कहा कि यह जो तस्करी हो रही है यह आप सबके सामने हो रही है और इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मान्यवर यह एक जरूरी सवाल है।

खाद्य तथा रसद मन्त्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, अखबारों से जो सूचनायें मिली हैं उनके आधार पर, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उपस्थित किये उनके आधार पर और सरकार के सामने भी कुछ इस तरह की सूचनायें आयीं, इसके आधार पर तुरन्त हमारे विभाग के अधिकारी इसके लिये नियुक्त किये गये हैं जो छान-बीन कर रहे हैं। सरकार तत्काल कदम उठा रही है। पिछले महीने केन्द्रीय सरकार की नोटिस में भी यह बात लायी गयी है। बीज के लिये गल्ला जो रखा है उसको नहीं लिया जा रहा है। और गल्ले की वसूलने के लिये केन्द्रीय सरकार से इजाजत ले ली गयी है। तस्करी के बारे में सरकार पूरी तरह से जांच कर रही है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना बड़ा हो या छोटा हो इस मामले में पकड़ा जायगा, सरकार उसे माफ नहीं कर सकती।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आप देहात में देखिये, मारकेटिंग इन्सपेक्टरों के ऊपर बड़े-बड़े लोगों का दबाव डाला गया है। वहां ज्यादती हो रही है आप सब चीजों को देखिये।

(शोर)

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष महोदय, वैसे आपने जो कहा था उस आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। आपने ठीक कहा था कि यह सब प्रश्न तत्काल बजट की आम बहस में सामने आयगे और प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। इस माननीय सदन में एक प्रश्न बिजली का आया था। अब दोनों प्रश्नों के अतिरिक्त और भी बड़े लोक महत्व के प्रश्न होंगे। जहां तक इस बिजली का सवाल है, सदन में भाषण देने के बाद अखबारों में जो चर्चा हुई उसको माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि बदरपुर से जो बिजली आती थी वह किस तरह से बन्द हो गई, दिल्ली में किस तरह से ब्रेक-डाउन हुआ, मध्य प्रदेश से जो बिजली आती थी वह कम हो गई। हमारा ओबरा का प्लान्ट खराब हुआ अभी दो दिन हुए। मशीनों को ठीक रखने का हर वक्त आदमी कोशिश करता है, लेकिन कितनी ही कोशिश क्यों न करें कहीं न कहीं भूल-चूक हो जाती है। मेरा ऐसा ख्याल है कि बिजली की कमी जो हमारे यहां उस दिन थी जिस दिन बजट पर भाषण दिया, उससे ज्यादा कमी नहीं हुई। केवल 230 मेगावाट के बीच हुई है। आज दिन से ऐसी आशा है कि करीब 100 मेगावाट की कमी पूरी हो जायगी।

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

जहां तक तस्करी का सम्बन्ध है गल्ले की, एक बार किसी बड़े पार्लियामेंटेरियन ने कहा था कि जब कभी कोई बात कहीं जाती है तो उस पर सरकार ध्यान नहीं देती तो ऐसी सरकार ठीक नहीं होती है। लेकिन मान्यवर, इस तस्करी के सम्बन्ध में सबसे पहले 8 तारीख को जून के महीने की, हमारे पास कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कुछ सूचनायें आई कि सीड के नाम पर गल्ला बाहर जा रहा है। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने जो रेगुलेशन्स बनाये हैं उसके अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार गल्ले का या सीड का, उन्हीं के आदेश से चलता है।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

एक इन्ट्रक्शन है। कल जो होल-सेल व्यापारियों का प्रतिनिधि-मण्डल ने जब आपसे मुलाकात की थी, तो क्या उन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया था कि हजारों टन पैडी बाहर जा रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मेरा सारा मन्त्रिमण्डल बैठा हुआ है, उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन एक कांग्रेस कमेटी के मण्डल के अध्यक्ष ने मुझे तार भेजा और वह तार मैंने खाद्य विभाग को दे दिया और विभाग ने जांच का काम चालू कर दिया। मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूं कि हमने यह जांच सी० आई० डी० को भी दे दी है कि वह पूरी तरह से छानबीन करे। न सिर्फ खाद्य विभाग के अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे बल्कि सी० आई० डी० से भी अलग से रिपोर्ट आयेगी। जैसा खाद्य मन्त्री जी ने कहा, मैं भी आपको स्पष्ट कह सकता हूं कि जितनी भी अभी तक सूचना प्राप्त है उसके आधार पर, सरकार के किसी भी मन्त्री का इसमें दूर का सम्बन्ध नहीं है। केन्द्रीय विभाग के किसी मन्त्री का है या नहीं है, यह मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। चौधरी साहब जो सबसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं वह भी जानते हैं कि जब ऐसे अन्तर्राज्यीय मामले होते हैं तो उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य जाना आना होता है तो उसमें देर लगती है।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)--

इतने दिनों से यह बात चल रही है और मन्त्रिमण्डल को ज्ञान न हो सका कि ऐसे स्कैंडल को रोका जाय और पनिश किया जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं तो बोल रहा था, मेरी बात तो पूरी हो जाने देते। सरकार ने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन उसी दिन से कर दिया जब पहले पहल सूचना मेरे पास आई। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि 3 करोड़ है या 30 लाख है और न ही कोई राय देना चाहता हूं लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि सदन के उठने से पहले जितनी भी सूचना मेरे सामने आयेगी चाहें वह अन्तरिम रिपोर्ट होगी या पूरी रिपोर्ट होगी, मैं इस सदन के सामने रख दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इससे पहले कि मैं सामान्य चर्चा आय-व्ययक पर चलाने के लिये कहूं नेता विरोधी दल से, मैं एक निवेदन करूंगा जैसा कि पूर्व के वर्षों में हुआ है, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन के लिये कोई समय की पाबन्दी नहीं रखी गयी है। इस सम्बन्ध में वैसे ही रहेगा। दूसरे दलों के जो नेता है, मैं समझता हूं कि, उनको पारसाल 20 मिनट दिया था वैसे जैसा सदा-सर्वदा होता आया है कि बिरोधी दल के नेता तथा मुख्य मंत्री पर कोई समय की सीमा नहीं है परन्तु अन्य नेता जो बिरोधी दलों के हैं उनको 20 मिनट पारसाल दिया था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब मैं खड़ा होता हूं तो 15-20 मिनट ही बोलने देते हैं तो इसका मुझे नुकसान न होने पावे।

श्री अध्यक्ष—

पिछले साल 25 मिनट दिया था परन्तु इस साल आधा घंटा दे रहा हूं और शेष सदस्यों को 10 मिनट ।

श्री गोविंद सिंह नेगी—

मान्यवर इस साल 15 मिनट बोलने के लिये देंवे ।

श्री अध्यक्ष—

यदि उसी समय बोलना चाहते हैं तो 15 मिनट हम दे देंगे लेकिन बाद में कम करना पड़ेगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

यह यदि अच्छा बोलें तो विचार कर लिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

हां यदि कोई सदस्य अच्छा बोलेगा और तैयारी के साथ बोलेगा तो उसके साथ थोड़ी रियायत हो जायेगी ।

नेता विरोधी दल द्वारा कृषि आयुक्त से मांगी गई सूचना न मिलने पर आपत्ति

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

पेश्तर कि इसके कि मैं अपने बिचार बजट के सिलसिले में पेश करूं मैं एक और प्रश्न सदन के सामने उठाना चाहता हूं। मैंने 11 तारीख को कृषि आयुक्त को एक लेटर लिखा था और उसका जवाब आया माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से और उन्होंने यह लिटरेचर मेरे पास मेहरबानीं के साथ भेज दिया। मेरा पत्र यह था कि कृषि आयुक्त यदि संभव हो तो कल तक मेरे पास निम्न सूचना भिजवाने की कृपा करेंगे :—

1—कितना क्षेत्रफल जिसमें अन्न की फसल बोई गई है ।

2—उक्त क्षेत्र में हर वर्ष कितना सिंचित क्षेत्र रहा और कितना असिंचित रहा ।

3—मुख्य –मुख्य फसलों का क्षेत्रफल हर वर्ष कितना रहा है ।

4–क्राप कटिंग सर्वे से पांच वर्षों की मुख्य मुख्य-फसलों की कितनी-कितनीं पैदावार हुई ।

5—एक एकड़ अन्न पैदा होने वाली भमि को कितना नाइट्रोजन खाद चाहिये ।

6—सरकार 5 वर्षों में कितनी-कितनी खाद दे पाई है और इस वर्ष का क्या अनुमान है ।

अध्यक्ष महोदय मैंने यह इत्तिला उनसे चाही थी। मैं जानता हूं कि यह इत्तिला 2 घंटे के अन्दर मेरे पास भेजी जा सकती थी क्योंकि हमारे यहां एक कृषि विभाग में स्टेटिक्स का विभाग है जो बहुत दिनों से चल रहा है। पहले तो वह बहुत अच्छा था परन्तु अब नहीं मालूम कि उसकी इफीसेंसी क्या है ? यह विभाग ज्वाइंट डाइटरेक्टर के चार्ज में है। क्राप कटिंग सर्वे हर वर्ष के होते हैं। क्राप कटिंग इक्सपेरीमेंट्स होते रहते हैं। उनके आधार पर आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं। और वह आंकड़े पब्लिश हैं। उन आंकड़ों के कांफीडेन्शियल होने का सवाल नहीं है। वे आंकड़े पब्लिकली भी पब्लिक होते हैं। इस सदन में भी दिये जाते थे। मुझे नहीं मालूम कि अब दिये जाते हैं या नहीं। उनके हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं। एक महकमा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[चौधरी चरण सिंह]

इसके लिये है और जिसे कहते हैं एट ए मोमेन्ट्स नोटिस यह मिल सकते थे। वह आंकड़े आ जाते तो मैं अपने विचार अच्छी तरह से प्रकट कर सकता था कि कृषि का क्या हाल है, प्रगति हो रही है या नहीं, प्रोडक्शन पर एकड़ बढ़ रहा है या नहीं और इस वर्ष का एस्टीमेटेड प्रोडक्शन क्या है ?

आप एन्टायर सरप्लस किसानों से लेना चाहते हैं तो आपका कितना एस्टीमेट है। पिछली रबी का कितना प्रोडक्शन और अब कितना है। इसके पहले रामकृष्ण डायरेक्टर थे। वह अलाहदा हो रहे थे। मेरे पास इनका दफ्तर है। निकलते हुए मेरे पास आये। मैंने पूछा कि अब की बार रबी का प्रोडक्शन कितना है। उन्होंने कहा कि अब की बार एस्टीमेट 62 लाख का है। मैंने कहा पिछले वर्ष कितना था। उन्होंने बतलाया 76 लाख टन। तो 76 लाख से 62 लाख पर प्रोडक्शन आ गया और फिर आपकी यह स्कीम है तो मैं इस वक्त उसके मैरिट्स पर नहीं कहूंगा। तो मैं यह जानना चाहता था लकिन अध्यक्ष महोदय हुआ यह कि मुख्य मन्त्री जी ने मुझ को एक खत लिखा और उन्होंने बड़ी शराफत से मेरे पद की गरिमा वगरह का भी जिक्र कर दिया। मुझ ऐसा लगता है कि अगर वह बहुत शरीफ आदमी न होते और उमर में भी मुझसे छोट न होते तो वह कह देते कि आपने क्रिमिनल एक्ट किया है, आपको प्रासिक्युट क्यों न किया जाय! आपका खत इस तरह है। प्रिय चौधरी साहब, आपन कल कृषि आयुक्त को एक नोट भजा था जिसमें कृषि सम्बन्धी कुछ आंकड़े की सूचना चाहते थ। कुछ विभागीय प्रकाशनों की प्रतियां जिनमें आंकड़े दिय हुए ह आपको अलग से भेज रहा हूं। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग उपलब्ध करन म असमर्थ है मेरा विनम्र निवेदन है कि भविष्य में सूचना उपलब्ध करान क लिये सम्बन्धित मन्त्रियों को पत्र लिखा करें तो आपक पद की गरिमा क लिय अनुकूल होगा। कष्ट के लिये क्षमा।

अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं इस सिलसिले में कुछ कहूं, मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त सूचना विभाग उपलब्ध करन में असमर्थ है इसक क्या मतलब हैं ? क्या इसका मतलब है कि आप सूचना देना नहीं चाहते या यह मतलब है कि वह सूचना मौजूद नहीं है। मुख्य मन्त्री जी शायद इसलिए जवाब नहीं दे रहे ह कि मैं खड़ा हुआ हूं। इसलिए मैं बैठे जाता हूं।

मुख्य मन्त्री श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मैं अनुगृहीत हूं चौधरी साहब का कि वह कृपा रखते हैं। उनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पत्र लिखन का कोई दूसरा आशय नहीं था सिवाय उसके जो उसमें लिखा हुआ है।

चौधरी चरण सिंह—

'असमर्थ' के माने जानना चाहता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या आप लिखते कुछ और हैं और अर्थ कुछ और होता है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जो लिखा है वही उसका आशय है। इट इज नाट कपेबुल आफ टू इन्टरप्रीटेशंस। उसमें चाहे चौधरी साहब भला माने या बुरा मानें, उसे भला बतलायें या बुरा बतलायें। चौधरी साहब ने एक नोट लिखा कृषि आयुक्त को। संसार की संसदीय परम्परा में संसद के सदस्यों से सेक्रेटरियट से सीध-सीधे पत्र व्यवहार न करके उसक बजाय...

चौधरी चरण सिंह—

वह तो मैं बाद में अर्ज करूंगा कि संसदीय प्रणाली क्या है। यहां क्या है, इंडिया की पार्लियामेंट क्या है, वह सवाल अलग है। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि आपने लिखा है कि उपलब्ध कराने में असमर्थ हूं। हो सकता है, मान्यवर, मैं हिन्दी अच्छी तरह से नहीं जानता। असमर्थता के दो मायने हो सकते हैं। आया अवेलेबिल नहीं है या आप मुझे अवेलेबिल नहीं करना चाहते।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, 12 घंटे में अवेलेबिल नहीं कर सकता। वैसे मान्यवर, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी में मैं भी कमजोर हूं, जैसे कि चौधरी साहब हैं।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह तरीका मुख्य मन्त्री जी का रहा है। मैं बहुत संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि वह सबसे बड़े स्टेट के मुख्य मन्त्री हैं। उनकी बहुत जिम्मेदारी है। बात को इस तरह से नहीं टाला जा सकता कि मैं हिन्दी में कमजोर हूं। सीधी सी बात है जो आप कह देते कि आफिस ने बतलाया है कि आंकड़े नहीं हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, इतनी जल्दी नहीं दे सकते थे।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, अब दूसरी बात कह रहे हैं। आंकड़े मौजूद हैं, इतनी जल्दी नहीं दिये जा सकते। आप यही लिख देते। मैंने 11 को लिखा और आपने जवाब 12 को दिया। मैंने लिखा था कि आप कल शाम तक दे दें। मैं कहता हूं कि अगर आप आफिस से कह दें तो दो घण्टे के अन्दर वे आंकड़ आ जायें। चीफ सेक्रेटरी से कहिये, भेजें। उसके जो ज्वाइन्ट डाइरेक्टर हैं, वह कोई मि० त्यागी हैं। पहले आफिसर डा० कृष्ण थे, जो रिटायर हो गये हैं। आफिस में आंकड़े मौजूद हैं। मैंने 11 को लिखा कि कल शाम तक दे दें। 12 को 30 घण्टे बाद बताते हैं कि असमर्थ हूं। कारण कुछ नहीं बताते। आप कह सकते थे कि कल भेज देंगे, परसों भेज देंगे, लेकिन आपकी यह मन्शा नहीं थी। आपकी जो मन्शा थी, वह यह थी कि दैट यू आर नाट इनटाइटिल्ड टू दीज स्टटिस्टिक्स।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सर, आई ऐम बीइंग मिसअण्डर स्टुड कम्प्लीटली।

चौधरी चरण सिंह—

तब आपने साफ क्यों नहीं लिख दिया...

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आपने लिखा कल भेज दो। मैंने जितना समझा, उतना कर दिया। जो बाकी बता रहे हैं, वह भी कर देंगे।

चौधरी चरण सिंह—

नहीं मान्यवर, यह बात नहीं है। बात दरअसल यह है कि आप समझते हैं कि अपोजीशन को राइट नहीं है। आप समझते हैं कि दैट यू आर दि ओनर आफ दि स्टेट।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सर, दिस इज ऐन इललिजीटीमेंट एलीगेशन.....

चौधरी चरण सिंह—

आप समर्थ के मायने दो लगा सकते हैं एक यह कि अवेलेबिल नहीं है और दूसरे यह कि देना नहीं चाहते। यह कहना कि देर लगेगी, इसलिये असमर्थ हैं, गलत है। अध्यक्ष महोदय, आप मुझको किताबें भेजते हैं कि मैं उनमें से देख लूं। आप जरा देखिये ये किताबें क्या हैं! कहते हैं कि इन किताबों से इंफार्मेशन मिल जायेगी। एक किताब है—सांख्यकीय डायरी 1971, इसका मतलब यह कि 1974 तक इंफार्मेशन तैयार नहीं हुई। मैं इन किताबों को यहां लाया हूं कि सबको दिखला दूं। दूसरी है, एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश। पता नहीं यह कितनी पुरानी किताब है और इसमें मुझे क्या पढ़ना है। आप कहते हैं कि कृषि उत्पादन एवं भूमि संरक्षण देखें। एक है, कृषि प्रगति की रूपरेखा। फर्टिलाइजर्स एण्ड एलाइड स्टेटिस्टिक्स एक है, इसमें कुछ नहीं है। सीधी सी बात है। इन किताबों को भेजने का मतलब यह है कि वहां इंफार्मेशन अवेलेबिल है ही नहीं। मान्यवर, इस तरह से इनएफीसियेन्सी चरम सीमा पर है। वरना इन किताबों को भेजने का क्या मतलब! वैसे मुझे मालूम यह हुआ है कि इंफार्मेशन अवेलेबिल है, आपके पास तक आयी और आपने उसे रुकवा दिया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब, आई प्रामिज यू दैट नथिंग मोर दैन ह्वाट केम बिफोर यू हैज कम बिफोर मी।

चौधरी चरण सिंह—

इसका मतलब यह कि वह अवेलेबिल नहीं है। क्यों नहीं है। जबकि एक अलहदा ब्रांच इसी काम के लिए खुली हुई है। उनका कोई काम नहीं है। अब तक अवेलेबिल होते रहे हैं आज अवेलेबिल क्यों नहीं हैं? यह इंफामशन जिसको आप कहते हैं मैंने उनको क्यों लिखा, नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि मेरी गरिमा के अनुरूप नहीं था, यह बात सही नहीं है। मैंने कोई चोरी की बात नहीं की जो अफसरों से मैं कराना चाहता हूं। नाट ओनली एज ए लेजिस्लेचर बल्कि कोई प्राइवेट सिटीजन भी डायरेक्टर को लिखे कि हमें फलां-फलां इत्तिला दे दीजिये कि कितने-कितने रकबे में कौन-कौन सी फसल हुई है, किस हिसाब से हुई है तो ही इज बाउंड टु डू इट। उसका यह फर्ज है, उसे यह करना चाहिए पब्लिक की सेवा के लिए। हम और आप सब उसी की सेवा के लिए हैं। आप कहते हैं कि मेरी गरिमा के अनुरूप नहीं है अफसर को लिखना। इसमें गरिमा में कौन सी कमी आ जाती है? मालूम होता है आपने शिष्टाचार के नाते लिख दिया कि तुमको यह राइट नहीं था यह न लिखकर आपने लिख दिया कि आपकी गरिमा के अनुरूप नहीं था। लेकिन यह आपको मुगालता है।

मैंने किसी और मौके पर भी पहले कहा था कि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज में सरकार बड़े आदर के साथ मश्विरा लेती है अपोजीशन से जब तक कोई पालिसी की बात न हो। अपोजीशन को कांफिडेंस में लिया जाता है, कभी-कभी सरकार उसे फाइलें दिखाती है। यह सब वहां होता है जिनकी हम नकल कर रहे हैं जहां पर हिज मेजेस्टीज गवर्नमेंट है। लेकिन आपने यह समझ लिया क्योंकि आपकी मेजारिटी आ गई है लिहाजा एक्सक्लूजिव राइट इस सूबे का आपको ही केवल है वर्ना इस तरह की टोन के साथ आप मेरे पत्र का उत्तर न देते। मुख्य मन्त्री जी मुझे माफ करेंगे यह कहने के लिए जैसे एक सज्जन यह आरोप लगा रहे थे जो वाकयात हैं उनको आप छिपाना चाहते हैं क्या इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता? बजट भाषण में आपने कहा कि 74 लाख टन आप पैदा करेंगे वह पूरा हो ही नहीं सकता।

62 लाख टन आपने पैदा किया। कितना रबी में और कितना खरीफ में हुआ उससे पता चल जाता है आपकी क्या परफार्मेन्स है ? पहले आपने स्टेट ट्रेडिंग की स्कीम चलाई। वह फेल हुई तो दूकानदारों से लेने की बात की। जब वह स्कीम भी फेल हो गयी तो फिर जबरदस्ती रेड करके लोगों से वसूल किया जा रहा है। जब 76 लाख टन के बजाय 62 लाख टन ही पैदा हुआ है तो आपको यह मानकर चलना होगा कि हर किसान के यहां कम पैदावार हुई। इससे दूसरा आदमी यही नतीजा निकालेगा कि मुख्य मन्त्री हाउस से सच्चाई छिपाना चाहते हैं। अगर वह मना कर देंगे तो मैं उनकी बात मान लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री मुझे संसदीय पद्धति बतलाना चाहते हैं। मुझे खुशी होगी अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक भी नजीर वह निकाल दें कि वहां की सरकार ने कोई स्टैंडिंग आर्डर दिया हो कि कोई भी इंफार्मेशन जो पब्लिश कर दी गयी अथवा होने वाली है उसे सीधे अफसरों से मेम्बर आफ पार्लियामेंट नहीं मांग सकता। अध्यक्ष महोदय, यह हो ही नहीं सकता। यहां भी यह होता रहा है। सन् 64 का जी0ओ0 है। सुचेता जी के जमाने में यह सवाल उठा था और उस समय एक आर्डर निकला था कि लेजिस्लेटर्स बजाय इसके कि किसी इंफार्मेशन को मांगने के लिए सवाल करने पर मजबूर हों जिसमें बहुत टाइम लगता है व हेड आफ दी डिपार्टमेंटस से इंफार्मेशन मंगा सकते हैं। आप लिखिये तो कोई लेटर। उनका फर्ज है कि वे जवाब दें। मैं उसी के मुताबिक काम कर रहा हूं वरना मैं गुस्ताखी नहीं करता हूं। मैं भूल गया कि माननीय बहुगुणा जी का राज्य आ गया है यह मेरे से गलती हो गयी। 25 अगस्त, 1964 का वह सर्कुलर मेरे पास है जो कि माननीय बनारसी दास ने राज्य विधान मंडल के समस्त सदस्यों को संसदीय कार्य मन्त्री की हैसियत से दिया था। उन्होंने लिखा है—प्रिय बन्धु, राज्य विधान मंडल के सदस्य की हैसियत से आपको सम्भवतः अपने संसदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने या वाद-विवादों में भाग लेने के अतिरिक्त कभी-कभी सरकारी विभागों से सूचना प्राप्त करने अथवा उन्हें सुझाव सम्बोधित करने की आवश्यकता पड़ती है। इस उद्देश्य से कि आप सदन की जिसके आप सदस्य हैं, मान-मर्यादा एवं गौरव के अनुरूप संसदीय कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से पालन कर सकें, यह वांछनीय है कि केन्द्र में पहले से ही स्थापित परम्पराओं के समान यहां भी कतिपय परम्परायें स्थापित और विकसित की जायं। तदनुसार, इस राज्य में निम्नलिखित परम्पराओं को सुदृढ़ रूप में स्थापित करने के लिए मैं आपका सहयोग तथा सहायता चाहता हूं।

(1) सामान्य प्रकार के सभी विषयों में सरकार की सम्बद्ध शाखा के सचिव को सम्बोधित लिखित अनुरोध किया जा सकता है भले ही उस विषय पर अपेक्षित सूचना सम्बन्धी कार्यवाही सचिवालय में या उसके किसी संलग्न अथवा अधीनस्थ विभाग अथवा कार्यालय में की जाती हो। किसी भी दशा में शाखा या उसके सम्बद्ध अथवा अधीनस्थ विभागों तथा कार्यालयों के किसी अन्य अधिकारी को उसके नाम या पदनाम से पत्र सम्बोधित नहीं किये जाने चाहिए।

* * *

(4) सदस्यों को चाहिए कि वे ऐसे लोक-हित या राष्ट्रीय हित के विषयों में, जिनमें विधान मंडल के सदस्य की हैसियत से सार्वजनिक कर्त्तव्यों का पालन करने में दिलचस्पी लेने लगे हों, सूचना मांगे अथवा उनके सम्बन्ध में लिखें। निजी हितों को बढ़ाने के लिए अथवा न्यायालय में मुकदमेबाजी के लिए अथवा दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध किसी व्यक्ति विशेष को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए सूचना एकत्रित नहीं की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पहले से यह परम्परा चल रही थी। न कोई सुझाव आया न केन्द्र में ही कोई ऐसा रिवाज है और न इस तरह का कोई जी0ओ0 मौजूद है। बजट पर डिबेट होने जा रही है, सभी माननीय सदस्यों को उसमें हिस्सा लेना है। वह इंफामशन आउट हो चुकी है। अगर उस सूचना को देने में कोई आफिसर हीला हवाला कर रहे हैं तो

[श्री चौधरी चरण सिंह]

आपको आदेश देने चाहिए थे कि चौधरी चरण सिंह को यह सूचना भेजो। इस सिलसिले में मैं और अर्ज नहीं करना चाहता। हम अपने कर्तव्यों का अच्छी प्रकार से पालन नहीं कर सकते जब तक कि गवर्नमेंट अपने रिकार्ड्स को जो कि पब्लिश्ड हैं, सदस्यों को देने में छुपाती रहेगी। अगर मेरे पास कुछ इन्फार्मेशन होती तो उस सम्बन्ध में कुछ टिप्पणी करता। किन्तु फिर भी मैं आपसे चाहता हूं कि जिस सर्कुलर का मैंने हवाला दिया है उसके अनुसार माननीय सदस्यों जो अधिकार है कि सेक्रेटरी से इन्फार्मेशन वह मांगें जिससे कि उनके कार्य में और क्षेत्र के लोगों की सेवा करने में सुविधा हासिल हो।

श्री अध्यक्ष--

यह 21 जुलाई, 1972 का अर्द्ध-शासकीय पत्र है। उसमें लिखा है "विधान सभा/परिषद् में ऐसे प्रश्नों को नियन्त्रित करने तथा उनके उत्तर में अनावश्यक लग रहे श्रम, समय और व्यय को बचाने के लिए यह भी निश्चय किया गया है कि यदि ऐसे विषयों पर प्रश्नों को, जो लोक-महत्व अथवा सार्वजनिक हित के न होकर स्थानीय महत्व के या व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित हों, सदन में उत्तर के लिए ग्राह्य न करके सदस्यों से आपसे सीधे सूचना मांगने को कहा जाय और सदस्य तदनुसार आपसे सूचना मांगें तो आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इस प्रकार मांगी गई ऐसी समस्त सूचना जो गोपनीयता भंग किये बिना आपके विभाग अथवा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दी जा सकती हो, अविलम्ब सदस्यों को दी जाया करे और यदि ऐसी सूचना देना गोपनीयता के या अन्य किसी कारणवश व्यवहारिक न हो तो विनम्रतापूर्वक तदनुसार उन्हें सूचित कर दिया जाय"। तो यह इस अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 782(11) सं0/सत्रह 220-72 में दिया है जो संसदीय अनुभाग उत्तर प्रदेश सरकार का है। तो उसके अनुसार पूछ लेते हैं। पूछ सकते हैं। यही यदि पूछना है तो--

चौधरी चरण सिंह--

मुझसे आप क्या पूछते हैं? यह जो बिल्कुल गलत बात हुई है जो मुख्य मन्त्री जी से गल्ती हुई है, यह बिलकुल साफ है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सही-सही बिना किसी लगाव के आप यह कहें कि यह उनको सप्लाई करना चाहिए था और यह उनसे गलती हुई है। उनको भी इसे मान लेना चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, चौधरी साहब ने जी0 ओ0 पढ़ा, जो 1964 में जब वह भी मन्त्रि परिषद् के सदस्य थे, निकला था। उनकी जानकारी का कोई मुकाबला कर सकना किसी के लिए भी सदन में सम्भव नहीं है--

चौधरी चरण सिंह--

मैं इसका प्रोटेस्ट करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

देखिये, मैं खड़ा हूं।

चौधरी चरण सिंह--

सुनिये, जो लफ्ज आप कहते हैं, आपके साथी जानते हैं कि आपका भाव वह नहीं है इसलिए आपके साथी हंसते हैं और हंसे थे--दैट वाज ए बैड मैनर बट आई कीप क्वाइट।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैं अपने साथियों से स्वयं अर्ज करूंगा कि वह हंसे नहीं। यह हंसने का प्रश्न भी नहीं है। गम्भीर प्रश्न एक आपने उठाया है। तो श्रीमन्, अपने-अपने लोगों के मापदण्ड होते हैं।

मैं माननीय नेता विरोधी दल को एक सदस्य नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि जो मन्त्रियों को जो अधिकार हैं, उसी तरह से, उसी लेवेल पर उनके साथ भी होना चाहिये। इसलिए मैंने कहा कि यदि लेवेल टू लेवेल पत्र लिखें वह तो अच्छा होगा। लेकिन यदि चौधरी साहब चाहते हैं कि वह डाइरेक्टर को लिखें, तो मैं उनके साथ इस बात के लिए कोई झगड़ा नहीं कर सकता हूं। जो मुझे उनको सूचना देनी थी, ऐसा करके मैंने उसे छिपाया या जानबूझकर छिपाया, या इससे हमारा कोई पर्दाफाश होता था यह सब निराधार है। किन्तु मुझे अफसोस है कि उनके भाषण के लिए मैं उन्हें पूरा मैटर नहीं दे पाया। मैं मानता हूं कि स्टैस्टिक्स के मामले में और इस सूबे के बारे में जो मैं उनको जानकारी देता, उनमें वह स्वयं मूविंग एन साइक्लोपीडया आफ लाइब्रेरी हैं। उनके पास इतनी जानकारी और सूचनायें होती हैं, जोकि गवर्नमेंट तक को रोशनी दे सकती हैं। मैंने सच्चे हृदय से कहा था कि चौधरी साहब को कोई जानकारी करनी हो तो यह अच्छा नहीं लगता कि वह एक छोटे अधिकारी से कोई बात करें, पत्र-व्यवहार करें। यदि चौधरी साहब ऐसा समझते हैं कि ऐसा कहकर मैं उनका संसदीय अधिकार छीन रहा हूं तो मैं समझता हूं कि सचमुच मैंने बड़ी भूल की और आयन्दा ऐसी भूल नहीं करूंगा। चौधरी साहब चाहे अन्डर सेक्रेटरी को या ज्वान्ट सेक्रेटरी को और चाहे हेड आफ दि डिपार्टमेंट को लिखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

सेक्रेटरी कमिश्नर को लिखा था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैंने ऐसा तो केवल अपने मन में आपके प्रति आदर के कारण लिखा था। अब देखिये नेता जनसंघ दल और आप स्वयं चौधरी साहब हंस रहे हैं। आप मेरे ऊपर जरा भी दया और विश्वास नहीं करते, आपके साथ यह कठिनाई है। अगर थोड़ा भी दया और विश्वास मेरे लिये आप अपने हृदय में रखें तो बड़ा अच्छा हो। यह एक समय बहुत ज्यादा था। लेकिन पता नहीं क्या दुर्भाग्य हुआ कि सब मिट गया, बिलकुल मिट गया। हर बात में चौधरी साहब हंसी और पेंच की बात करते हैं। मैंने सहृदय से और सच्चे हृदय से लिखा था और आज भी समझता हूं कि यदि हमें हुक्म देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वह ज्यादा उचित होगा और ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि 1964 का बनारसीदास जी का हुकुम कायम रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपनी भाषा और भाव से चुप कर दिया चौधरी साहब को और चौधरी साहब बैठ गये। लेकिन साधारण सदस्यों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नेता विरोधी दल का एक विशिष्ट स्थान है। लेकिन जहां तक कर्तव्य का प्रश्न है वह कोई ऐसी चीज नहीं है कि वह करते हैं और हम लोग नहीं करते इसके बारे में आप विचार कर लें। जो उनको अधिकार उत्तर पाने का है वह हम लोगों को भी होगा। 1964 में मेरे प्रश्न पर यह उठा था। माननीय बनारसीदास ने इसको पढ़ कर सुनाया था। इसको भी स्पष्ट कर दें। जब हम साधारण सदस्य पत्र लिखें तो सचिव महोदय विचार करेंगे, नोटिफिकेशन या सर्कुलर क्या है और हमारा उत्तर देंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वही मैंने उत्तर दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैंने लिखा था, उत्तर नहीं दिया गया सचिव द्वारा। सुन लें अगर सचिव महोदय हों। भविष्य में ध्यान रखें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, माधव बाबू को जब खुद तकलीफ होती है तब याद नहीं आता है, जब चौधरी साहब कहते हैं तो उनको गुस्सा आता है, चौधरी साहब के कहने के बाद उनको याद आया। अगर कभी उन्होंने भेज दिया होता कि आपके सचिव गलती कर रहे हैं तो मैं उत्तर भेजता और उनसे पूंछता कि गलती क्यों कर रहे हैं ? जानकारी आपको दिलाना सचिवों का कर्तव्य है। चौधरी साहब के सम्बन्ध में या जो नेता विरोधी दल है उसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि उनका आदर जो है, वह किसी छोटे आदमी को लिखें अपने लेविल से उचित होगा या नहीं, इस ख्याल से मैंने कहा। माननीय सदस्यों से सचिव बड़ा नहीं है। लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि मिनिस्टर का एक विशिष्ट स्थान है। चीफ मिनिस्टर के पद पर विरोधी दल का नेता आता है। यह आप भी मानते हैं। आपके अधिकार को छीन लिया है आप क्यों शंका कर रहे हैं ? आप शंका न करें।

चौधरी चरणसिंह--

सवाल यह है कि हर माननीय सदस्य के लिए दलील क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

जो आप लिखकर दे दें वही मान लूंगा। आप मुझे बता दें। चौधरी साहब लिख कर दे दें, अगर चौधरी साहब मुख्य मन्त्री होते, तो क्या-क्या आदेश इस सम्बन्ध में निकाल देते, कामा, फुल स्टाप के बिना वह आदेश निकाल दूंगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय मुख्य मन्त्री हम लोगों को अपने शब्दों के जाल में भ्रमित कर रहे हैं। वह अर्थहीन भाषा बोलते हैं। हमेशा जगलरी करते हैं हम लोगों के साथ।

श्री अध्यक्ष--

बीच में आप भी आ जाते हैं।

अगर मीठी बातों तक बात रहती है तो कोई आपत्ति नहीं। आपने बाकायदा लिख कर भेजा कि मैं असमर्थ हूं।

चौधरी चरण सिंह--

मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं, बहुगुणा जी से कि डाक्टर त्यागी को मेरे पास भेज दें। इस इंफार्मेशन को घंटे भर में ले आएं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अभी डाक्टर त्यागी को आदेश कर देता हूं। जहां पर आप कहें आपके कमरे में या मकान में बैठ जायं। आप आज्ञा दें कहां भेजूं ?

चौधरी चरण सिंह--

फिर वही। अपनी गलती मानो। बहुगुणा जी बड़ी भारी जिम्मेदारी आप पर है। अध्यक्ष महोदय, अब यह जो बजट है, यह आर्थिक विकास का, प्लानिंग का एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट है किस तरह से फंड्स रेज किये जायं किस-किस विभाग या आर्थिक कार्य के लिये कितना रुपया दिया जाय, इसलिए बजट को तैयार करना एक मामूली बात नहीं है। वह एक प्रकार से अपने देश और प्रदेश के आर्थिक विकास से सीधा वास्ता रखता है। कितना टैक्स है, कितना विकास हो रहा है और अलग-अलग किस-किस चीज के लिये कितना रुपया रखा गया है और कितना कर्जा है तथा आर्थिक अवस्था कैसी है ? यह सब प्रश्न बजट के सिलसिले में रेलेवेंट हैं।

1974–75 के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, जिस समय स्वराज्य हुआ था उस समय 1,180 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक में अंग्रेज छोड़ गया था। 1,733 करोड़ रुपया स्टर्लिंग बैलेंसेज का था, 425 करोड़ रुपया रिपैट्रियेशन प्री वार डेट का था और 115 करोड़ रुपया एम्पायर डौलर पूल का था। अब यह कुल 3,453 करोड़ रुपया होता है। चार साल के अन्दर हमने वह सब रुपया फूंक दिया। 1950–51 में 32 करोड़ रुपया कर्ज कर लिया और इंटरनल डेट पहले से अंग्रेजों के जमाने का था और 1951 में 20 अरब रुपया देश पर तथा देश की गवर्नमेंट पर कर्ज था। हर मुल्क में होता है और गरीबी तथा अमीरी का हिसाब नहीं लगता है। एक्सटर्नल डैट 32 करोड़ रुपया हुआ। अब मार्च 73 में 80 अरब हो गया है। पिछले साल साढ़े आठ अरब रुपया कई नेशन्स की संस्था है उसका है और दस अरब रुपया हमें अभी दिया है। अब यह इस प्रकार से एक खरब रुपया हमारे ऊपर कर्ज है। 23 साल पहले 32 करोड़ रुपया हमारे ऊपर कर्ज था जो अब इतना बढ़ गया है। पिछले साल कुछ रुपया दे दिया होगा। लेकिन फिर भी 90 करोड़ रुपया रह जाता है। इसका नतीजा क्या हुआ है? जहां तक देश की आमदनी का ताल्लुक है, आज हम लगभग दुनिया के सभी मुल्कों से नीचे हैं। हो सकता है कि एक आध मुल्क हमसे आगे बढ़ा हुआ हो। 25 साल पहले जहां हम थे वहीं अब भी हैं। उस समय तो कुल 79/80 मुल्क थे जो अब बढ़कर 125 हो गये हैं। जो मुल्क हमसे पीछे होने चाहिए थे वे हम से आगे बढ़ गये हैं और हम पीछे आ गये हैं।

मैं यह कह रहा हूं कि इतना रुपया खर्च करने के बाद भी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। हमें इस पर बिचार करने की जरूरत है। मैं आपके जरिये तिवारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि इकोनोमिक ग्रोथ के रेट के बारे में वह हर बजट में समझाने की कोशिश करते हैं कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। लेकिन कृषि से टोटल इनकम कम होती जा रही है और नान एग्रीकल्चरल इनकम का परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है लिहाजा सब तरक्की कर रहे हैं। यह समझा जा रहा है कि सब तरक्की कर रहे हैं। शायद 10 साल हो गये हैं फाइनेंस मिनिस्टर बने।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन गहुगुणा)---

10 साल से नहीं। सन् 70 से।

चौधरी चरण सिंह--

खैर, जो मैंने कहा था कि हमारी रेट पर कैपिटा इनकम लोएस्ट है। कोई हर्ज नहीं है। अगर आज हम गरीब हैं तो उसकी इतनी चिन्ता नहीं है। अगर विकास की रफ्तार बढ़ गयी हो, लेकिन वह लोएस्ट है। जितने विकासशील देश हैं, यू० एन० ओ० की जो लेटेस्ट पब्लीकेशन है उसके अनुसार हमारी प्रगति की जो रफ्तार है, जो रेट हैं वह लोएस्ट हैं। 60 से 70 तक के पूरे डिटेल्स मेरे पास हैं। यह मैं सुनाना चाहता हूं:

Rate of growth as compared with the other developing countries during the last decade 1960-70. Argentina 1960-69 2.4, Brazil 1960-68 1.2, Burma 1960-67 1.3, Ceylon 1963-69 2.8, Chile 1960-70 1.8, Columbia 1960-69 1.7, India 1960-70 0.5, Pakistan 1960-69 3.2, Philippines 1960-70 1.4.

0.5 यह है ठोस सच्चाई। मेरे मित्र फाइनेंस मिनिस्टर किसी बात पर हंस रहे हैं। खैर अब आगे क्या करें। तो कोई विचार करने को तैयार है या नहीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

तो जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है यह 1948–49 में फिफ्थ फाइव इयर प्लान का ड्राफ्ट तैयार हुआ। ऐसा ही पिछले साल तैयार हुआ। उसको मैंने निकाला। तो 48–49 में जहां सारे हिन्दुस्तान की औसत आमदनी 250 थी और उत्तर प्रदेश की 243 थी। 97.2 प्रतिशत इंडिया की एवरेज इनकम थी। 70–71 में हिन्दुस्तान की आमदनी बढ़ गयी और वह 347 हो गयी लेकिन हमारी हुई है 243 से 246 तो परसेंटेज जो यू0 पी0 का था हिन्दुस्तान की एवरेज इनकम से वह 97.2 से 79.7 फीसदी रह गया। हिन्दुस्तान से सब पिछड़ा और उत्तर प्रदेश का यह हाल कि वह अपने मुल्क में सिवाय बिहार और उड़ीसा को छोड़कर सबसे पीछे और देशों को तो छोड़िये। हमारा प्रदेश पीछे को घसिटता जा रहा है लेकिन हमारे वित्त मन्त्री ने, वह मैं बाद में अर्ज करूंगा, कहे देता हूं कि आपने कहा कि 60–61 से 72–73 में 246 से 270 की आमदनी हो गयी है। 2 फीसदी सालाना वृद्धि हुयी हैं। 0.8 प्रतिशत हमारी रेट आफ ग्रोथ हो गयी है। सारे हिन्दुस्तान की 0.5 और हमारी 0.8। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इसको आप रिकन्साइल करें वह ठीक नहीं। तो मैं तो आपके आंकड़े जो फिफ्थ इयर प्लान के गवर्नमेंट आफ इंडिया के आपके सामने रख रहा हूं कि हमारी रेट आफ ग्रोथ 0.5 है। आप और ज्यादा बताते हैं। आप बताते हैं 0.8। इसमें भी कोई घमंड की बात करने की नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग का क्या हुआ? जो हमारे टेस्टर वहां पर बैठे हुए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 20 फीसदी आदमी शहर में रहते हैं। और 80 फीसदी आदमी गांवों में रहते हैं। हमारे लीडरों ने जनसेवा करने का पाठ पढ़ा। महात्मा गांधी गांव-गांव, किसान-किसान में हमेशा कहते थे कि भारत वर्ष गांव में रहता है। सन् 1951 से 56 तक जो पहली प्लान थी तो गांव वाले की आमदनी शहर वाले के मुकाबिले 27 फीसदी थी। शहर वाले की आमदनी 100 थी और गांव वाले की आमदनी 27 थी। सेकेण्ड प्लान में गांव वाले की आमदनी 24 रह गई। अब थर्ड प्लान आई 1961 से 1966 तक और प्रोपोर्शन घटा और गांव और शहर वाले के बीच खाई घटी। 20 गांव वाले की आमदनी हो गयी। 1966 से 1971 तक 18 फीसदी हुई और घटी और अब 1972–73 का एक साथ का दो साल का वह है 16.7 फीसदी। पहले चौथाई से कुछ ज्यादा आमदनी थी। अब वह 1/6 रह गई। तो लिहाजा प्लानिंग में कहीं कोई नुक्श है। हमको जानना चाहिए, हमको विचार करना चाहिए। गांवों में लोग रहते हैं 86 प्रतिशत। इसका मतलब यह हुआ कि 86 आदमी की आमदनी 1/6 है और 16.7 फीसदी शहर वाले की आमदनी है।

अध्यक्ष महोदय, यह नेशनल सैम्पिल सर्वे एक बड़ा भारी संगठन है और बहुत अच्छा संगठन माना जाता है, इंडिपेंडेंट माइंडेड गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कायम किया था। तो उसने 1963–64 में सर्वे किया। अपने आदमियों की गरीबी का शहर और गांव को तीन हिस्सों में बांटा। सीवियर डेस्टीट्यूशन, डेस्टीट्यूशन डिस्टेशन और पावर्टी निपट गरीबी, बहुत गरीबी और गरीबी। यह अर्थ हुआ सीवियर डेस्टीट्यूशन जो आदमी 11 रु0 से कम माहवारी गांव में खर्च करता था और अगर शहर में रहता था 15 रु0 माहवारी से कम खर्च कर पाता था। उनका प्रतिशत हमारे यहां 17 फीसदी है। सन् 1963–64 में सारे देश का फीसदी था 13। हमार सूबे की गरीबी सबसे ज्यादा है। तो इस गरीबी को मिटाने की ओर माननीय तिवारी को ध्यान देना चाहिये। अगर कोई आदमी उत्तर प्रदेश को न देखे और इस बजट भाषण को पढ़ ले तो उसे मालूम होगा कि प्रदेश में दूध और शहद की नदियां बह रही है और जब पांचवां प्लान पूरा हो गया, कोई दिक्कत न हुयी, तो बहिश्त हो जायगी। माननीय वित्त मन्त्री जी भाषण जब पढ़ रहे थे ऐसी बात कह रहे थ कि मैंने कहा कि सारा किला जीत लिया, उन्होंने अपने भाषण को इस जोरों से पढ़कर सुनाया।

जहां तक अपने देश और प्रदेश के कर्जे की बात है जो हमने अपने ऊपर लाद लिया है, मेरे पास आंकड़े नहीं थे 1950–51 के या 1947–48 के और जब माननीय बहुगुणा जी का लेटर मेरे पास आया तो मेरे मन में आया कि मैं पूछूं लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुयी लिखने की। इसलिये बजट में जो फीगर्स दी हुयी है, मैं उन्हीं का जिक्र करता हूं। मैंने बी0 के0 डी0 के साथियों की एक मीटिंग बुलायी। मैं तो 25 साल बाद भी बजट को नहीं समझ पाया हूं। बड़ी मुश्किल से ये आंकड़े ढूंढे।

अध्यक्ष महोदय, जो बाजार से कर्जा लिया गया वह 1973 में अर्थात् पिछले वर्ष गवर्नमेंट आफ इंडिया का 11 अरब 20 करोड़ था। पिछले साल 9 अरब एक करोड़ और वह अब 12 अरब 30 करोड़ इसी मार्च को हो जायगा जो हम लेने जा रहे हैं वह है एक अरब 39 करोड़। सरकार को अपनी हैसियत देखने के बाद ही कर्जा लेना चाहिये लेकिन नहीं आंख मीच कर लिया जाता है। इस 13 अरब 69 करोड़ रुपये के कर्जे पर जो अपनी स्टेट पर है, 51 1/2 करोड़ रुपया सूद का होगा। यही ब्याज पिछले वर्ष 51 करोड़ रुपये का था। कहां पहुंचेंगे हम। हमारे प्रदेश पर जो कर्जा है यहां की 9 1/2 या 9 1/4 करोड़ आबादी पर करीब-करीब 150 रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा आता है और जो भारत सरकार ने एक्सटर्नल कर्जा लिया है वह भी करीब-करीब 11/2 सौ रुपया यू0 पी0 के प्रत्येक निवासी पर आता है। और जो इन्टरनल डेड है गवर्नमेंट आफ इंडिया का वह 145 और 155 करोड़ के करीब आता है। तो 450 करोड़ रुपया कर्जा यू0 पी0 के हर निवासी पर लदा हुआ है और आमदनी उसकी मैं आपको बतला चुका हूं। आपके हिसाब से 270 है फीक्स।

अध्यक्ष महोदय, अब लीजिये खर्चे की बात। कुल आपका निजी रेवेन्यू 395 करोड़ है और उसमें जो सैलरी बिल है वह है 302 करोड़। यह वित्त मन्त्री जी ने खुद ही फरमा दिया कि 1968-69 में 260 करोड़ की आमदनी थी और सैलरी बिल 124 करोड़ का, यानी साढ़े 46 फीसदी। अब 4–5 साल के अन्दर हमने सैलरी बिल को बढ़ा दिया 178 करोड़ और आमदनी बढ़ी है 134=135 करोड़। यानी जितने टैक्सेज लगाये, जितनी आमदनी बढ़ाई है सालाना सूबे की वह है 134 करोड़ और तनख्वाहें बढ़ाई हैं 178 करोड़। अब 44 करोड़ हुआ वह रुपया जो टैक्सेज हमने लगाये वह भी राज कर्मचारियों को दिया। तो वह 77 फीसदी हो गया कुल इनकम का और माननीय वित्त मन्त्री जी ने बड़ी सफाई के साथ, बे बाकी के साथ यह भी फरमा दिया है कि अभी यह बिल और बढ़ सकता है यानी 77 के बजाय कहना तो यह चाह रहे थे कि 80 फीसदी हो सकता है। इससे किसका भला हो सकता है? हुआ यह कि जहां डिमांड हुई, फौरन सरेंडर। बल्कि उकसाया गया। और मैं तो माननीय मुख्य मन्त्री जी की मिसाल दे सकता था, लेकिन छोड़ देता हूं, क्योंकि वह हंस कर टाल देंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नहीं, जरूर दें मेरी मिसाल।

चौधरी चरण सिंह—

19 सितम्बर, 1970 की बात है। बिजली वाले कर्मचारियों ने अगस्त में हड़ताल की थी—25 अगस्त को। बहुत सी डिमांड उनकी मान ली गई थीं यू0 पी0 में, फिर भी और डिमांड्स ऐसी मांग रहे थे कि करोड़ों रुपए का बोझ पड़ जाता। 8 करोड़ का पहले से घाटा चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। सवा सौ डिमांड में से 93 मान ली गयीं, कुछ पार्श्यल मानी गयीं, कुछ मुहकमा मानने के लिए तयार नहीं था। मेरे पास आये कि क्या किया जाय। तो खैर, मैं छोड़ देता हूं, तफसील हो जायगी। 28 तारीख को,

[चौधरी चरण सिंह]

3 दिन के अन्दर बिला शर्त हड़ताल वापस। यह हुआ 28 अगस्त को, लेकिन 19 सितम्बर को उठाकर अखबार देखिये, "पायोनियर" और "नैशनल हेराल्ड" कि प्रोसेशन लीड करते हैं आप और कमलापति जी---जबकि बिला शर्त हड़ताल वापस ले चुके थे। मीटिंग होती है, कमलापति त्रिपाठी प्रेसाइड करते हैं और आप तकरीर करते हैं कि "गवर्नमेंट जालिम है, यह चीफ मिनिस्टर कसाई है, तुम्हारी डिमांड सही थीं, माननी चाहिये थीं। इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? और फिर इस तरह की बात यहीं आप क्यों करते हैं? जब पोस्ट और टेलीग्राफ के मिनिस्टर हुए---मेरे पास रिपोर्ट पड़ी हुई है, यहां नहीं है, तो जब वहां हड़ताल हुई तो आपने कहा कि "नो हड़ताल्स" बहुगुणा, कम्युनिकेशन मिनिस्टर यह बयान देते हैं कि नहीं, हड़ताल नहीं मानी जायगी, नहीं सुनी जायगी। मुझे उसकी डेट याद नहीं है। लेकिन यहां जबकि माननीय वित्त मन्त्री मेरे साथ थे, गवर्नमेंट आपकी थी---9 बी0 के0 डी0 के और 14 आपके थे, और बिला शर्त हड़ताल वापस हो गयी थी और आप बाकायदा उनको भड़काते हैं कि मांगें तुम्हारी मानी जानी चाहिये थीं। और फिर मुख्य मन्त्री हुए त्रिपाठी जी। तो 71, 72, 73 में बार-बार हड़ताल हर महकमे में हड़ताल और हर बार सरेंडर, हर बार सरेंडर। मैं फिर दोहराता हूं, पांच साल में टैक्स तो बढ़े 124 करोड़ और तनख्वाह बढ़ा दी 178 करोड़, टोटल हो गया 302 करोड़। ठीक है, खुश होते हैं लोग कि तनख्वाह बढ़ गयी और उसमें मेरे ख्याल के लोग हर तरफ से गालियां सुनते हैं कि गरीबों के हामी नहीं हैं। लेकिन नहीं, मैं अपने माननीय मित्रों को विशेषकर जो उधर बैठे हुए हैं यह कहना चाहता हूं कि इस समस्या का हल तनख्वाह बढ़ाना नहीं है। भाव बढ़े, तनख्वाह बढ़ाई। फिर भाव बढ़े फिर तनख्वाह बढ़ाई। और तनख्वाह बढ़ी इसलिए भाव बढ़ते हैं।

मैंने माननीय प्रधान मन्त्री को सन् 66 में लिखा था कि जब वह थर्ड पे कमीशन कायम करने जा रही थीं, उस समय मैं कांग्रेस में था, कि पे कमीशन तो भाव देखकर रेकमेंड कर देगा कि इतनी तनख्वाह बढ़नी चाहिए ऐंड यू विल हैव टु फेस दि म्युजिक। मैंने कहा कि जो मुनासिब हो वह कर दीजिए लेकिन आप यह जो पे कमीशन मुकर्रर करने जा रही हैं यह ठीक नहीं है। अब जहां 8 प्वाइंट्स बढ़े कि तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, आपका खजाना खाली और हमारे राज्य कर्मचारियों को तसल्ली नहीं। और नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। राइज इन सैलरीज कैन नेवर ओवरटेक दि राइज इन प्राइसेज। तनख्वाह हमेशा भाव से पीछे रहेगी। आप 1974 में जिसको एक हजार रुपए दे रहे हैं वह 1938-39 के 76 रुपए के बराबर है और 1953-54 के 267 रुपए के बराबर है। लेकिन 1953-54 में जो 267 रुपए में सन्तुष्ट था वह आज एक हजार में भी सन्तुष्ट नहीं है क्योंकि उसकी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पाती हैं। आप तनख्वाह जिस अनुपात से बढ़ाते हैं भाव उसी अनुपात से बढ़ जाते हैं।

लेकिन टैक्स आप उस अनुपात से नहीं बढ़ा सके। अगर टैक्स भी उसी अनुपात से बढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसका यह इलाज नहीं था। इसका इलाज था कि प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया जाता। वह दिया नहीं गया। अगर आप प्रोक्डशन दूना कर दें तो मैं आपके जरिये अपने लायक दोस्तों से कहना चाहता हूं कि तनख्वाह तिहाई कर दीजिए तो उस तिहाई तनख्वाह में भी हमारे सारे राज्य कर्मचारियों की इच्छा पूरी हो जायगी। एक चीज है ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। वह कितने रूप में हमारे सामने आता है। बनस्पति की प्राब्लेम केवल ग्राउन्डनट का प्रोडक्शन बढ़ाने से हल हो सकती है लेकिन उधर ध्यान नहीं देते।

मेरा एक दामाद दिल्ली में इंजीनियर है। अब वह दिल्ली से चला गया। 1 अरब 42 करोड़ रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया ने 1970 में एकदम से बढ़ाये। अगले रोज वह

मेरा दामाद आया। उसने कहा कि पिताजी उसी रोज शाम को उतने ही भाव बढ़ गये जितनी हमारी तनख्वाह बढ़ी थी। चलो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई कम से कम इस माने में कि अगर भाव बढ़े तो तनख्वाह या डी0ए0 के इजाफे में वह जज्ब हो गये। लेकिन जनता का क्या हुआ। भाव तो सभी लोगों के लिए बढ़ जाते हैं केवल राज्य कर्मचारियों के लिए ही थोड़े ही बढ़े।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती मोहसिना किदवाई पीठासीन हुईं।)

राज्य कर्मचारियों का तो आपने वेतन बढ़ा दिया लेकिन सारी जनता को तो सजा मिल गयी। इससे आपकी सारी इकोनामी ही चौपट हो गयी। माननीय तिवारी जी वही घिसापिटा एक्सक्यूज दे देंगे कि बंगलादेश की समस्या आ गयी, सूखा पड़ गया यह हो गया, वह हो गया। यह भी कहा गया कि दूसरे देशों में भी कीमतें बढ़ी हैं, मगर वहां की इंकम भी तो इसी हिसाब से बढ़ी है। केवल एक जगह है वीयतनाम, जहां पर कि महंगायी हमारे यहां से भी अधिक बढ़ी है। लेकिन और जगह जहां भाव बढ़े हैं वहां प्रोडक्शन भी बढ़ा है, आमदनी भी बढ़ी है। जो असेंशियल नेसेसिटीज की चीजें हैं उनका वहां प्रोडक्शन बढ़ा है। हमारी बहिन इन्दिरा जी का कहना है कि यू0 एस0 ए0 में भी खराबियां हैं, वहां भी गरीबी है, मगर क्या वहां पर इतनी गरीबी है? क्या वहां लोगों के पास रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है? तेल के दाम बढ़ने की बात कही गयी, मगर उसके दाम तो नवम्बर में बढ़े हैं, भाव तो आपके यहां उसके पहले से बढ़ रहे हैं। लिहाजा यह दलीलें कोई महत्व नहीं रखतीं।

इन सब से पीछे एक ही सवाल है। डेवलपमेंट में कार्यों की तरफ सरकार ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। उनके लिए जितना धन देना चाहिए था वह भी नहीं दिया।

शिक्षा के मामले में भी हमारा सूबा सबसे पिछड़ा हुआ है। रोड्स ऐंड कम्युनिकेशन के मामले में सबसे पीछे है, मेडिकल फैसिलिटीज के मामले में भी अन्य सूबों से पीछे है, विद्युत प्रोडक्शन में भी आप बहुत पीछे हैं। इन सभी विभागों में जो पैसा रखा गया है वह भी पिछले सालों के मुकाबले में कम रखा गया है। मैं आंकड़े उसके रखना चाहता हूं। इसी लिट्रेचर से मैंने यह इकट्ठा किये हैं। शिक्षा के लिए वर्ष 1973-74 में आपने 36 करोड़ 45 लाख रुपए रखे थे। आयोजनागत रिवाइज्ड एस्टीमेंट्स इतने के थे अब वे 11 करोड़ रुपए रखे गये हैं। मेडिकल ऐंड पब्लिक हेल्थ में पिछले वर्ष 19 करोड़ 35 लाख थे अब इस वर्ष 11 करोड़ 26 लाख रखे हैं। कृषि के लिए पिछले वर्ष 5 करोड़ 71 लाख थे, इस वर्ष 4 करोड़ 65 लाख रखे हैं। माइनर इर्तगेशन में कुछ बढ़ाया है, पिछले वर्ष 1 करोड़ 26 लाख था इस वर्ष एक करोड़ 61 लाख के करीब है।

एनीमल हस्बैंडरी (पशुपालन) पर 1 करोड़ 66 लाख और इस मद पर अबकी है 1 करोड़ 44 लाख। सड़कों पर पिछले साल 27 लाख रखा गया था पर अब की है 14 लाख। यह है अधिष्ठाता महोदया, और आपकी पापुलेशन 20 लाख साल भर में बढ़ जायगी। यह जो रुपया है अगर इसको पिछले साल के रुपए से कम्पेयर करें तो पिछले साल के मुकाबले इसकी कीमत कम हो जायगी और इस साल स रुपए की कीमत ज्यादा से ज्यादा 80 फीसदी रह जायगी। तो अगर यह कहा जाय कि आंकड़ों में कोई कमी है—बिल्कुल नहीं। रिलेटिव पापुलेशन को देखते हुए, पापुलेशन की बढ़ोत्तरी को देखते हुए, रुपए की कीमत की घटोत्तरी को देखते हुए यह रुपया जो आपने रखा है कम है। बहुत कम है।

अधिष्ठाता महोदया, जब मैंने आगे पढ़ा तो मैंने कहा कि भाई यह कैसे-कैसे हो गया कहीं यह गलत तो नहीं हो गया, तो फिर मैंने आपका भाषण पढ़ा तो आपने भाषण में हर जगह डींगे हांकी हैं, लम्बी-लम्बी। आज हमारे प्रदेश में सभी सुविधायें अन्य प्रदेशों से कम

[चौधरी चरण सिंह]

हैं हमारा सूबा सड़कों, पुलों में अन्य सूबों से पीछे है। आपने इस साल इस पर पिछले साल के मुकाबले में रुपया कम रखा है। कहीं पर यह जिक्र नहीं कि हम कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए ज्यादा पया रख रहे हैं, रोड्स के लिए और पुलों के लिए ज्यादा रुपया रख रहे हैं। अस्पतालों और स्वास्थ्य की बाबत ज्यादा पया नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। आप कारपोरेशन्स बनाते चले जा रहे है पता नहीं कि पब्लिक का उससे क्या गुड होगा। चार बड़ी चीजों पर आपने जिक्र नहीं किया। टोटल कृषि पर 22.9 प्रतिशत, अब वह 78 फीसदी कैसे कर सकते हैं मुझे खुशी होगी अगर माननीय मुख्य मन्त्री उसको 78 फीसदी करके दिखा दें। अबकी बार प्लानिंग पर वह खर्च दे रहे हैं 91 करोड़ 4 लाख रुपया का। उसमें 21 करोड़ 86 लाख केवल कृषि, उसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट है जिसमें तनख्वाह ही तनख्वाह। फारेस्ट आदि सब चीज भी इसमें शामिल है।

फर्टीलाइजर की बात भी मौजूद है। पहले प्लान में फर्टीलाइजर पर कुछ नहीं खर्च हुआ था। दूसरे और तीसरे प्लान में एक या डेढ़ परसेंट उस पर खर्च किया गया था, इससे ज्यादा नहीं। अब 22 फीसदी से कम है।

अब मेजर इरीगेशन की बाबत, अधिष्ठाता महोदया, इसमें 1पैसा भी नहीं है। अधिष्ठाता महोदया, 'ध' पेज पर चार पढ़ने की कृपा करें। जल एवं विद्युत् विकास सेवायें—पिछले साल था जल और विद्युत् विकास पर 190 लाख। विकास की बात को छोड़िये बहु प्रयोजनीय नदी प्रयोजनायें—इस पर था 6 करोड़ 15 लाख पया 1973-74 में अबकी बार कुछ नहीं। सिंचाई, परिवहन, जलोत्सरण और बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर था 18 करोड़, अब की बार कुछ नहीं है। एक-दो बार मैंने आपका बजट भाषण देखा कि कहीं जिक्र तो नहीं है। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह गफलत इसमें है।

सिंचाई के सम्बन्ध में 5 साल की इस पंच वर्षीय योजना में यह करने का विचार है—लिखा हुआ है। मामूली पढ़ा-लिखा आदमी पंच वर्षीय योजना को भूलभाल जाता है।

वित्त मन्त्री (श्री नाराण दत्त तिवारी)—

मैं, मान्यवर, धृष्टता कर रहा हूं। आप केवल राजस्व विवरण पढ़ रहे हैं तो इसमें पूंजी व्यय और जोड़ लें तो आंकड़े पढ़ जायंगे। यह आपको पृष्ट 5-6 पर मिलेगा।

चौधरी चरण सिंह—

यह प्रस्ताव है कि सिंचाई तथा विद्युत् में पंच वर्षीय योजना के दौरान राजकीय सिंचाई निर्माण कार्यों से 29 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता की वृद्धि की जाय और वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान वृहत माध्यमिक सिंचाई से 4 लाख 70 हजार हेक्टेयर, लघु सिंचाई निर्माण कार्यों से 1 लाख 13 हजार हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता प्राप्त की जाय। इसमें रुपयों का जिक्र नहीं किया गया है। मुझे नहीं मालूम इसमें कितना रुपया रख रहे हैं कपिटल इक्सपेंडीचर का।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, आप पेज नं0 5 पर 532 तथा 533 आइटम देखें जिसमें जल विद्युत् विकास पर कपिटल एक्सपेंडीचर का विवरण मिल जायगा। इसमें 43 करोड़ रुपया रखा गया है।

चौधरी चरण सिंह—

पिछले साल 46 करोड़ रुपया रखा गया था। इसमें कमी की गई है। कमी की बात है और यही असल बात है। इसी बीच 20 लाख आदमी बढ़ेंगे। अधिष्ठाता महोदया अब न मालूम क्या आपने यह मुनासिब समझा है कि एग्रीकल्चर में जो आमदनी कम हो रही है बनिस्बत पिछले 2 सालों के। इससे क्या सूबा तरक्की कर रहा है। परन्तु सारा

देश तरक्की नहीं कर रहा है। सन् 1961 तथा 1969 में जितने आदमी एग्रीकल्चर में लगे हुए थे उतने ही आदमी सन् 1971 में भी लगे हुए थे। तो क्या इससे यह साबित हो रहा है कि आदमी तो एग्रीकल्चर में उतने ही लगे हुए हैं लेकिन प्रोडक्शन कम हो गया है—तो इसलिए तरक्की हो रही है। इस प्रकार यदि आदमियों और प्रोडक्शन का परसेंटेज निकालें और टोटल इंकम एण्ड इंक्रीज का जो परसेंटेज है उसको निकाले तो किसानों की आमदनी घट जायगी। यह इस बात का सबूत नहीं है कि आपका स्टेट इंडस्ट्रलाज हो गया है। यदि आप सन् 1947 और 1974 के आंकड़ों को कम्पेयर करें तो आप पायेंगे कि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है और न उद्योग धंधे ही बढ़ रहे हैं। इस प्रकार कोई तरक्की नहीं हो रही है।

आप कहते हैं कि हमने 46,879 आदमियों को रोजगार दिया। आपने इसमें कौन-कौन से आदमियों को जोड़ लिया है जिससे इतनी संख्या हो गई है। कैसे खर्चा हुआ और किस तरह का रोजगार मिला क्योंकि आपके भाषण से तो कोई बात प्रकट नहीं होती। आपने कहा है कि 210 लाख टन अबकी बार पैदा होगा। पता नहीं आपने किस बेसिस पर यह किया है क्योंकि कुल आपको 1 लाख 39 हजार टन फर्टीलाइजर मिल रहा है। वह भी बचारे आपको कहां से देंगे क्योंकि उनके पास है नहीं। फिर क्या फायदा था आपको इस तरह की बेपर की स्कीम बनाने का और मिसलीड करने का। आप आगे कह रहे हैं कि 'लैन्ड आर्मी' बन रही है। बड़ा अच्छा लफ्ज है। शायद यह आइडिया हो कि वर्दी पहन करते मार्च कर हुए जायेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि डा० लोहिया ने भी यह शब्द इस्तेमाल किया था....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

चौधरी साहब यह शब्द लैन्ड आर्मी रूजवेल्ट ने इस्तेमाल किया था या जब न्यू डील में सबसे पहले काम किया था।

चौधरी चरण सिंह—

मैंने डाक्टर लोहिया को जो क्रेडिट दिया था वह वापिस ले लेता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैंने यह इसलिए कहा था कि क्योंकि आप कम से कम सत्य के सामने हां करने वाले लोगों में से हैं, सलिए कहा।

चौधरी चरण सिंह—

मान लिया भाई, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस बीच में जरा यह भी बता दें कि आफिशियल की होगी या नान-आफिशियल की होगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वह हुजूर के सामने आ जायेगी। चौधरी साहब, यह नान-आफिशयल का मो ी-लाइजेशन होगा। यह सरकारी नौकरों को कोई पलटन नहीं होगी।

चौधरी चरण सिंह—

जैसा आप इन्दिरा ब्रिगेड बना रहे हैं ऐसा न हो कि आप यह भी बना डालें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

और कहता तो कोई उज्र न होता। चौधरी साहब आपका हर लफ्ज बड़ा वजन रखता है। सरकार की एजेंसी और प्राइवेट एजेंसी का कोई मुकाबला न हो। आज सरकार का काम मैं कर रहा हूं, कल आप कर सकते हैं और परसों और कोई दूसरा तो वह तो सह-योग लेने वाली बात है।

चौधरी चरण सिंह--

यह जो इन्दिरा ब्रिगेड है उसने मालूम है कि पटना में क्या काम किया है। वहां के चीफ सेक्रेट्री द्वारा 10 लाख रुपए स्पेशल फंड से निकाल कर इन्दिरा ब्रिगेड में पहुंच गए। मदर लैन्ड में बड़ा तफसील के साथ यह निकला है और उसके चेयरमैन एक हारे हुए एम0 पी0 हैं एटा के श्री मुशीर अहमद।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

चौधरी साहब मैं फिर स्पष्ट कर दूं। यह प्रयास है। जो हमारे नौजवान लोग हैं, गांवों के यूथ हैं जिस तरह से आपने प्रान्तीय रक्षक दल बनाया था उससे देश और प्रदेश को कोई खतरा नहीं हुआ उसी तरह का यह प्रयास है।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। वह तो आलरेडी मौजूद है होम गार्ड आर्गेनाइजेशन। उसके जरिये यह काम हो सकता था। एक नया आर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको एनालाइज करके और रि-ओरिएन्टेड करके यह काम करना चाहते होते तो कर सकते थे। मेरा सुझाव यह है कि जब आप इसको लायेंगे क्योंकि कोई ऐक्ट जरूर बनेगा, तो आप मेरी यह बात मानेंगे कि कोई नया आर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इससे प्रदेश का धन वेस्ट होगा, करप्शन बढ़ेगा और कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। खैर, आपकी वह लैन्ड आर्मी लैण्ड रिक्लेमेशन का काम करेगी। कहां होगा और कैसे होगा क्योंकि यह एक टेक्निकल बात है। ऐसी बात तो है नहीं कि फावड़ा लेकर 20 हजार आदमियों को लगा दिया। अगर आप अगले साल तक यहां के चीफ मिनिस्टर रहे और प्राइम मिनिस्टर शब्द मुंह से निकल गया अगर प्राइम मिनिस्टर न हो गये, तो अगले साल बतला दूंगा कि इट इज फेल्ड।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अगले साल फिर आप बात करेंगे।

चौधरी चरण सिंह--

फिर मैं आता हूं पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर की बात पर। गवर्नमेंट की तरफ से कारखाने खुल रहे हैं। जूट फैक्टरी, स्कूटर फैक्टरी और कुछ दूसरी फैक्टरीज आप खोलने जा रहे हैं। ज्वाइंट सेक्टर में कुछ फैक्टरीज खोली जा रही हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया में बहुत दिनों से बात चल रही है लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाये कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट में क्या सम्बन्ध होगा? प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट मालिक होगा, आया न्वेस्टमेंट में प्राइवेट आदमी का कोई हिस्सा होगा या नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरे परपज के लिए पब्लिक सेक्टर अकेला ही काफी है। अगरचे मैं जानता हूं कि मेरा कहना कोई अर्थ नहीं रखता क्योंकि एक पालिसी है जो प्लानिंग कमीशन से चलती है, मैं अनेक बार कह चुका हूं और फिर अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अपनी फैक्टरी लगायेगी उसमें उसे कोई कामयाबी नहीं होगी। नुक्सान ही होगा।

आप लखीमपुरखीरी में प्राइवेट आदमी से जूट फैक्टरी लगवायें। जब मेरे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था तो मैंने बहुत कोशिश की कि कानपुर का कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट तैयार हो जाय। सहजनवा जूट फैक्टरी थी वह भी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। वह लोग बन्द करने को फिर रहे थे। बंगाल के मुकाबले में हम कम्पीट नहीं कर पाते। वहां अच्छी क्वालिटी की जूट होती है। हमारे यहां ट्रांस्पोर्ट चार्ज लगते हैं और क्वालिटी भी जूट की इंफीरियर होती है। आप गवर्नमेंट में फैक्टरी लगायेंगे तो नुक्सान होगा जैसा कि दूसरी सब चीजों में होता है। जितने गवर्नमेंट के वेन्चर्स हैं उनमें उसे नुक्सान

होता है। मैं नहीं समझता कि यह ऐक्सेप्शन हो जायगा। आप प्राइवेट आदमी को इजाजत दीजिये और कन्ट्रोल अपना रखिये कि मजदूरों के साथ ज्यादती न करें और क्वालिटी का स्टैंडड कायम रखें।

गवर्नमेंट आफ इंडिया का इतना सारा तजुर्बा है और मेरा भी तजुर्बा है कि गवर्नमेंट की फैक्टरी कामयाब नहीं होती। लेकिन वह फशन की चीज हो गई है। अगर उसके खिलाफ कोई कहे तो रिएक्शनरी है। आज ब्रिटेन, जापान और जर्मनी भी तजुर्बे के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पब्लिक सेक्टर में अन्डरटेकिंग को मैनेज करने के लिए जिस करेक्टर के आदमियों की जरूरत है वह नहीं मिलते। अगर कारपोरेशन या बोर्ड आफ मैनेजमेंट को पूरा अधिकार दे दिया जाता है तो वह आर्बीट्रेरी हो जाते हैं। अगर दिल्ली और लखनऊ को लिखना पड़े तो डिले होगी। अब तक यह मामला ब्रिटेन नहीं हल कर पाया और वह सोचते हैं कि क्या करें। मैं दोहराना चाहता हूं कि अरबों, करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का लगा है। आप कारपोरेशन्स बना रहे हैं। अगर पार्लियामेंट का या असेम्बली का कन्ट्रोल रखते हैं तो उनका इनीशिएटिव खत्म। हर चीज पर चिट्ठी लिखेंगे। मैं बीच में कहना भूल गया। अगर आप चार दिन के लिए चले जाते हैं तो कागज ही न मिलता। तीन महीने में फैसला करेंगे तो फैक्टरी को नुक्सान होगा। यही यू० एस० एस० आर० का और यही ब्रिटेन का एक्सपीरियन्स है और अगर उनको ज्यादा अधिकारी दे दीजिये जो चाहे वे करें, तो यह मनुष्य का स्वभाव है, वे आर्बीट्रेरी काम करते हैं या परवा नहीं करते हैं। पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में ये काम सम्पादित नहीं हो सकते हैं। कम से कम ब्रिटेन का तो यही एक्सपीरियेंस रहा है। फिर असल चीज है करेक्टर। जब ब्रिटेन जैसे देश में ये नहीं सफल हो सकी, तो हमारे यहां कतई नहीं सफल हो सकती। जैसे प्राइवेट लोग काम करते हैं, जैसे मालिक अपनी अन्डरटेकिंग्स के काम को करता है, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स में वह सब नहीं हो सकता। हमारे यहां ऐसे चरित्रवान आदमियों की बड़ी कमी है जो पब्लिक सेक्टर में भी उसी क्षमता और परवाह से काम करें। मैंने पहले भी इसके बारे में कहा था और आज भी कहता हूं और यदि महात्मा जी भी आज होते, तो वह भी यही कहते। आप नहर ले लें, सड़क ले लें, एटामिक इनर्जी ले लें, लेकिन बाकी चीजें बाहर के आदमी को दें। लेकिन खेद है कि हम दूसरे देशों की आइडियोलोजी से बंध गये हैं।

अब आती है हैन्डीक्राफ्ट के बारे में बात। मैंने अखबारों में बात पढ़ी और मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं कि हस्तकला पर जोर देंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

तो यह क्या गलत कर रहे हैं?

चौधरी चरण सिंह--

गलत नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर पूरी तरह से कंवर्जन हो गया तो इधर आकर बैठियेगा। मैं कहता हूं कि आप स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और हाई स्केल इंड स्ट्रीज दोनों को साथ नहीं लेकर चल सकते। यू कैन नाट राइड आन बोथ दि हार्सेज, गांधीवाद और नेहरूवाद, दोनों नहीं चल सकता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

बोथ आर दि सेम।

चौधरी चरण सिंह--

आप गांधी और नेहरू--दो देवताओं की पूजा करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकेंगे। मैं राज मंगल पांडेय जी से भी कहना चाहता हूं कि दूसरी, तीसरी और चौथी प्लान में कोई जिक्र नहीं है और अब कितना जिक्र है। मैं कहता हूं कि स्माल स्केल इंडस्ट्री और हैन्डी-

[चौधरी चरण सिंह]

क्राफ्टस इंडस्ट्रीज से इम्प्लायमेंट बढ़ता है। तो आप आज इसका जिक्र कर रहे हैं। पता नहीं गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने भाषण में मुख्य मन्त्री जी इसका जिक्र कर रहे हैं कि हम काटेज इंडस्ट्रीज को कायम करेंगे। मैं कहता हूं कि आप फैक्ट्रीज भी चलायेंगे और काटेज इंडस्ट्रीज भी। अगर ऐसा करते हैं तो ये काटेज इंडस्ट्रीज, स्माल स्केल इंडस्ट्री, हैंडी क्राफ्टस इंडस्ट्री जो हैं, वे इन लार्ज स्केल और हेवी इंडस्ट्रीज से कम्पीट नहीं कर पायेंगी, जब तक कि इनको कोई स्टेटुटरी प्रोटेक्शन नहीं देते। गांव के छोटे-छोटे दस्तकार या जो छोटी-छोटी जो कलायें हैं, वे बर्बाद होती रही हैं। गांव के कुम्हार के बर्तन नहीं कम्पीट कर पायेंगे, अगर लखनऊ और हर जिले के हेड क्वार्टर में फैक्ट्रियां खोल दीं। कुम्हार विल गो आउट आफ दि पिक्चर। तो आपको यही करना होगा कि उस कुम्हार को टेक्निकल ट्रेनिंग दें, उसको बिजली पहुंचा दें। तब वह छोटे स्केल पर काम कर सकेगा। वह बड़ी फैक्ट्रियों में कम्पीट नहीं कर सकता। बड़ी फैक्ट्रियां भी लगायेंगे और उद्योग धन्धे भी गांव के कायम रखेंगे, तो मैं कहता हूं कि हो नहीं सकता। आज बदकिस्मती यह है कि आप सुबह गांधी आश्रम का उद्घाटन करते हैं तो शाम को स्वदेशी काटन मिल का।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आपका पर्सनल एक्सपीरियेंस होगा।

चौधरी चरण सिंह--

मैंने तो स्वदेशी काटन मिल अभी देखी नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मैंने भी नहीं देखी।

चौधरी चरण सिंह--

आखिर फिर आपका रुपया कहां से आयेगा इलेक्शन के लिए। खैर, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। लेट अस कम टु दि प्वाइंट, और वह यह है कि जब तक आप यह नहीं करेंगे कि जो चीजें हस्तकला और दस्तकारी के लिए जरूरी हैं, उनके बनाने के लिए फैक्ट्रियां नहीं खोलेंगे, तब तक हस्तकला और दस्तकारी नहीं पनपेगी, भले ही आप अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए भाषण में इसको जाहिर करते रहें। और वह आप कर नहीं सकते। वह भारत सरकार की स्कीम है। मैंने इन्दिरा जी से बात की लेकिन वह तैयार नहीं हैं वर्ना करोड़ों लोगों को रोजगार साल भर के अन्दर मिल सकता है। केवल एक काम आप कर दें। टैक्सटाइल फैक्ट्रीज को आर्डर दिया जाय कि उनका बना हुआ कपड़ा देश के बाहर बिकेगा, देश के अन्दर नहीं बिकेगा। करघे तथा चर्खे का बना हुआ कपड़ा देश के अन्दर बिकेगा। एक आदमी टैक्सटाइल फैक्टरी के जरिये जितना कपड़ा बनाता है उतना कपड़ा 12 आदमी हैन्डलूम इंडस्ट्री में बनाते हैं और 9 लाख आदमी उसमें लगे हुए हैं। अब हिन्दुस्तान के अन्दर जो कपड़ा बिक रहा है उसे हैंडलूम वाले बनाने लगें और अन्सारी तथा बुनकर उसमें लग जायें तो साल भर के अन्दर एक करोड़ आदमियों को रोजगार मिल जायेगा। लेकिन टेक्सटाइल फैक्टरीज से वह कम्पीट नहीं कर सकते जब तक कानून न बनाया जाय। कहने को यह बहुत अच्छी बात है, स्पीच छप जायगी। गरीब लोग कुछ खुश हो जायेंगे लेकिन नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है।

मैं बहुत अहसान मानूंगा, मैं इस बात को पब्लिकली स्वीकार कर लूंगा और आप देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे अगर आप भारत सरकार को इस बात के लिए राजी कर लें कि जो चीज छोटे पैमाने पर बन सकती है ग्रामों में उसे बनाने के लिए बड़े कारखाने

आप नहीं खोलेंगे, यही महात्मा गांधी कहते थे। आज जो कारखाने लगे हुए हैं और जो सामान वह बना रहे हैं वह हिन्दुस्तान में नहीं बिकेगा, उसे बाहर भेजा जायगा इसके लिए अगर आप भारत सरकार को राजी कर लें तो आप देश के लोगों की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। यह भी लोगों को बहकाने के लिए आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण उद्योग धंधे हैं उनके मजदूरों की तनख्वाह आप तय करेंगे और जो एग्रीकल्चरल लेबरर है उसकी भी आप तनख्वाह तय करेंग। आप नहीं कर सकेंगे। यह मुमकिन नहीं है। यह हो नहीं सकता।

काटेज इंडस्ट्री की तारीफ यह है जिस उद्योग को एक परिवार चला रहा हो उसमें लेबर का सवाल नहीं है। काटेज इंडस्ट्री तथा हैन्डीक्राफ्ट में लेबर का सवाल नहीं है। किसकी तनख्वाह आप तय करेंगे। केवल स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जहां पर 9 से ज्यादा लेबरर हों और बिजली से काम चलता हो वहां पर अगर आप लेबरर के वेतन को तय करने की बात कहें तो वह हो सकता है लेकिन उसके लिये भी मैं मश्विरा दूंगा मत करना, उससे भी खराबियां पैदा होगी, उससे स्माल स्केल इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं क्योंकि उसमें काम करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है और इन्टर प्रेनर्स की तादाद कम है। वहां वेजेज आप फिक्स नहीं कर सकते। ऐक्ट बना दिया जगजीवन राम जी ने। 25 साल हो गये प्रोग्रेसिव कहलाने के लिए यह सब किया लेकिन वहीं यह मुमकिन नहीं है। फैक्ट्री में हो सकता है जहां पर 500 आदमी वर्कर इम्प्लायर एक है। जहां एम्प्लाइज के बिना फैक्ट्री चल नहीं सकती। वह एम्प्लायर को कम्पेल कर सकते हैं लेकिन जहां पर एक तरफ लेबरर हैं बहुत से और दूसरी तरफ बहुत सें किसान। वहां पर किसान को लेबर की जरूरत जरूर है लेकिन अगर आपने उसकी वेजेज फिक्स कर दीं तो किसान यह कहेगा वह अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर काम चला लेगा, लेकिन सरकार ने जो तनख्वाह मुकर्रर की है उसे वह नहीं दे सकेगा और उसको चेक करने के लिए आपने कोई इंसपेक्टर रख दिया तो और ज्यादे करेप्शन होगा। वह 2 रुपये रोज लेगा और 4 रुपया रोज दिखाया जायेगा। तो इट विल लीड टु करप्शन। लेकिन आप बेसिक चीजों को भूल जाते हैं। आज टीचर्स क्या कर रहे हैं। 125 रुपए लिखते हैं और 100 रुपए लेते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि अगर इस नौकरी को छोड़ दिया तो उनको कहीं 80 रुपए भी मिलने वाले नहीं हैं उसका कारण यह है कि आपकी इकानामी बहुत अनडेवलपड है। इसलिए आप उसको इनफोर्स नहीं कर पाये। आज आप करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाने जा रहे हैं लेकिन किसानों–मजदूरों को झूठ बोलने का रास्ता इस करेप्ट सोसाइटी को और करेप्ट करने का रास्ता आप खोलने जा रहे हैं। जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लेबरर की तादाद कम हो जायेगी जिससे उनकी मजदूरी 5, 8, 10 रुपए हो जायगी जैसा कि वस्टर्न यू0 पी0 में है लेकिन गाजीपुर और पूर्वी क्षेत्र में वह नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप आर्टिफीशियली लोगों की समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं।

अधिष्ठाता महोदया, हमारी प्रधान मन्त्री ने पिछले इलेक्शन के पहले यू0 पी0 में 28 फाउन्डेशन स्टोन और इनआगुरेशन्स सेरेमनीज की हैं जिनमें कि 6 अरब रुपया लगना था...

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वह आपको दिखाई देगा।

चौधरी चरण सिंह—

कागजों पर दिखाई देगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बिना हिसाब के आप कभी नहीं बोलते थे आज कैसे बोल रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह—

आप लोगों का हिसाब लगाना मुश्किल है।

हां, तो मैंने पेपर में पढ़ा है कि 6 अरब रुपया उसमें इंवाल्व है। उनमें 12 प्रोजेक्ट्स के लिए तो अभी तक जमीन भी एक्वायर नहीं हुई है। अधिष्ठाता महोदया, आपको वही अधिकार है जो कि माननीय अध्यक्ष को हैं, इसलिए आपके जरिये माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो 28 फाउन्डेशन स्टोन और इनआगुरेशन सेरेमनीज की गई हैं उनमें तफसील से कितना-कितना रुपया इंवाल्व है, इस साल कितना खर्च होना है, उनकी प्लेन बनी थी या नहीं, यदि कहीं पर कोई काम शुरू हुआ है तो आज किस स्टेज पर है और कितना काम हुआ है इस लिटरेचर में कहीं यह आया है या नहीं। इसका जवाब आप कल परसों सदन में दे दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जब जवाब दूंगा उस समय बता दूंगा।

चौधरी चरण सिंह—

लेकिन सही-सही कहना।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आपको देखकर गलत तो बोल ही नहीं सकता।

चौधरी चरण सिंह—

18 कारपोरेशन्स पहले से थे और 27 और बनने जा रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

तो दिक्कत क्या है ?

चौधरी चरण सिंह—

क्या दिक्कत है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन मैंने सुना है कि कांग्रेस वाले जो इलेक्शन हार गये हैं वे आपकी इस तज्वीज से बहुत खुश हैं। आप इससे सब को सन्तुष्ट रखने में सफल होंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आपके समय में भी यही सब हुआ है।

चौधरी चरण सिंह—

18 कारपोरेशन इस प्रकार हैं :—

उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसके पास काम कितना है, यह बाद में मैं बता लूंगा। उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश स्माल इंडस्ट्रीज कारपोशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट-सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जबकि दो फैक्टरियां पहले से ही हैं, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिजेज कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग बोर्ड, उत्तर प्रदेश एक्स पोर्ट प्रोमोशन कारपोरेशन, हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, आफ उत्तर प्रदेश, लिमिटेड इंडियन टरपेंटाइन एंड रोसिन कम्पनी लिमिटेड,

उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड, पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड, बुन्देलखंड विकास लिमिटेड। और अब एक दम से एक कलम से 27 कारपोरेशन एक दम से कर दिए। एक साल में 5–5 करते तब तो गनीमत था। एकदम से 27, क्योंकि सूबे की तरक्की इनको बहुत तेजी से करनी है।

पशुपालन में आप रुपया नहीं रखेंगे। एक परसेंट गायें हैं अच्छी नस्ल की। लेकिन आप मिल्क रिव्यूलूशन कर रहे थे, मानो यह भी कोई सड़क हो गई कि इतने मजदूर रख लिए और सड़क बना दी गई। एक साल में हरिजन को गाय भी मिल जायेगी और दूध भी बढ़ जायगा। न यह हिसाब लगाया कि कितनी गायें हैं, कितनी अच्छी नस्ल की गाय हैं, न यह सोचा कि इनके लिए रुपया कहां से आएगा, न यह हिसाब लगाया कि इसे करने के लिए उन हरिजनों के पास पैसा नहीं है। यह न तो ह्वाईट रिव्यूलूशन है और न मिल्क रिव्यूलूशन है। केवल आपने मेकेनिकल कारपोरेशन बना दिये कि इस तरह से दूध बढ़ जाय। नहीं बढ़ेगा इस तरह से। आपके हुक्म से केवल दूध नहीं बढ़ेगा। उसके लिए लांग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए और उसके लिए लगातार काम होना चाहिये। यह नहीं कि एक आदमी काम कर जाये, दूसरा उस स्कीम को खत्म कर दे। आपके 11 डेयरी कारपोरेशन्स में खर्च होगा। इनमें आफिसर्स होंगे, स्टेशनरी का खर्चा होगा, बिल्डिग होंगी, टी0 ए0 डी0 ए0 का खर्चा होगा। इसमें करप्शन होगा और नान-आफिशियल्स भी रख जायेंगे। यह नतीजा होगा।

इसी तरह से ट्यूबवेल कारपोरेशन की क्या जरूरत है। इसके बजाय एक एस0 ई0 तथा एक चीफ इंजीनियर को रख देते तो काम चल जाता। आपने 5 रीजनल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन्स बना दिये हैं। इनकी क्या हैसियत होगी। आपने जो एक ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बना दिया है उसका ही काम देख लेते। यही एक कारपोरेशन काफी था। इसी तरह से एक कारपोरेशन फूड ग्रेंस तथा अदर नैसेसिटीज के लिए बना रहे हैं।

दुनिया में तीन तरह के आदमी होते हैं। एक परमात्मा के यहां से अक्ल लेकर आते हैं, दूसरे यहां कुछ पढ़ लिख लेते हैं और दूसरे व्यक्तियों से कुछ सीख लेते हैं। लेकिन तीसरी कैटेगरी के आदमी ऐसे होते हैं जो दूसरों की गल्ती से भी सबक नहीं सीखते हैं। इसी तीसरी कैटेगरी में हमारे मुख्य मन्त्री तथा कैबिनेट के सब मन्त्री आते हैं। फूड ग्रेन कारपोरेशन कैसे इन्तजाम कर देगा। यह कैसे प्रोक्योर करेगा और डिस्ट्रिब्यूट करेगा। जब आप नहीं कर पाते हैं तो यह कैसे कर लेगा। आपके आफिसर्स नहीं कर पाते हैं। जब यह प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा तो उसमें आपका हाथ होगा या नहीं। अगर आपका हाथ होगा तो फिर इस कारपोरेशन की क्या जरूरत है। जो काम आपका महकमा नहीं कर सकता है, आपके आफिसर्स नहीं कर सकत हैं उसको आप इस कारपोरेशन से कराना चाहते हैं। यह तो सिर्फ इसलिए है कि जब यहां सवाल होंगे तो आप कह देंगे कि हमने फूड कारपोरेशन कायम कर दिया है।

हमारे मुख्य सचिव श्री के0 के0 दास थे और मुख्य मन्त्री उस समय श्रीमती सुचेता जी थीं। मैं 1964-65 की बात कह रहा हूं। उस समय यहां पर सब सुपर बाजार कायम कर दिये गये। इनका क्या कसूर बल्कि यह सुपर बाजार सारे देश में कायम हुए थे। सुपर बाजार नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन काम ठीक नहीं होता है क्योंकि किसी को उसका अनुभव नहीं है। ट्रेड का काम गवर्नमेंट सरवेंट कैसे कर सकता है। उसका कोई इन्टरेस्ट नहीं होता है। यह बाजार अटर फेल्योर रहे हैं। बात यह है कि अगर किसी की शिकायत आयेगी तो आप इंक्वायरी करायेंगे और शिकायत के सही होने पर आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा उसका तबादला कर देंगे। उसका कोई इन्टरेस्ट नहीं होता है इसलिए गवर्नमेंट सरवेंट मेहनत से काम नहीं करते हैं। इसलिए ये बाजार फेल हुये हैं। आपका

[चौधरी चरण सिंह]

यह कारपोरेशन भी अटर फेल्योर होगा। आप इसको कायम करके खतरा न उठायें। इसमें बहुत रुपया खर्च होगा और करप्शन होगा।

आप क्या करने जा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह वित्त मन्त्री जी का बेबी है। यह माननीय तिवारी जी का ब्रेन वेव मालूम होती है। पुलिस का कारपोरेशन और बना दीजिये। वही बाकी रह गया है। आप नये-नये कारपोरेशन्स कायम कर रहे हैं। एक ब्रास वेयर का कर रहे हैं दूसरा जूते का आगरा में कायम करने जा रहे हैं और स्माल इंडस्ट्रीज के लिए कन्सल्टेंसी कायम करने जा रहे हैं। इसमें कौन इंडस्ट्रीज है तो स्माल इंडस्ट्रीज हर किस्म की होगी। जितनी पासिबिल इंडस्ट्रीज हो सकती है उनकी टेक्निकल नालेज ही हमारे पास। क्या सोचते हैं! क्या करते हैं! लिख दिया करा लिया। मेजारिटी है। अब मिनरल कारपोरेशन की बात है। मिनरल कारपोरेशन की क्या जरूरत है। कारपोरेशन का मलतब मैं यह समझता हूं कि 1 से ज्यादा आदमी 10-12 उनके डी0 ए0 वगैरह का इन्तजाम, ठहरने का इन्तजाम और बड़ा भारी दफ्तर ठहरेंगे क्लार्क में। आज वे सोचें अधिष्ठाता महोदया। मैं कह रहा था कि कोल को नेशनलाइज करने की गलती हुई है। वापस करें। श्री के0 डी0 मालवीय ने कहा कि हमारी लाश पर होगा उसका डि-नेशनलाइजेशन। जितने ये बड़े-बड़े कारपोरेशन्स के मेम्बर और मैनेजर हैं, होटल्स में ठहरते हैं, नैनीताल में, कलकत्ता में और लखनऊ में वह एश कर रहे हैं और इतना नैपोटिज्म है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं और इन-काम्पीटेंट आदमियों को ऊंची-ऊंची जगहों पर रख दिया जाता है। सबके सब ठहरेंगे बड़े-बड़े होटल्स में। तो फिर क्या होगा। कोई पूछे कि क्या फायदा होगा! यह ज्यादा इफीशियेंसी से काम करेंगे ये प्रोडक्शन बढ़ायेंगे। नो।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लीजिये। कहानी आपको सुनाऊं। मुझसे श्री परिपूर्णानन्द वर्मा की बात हुई। आज एक आर्टिकिल निकला है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे उसे पढ़ लें। 2 सबसे बड़ी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं। उसके बाद तीसरी आती है यू0 पी0 की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ढाई करोड़ रुपया माहवारी उसका खर्चा है। गवर्नमेंट सरवेंट की सेलरी पर। यह हिन्दुस्तान की तीसरी नम्बर की इतनी बड़ी पब्लिक अन्डरटेकिंग है। मुख्य मन्त्री कहते हैं कि 1700 मेगावाट जरूरत है बिजली की। 1458 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की कैपासिटी है। बात करेंगे 300 और 250 की। पैदा कर रहे हैं 853 मेगावाट बिजली। यानी उत्पादन की जो कैपासिटी है उससे 605 मेगावाट कम बिजली। क्यों! इसका कौन जिम्मेदार है! अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड नहीं है तो कौन है इसका जिम्मेदार? बहुगुणा जी कहते फिरते हैं। यह कहते फिरते नहीं, कहते हैं कि रिहन्ड डैम तो गलत कन्साइल हुआ है। उसमें ज्यादा से ज्यादा यह था कि 1--2 घंटे से ज्यादा पीक पर न चले, लेकिन बराबर चल रहा है। 1966-67 में सूखा पड़ा पानी की कमी नहीं थी। छोड़ो यह तो हाइडिल है। थर्मल जहां कोयले से काम हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार कौन है! वह स्कीम सम्पूर्णानन्द और चरण सिंह ने बना दी और गुप्ता जी ने कर दिया हमारा वास्ता इस मुहकमे से नहीं था, पन्त जी और हाफिज जी जो करते थे वही हुआ था। 1958 में हुआ, नवम्बर के महीने में। पावर का प्रश्न हमारे सामने आ गया, कि बिड़ला को बिजली दे दी जाय। मैंने अपोज किया। तीन मीटिंग्ज हुई। मैं तैयार नहीं हुआ, इस बात पर कि बिड़ला को मुफ्त बिजली दे दी जाय। चौथी मीटिंग में मैं एबसेंट था तो दे दिया। 1959 में जो इस्तीफा हुआ उसमें लिखा हुआ है, मुख्य कारण है। कम से कम मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। खैर, मैं मान लेता हूं कि मेरा ही मुहकमा था, मैंने ही स्कीम कन्सीव की थी, मैंने ही एग्जीक्यूट किया, आपके थर्मल म दोष कहां से आ गया। दोष यह है, इनएफीशिएन्ट और करप्ट मशीनरी, और इनएफीशिएन्ट लीडरशिप एंट दि टाप,

मिनिस्टरों की। उसका मेंटिनेंस खराब, आपके टरबाइन्स नहीं चल रहे हैं। इंडस्ट्रियलिट्स को दे रहे हैं और वह ठीक चल रहे हैं। मोदी को दे दिया वह ठीक चला रहा है।

मैं आपके जरिये रिक्वेस्ट करूंगा कि उस मुहायदे की कापी सदन में रख दें जो मोदी से किया है। उसमें कहा गया है कि पीक में वह 24 घंटे देंगे। जो आपकी टरबाइन्स यहां काम नहीं करती हैं वह जब इंडस्ट्रिलिस्ट्स ले जाते हैं तो काम करती हैं। मार्टिन कम्पनी के जमाने में जो मशीनें थीं, ठीक काम कर रही थीं, आपके हाथ में आयीं, मशीनें रद्दी। इंजीनियर अच्छा से अच्छा हो 58 वर्ष में रिटायर। थर्मल पावर हाउसेज में काम कर रहे हैं हाइडिल के इंजीनियर्स। सात सौ से एक हजार ट्रांसफार्मर हर साल चोरी हो जाते हैं। उसमें आफिशल्स का भी हाथ होता है। केवल चोरों या डकैतों का हाथ नहीं होगा। कापर वायर्स निकाल लिये जाते हैं। कापर लाइन्स बदल कर अल्म्यनियम लाइन्स की गयी। उसमें लाखों का गोलमाल है। आपके प्रेडिसेसर त्रिपाठी जी के जमाने का मामला है। जो मार्टिन या दूसरी प्राइवेट कम्पनियों के जमाने में जो मशीनें ठीक काम करती थीं, जब हमारे हाथ में आयीं तो चौपट। टाटा या दूसरी प्राइवेट इलेक्ट्रिकल अन्डरटेकिंग्स हैं। 85 से लेकर 90 परसेंट यूटिलाइजेशन है, हमारे यहां औसत है गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग्स का 47।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

मैं आपको टाटा से टेलीफोन मिलाये देता हूं। 80 से ज्यादा अगर बता दें तो जो शर्त आप कहें लगा दूं।

चौधरी चरण सिंह––

80 नहीं 75 मान लें। 75 सही। 70 सही। आपका 47। मेरा प्वाइन्ट और है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्ज अच्छी तरह से नहीं चला पाती हैं। आप शायद चला भी लें। जब आपने कारपोरेशन बना दिया है वह और बरबादी का कारण है। तो यह आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हाल है। इसी तरह से सीमेंट का भी हाल है। प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री कारपोरेशन होने जा रहा है। क्या सेंस कारपोरेशन का? कारपोरेशन उसमें क्या करेगा। एक अच्छा मैनेजर रखिये, दैट्स आल। एक कारपोरेशन क्या करेगा। इसी तरह से फारेस्ट डिपार्टमेंट को भी करने की बात है। मैं आपके जारिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि शायद केरल स्टेट को छोड़कर फारेस्ट डिपार्टमेंट आज से 4 साल पहले किसी स्टेट में कारपोरेशन नहीं था। फारेस्ट डिपार्टमेंट को क्यों कारपोरेशन बनाया जा रहा है, क्या सेंस है? सारे डिपार्टमेंट को जो है सब सेपरेटली कारपोरेशन बन रहे हैं। अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो आप एक बीच में कारपोरेशन बना रहे हैं और इनइफिशिएन्सी, डिले, करप्शन बढ़ाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, लैंड रिवलामेशन कारपोरेशन बना तो अब यह है कि रेमीन या लैंड डेवलपमेंट उसका कारपोरेशन। ठीक। रिक्शा वालों का कारपोरेशन। ठीक है। अब रहा कौन डिपार्टमेंट? आप पंत नगर यूनिवर्सिटी की हिल कैम्पस की रीजनल लायबेलटी पर 5 करोड़ रु0 खर्च करने जा रहे हैं। हमारे गुप्ता जी ने कहा था कुमाऊं में यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन, खैर, चलो हर डिवीजन में एक जरूर खोलनी चाहिये। खोलिये साहब। अब यह आपस का झगड़ा हो, कि कहां पर हो। गढ़वाल में हो या अल्मोडा का या नैनीताल में हो। यहां के मेम्बर्स ने धमकी दे दी। सन् 1968 में डिवीजन बना दिया गया। क्या नाम उसका–गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तर काशी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

जैसा कि टेहरी गढ़वाल कोई डिवीजन नहीं है। सिर्फ पौड़ी गढ़वाल डिवीजन है और एक नैनीताल डिवीजन है।

चौधरी चरण सिंह--

मैं यह कह रहा था कि उत्तर काशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और चमोली, 4 जिलों की एक डिवीजन बना दिया गया वास्ट स्पेस एरिया का और एक डिविजनल कमिश्नर वहां पर एप्वाइन्ट करने से फायदा क्या । उससे लोगों की सेवा ज्यादा हो सकती है क्या ? वह तो एक सुपरवाइज करने वाला है । उससे ज्यादा फायदा नहीं है । श्री दर्शन साहब बड़ी कोशिश की और एक डिवीजन वहां कायम हो गया 11वां, सन् 1967 में । श्री भक्त दर्शन मेरे पास आये कि गढ़वाल में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिये । एक कालेज बिड़ला कालेज, 200-300 शायद लड़के पढ़ते हैं, डिग्री कालेज क्लासेज में, इसके लिये यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत ? आर्गूमेंट यह हुआ कि एजूकेशन बढ़ जायगा । मैंने कहा कि नहीं खर्च अधिक बढ़ जायगा । अल्मोड़ा में आज तक यूनिवर्सिटी नहीं वहां पर एजूकेशन कम नहीं है । बलिया में यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन लिटरेसी वहां पर ज्यादा है । तो यूनिवर्सिटी से लिटरेसी का कोई वास्ता नहीं, एक दूसरे से वास्ता नहीं । कोई आर्ग्युमेंट देने को तैयार नहीं है । कहा गया कि हमारे यहां इल्लिट्रेसी है । मैंने कहा कि यह भी गलत बात है । बदायूं में 13 प्रतिशत और आपके यहां पर 17 प्रतिशत है । मेरा हाथ अगर खुला होता तो मैं बदायूं में युनिवर्सिटी खुलवाता लेकिन उन्होंने अपनी जिद छोड़ कर नहीं दी । जब आप (माननीय बहुगुणा जी) आये तो इलेक्शन लेकर आये, और उसी के लिये आप आये । 26 नवम्बर, को प्रधान मंत्री के यहां से तय हुआ, उनका आदेश हुआ, बयान हुआ कि पहली दिसम्बर से यहां युनिवर्सिटी कायम हो जानी चाहिये ताकि वोट्स आपको मिल जायं । न युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से पूछा गया, न प्रदेशीय सरकार के वित्त विभाग से पूछा गया न स्टूडेन्ट्स की संख्या का पता लगाया गया । युनिवर्सिटी के खुलने मात्रा से क्या कोई प्रोग्रेस हो जाती है, लेकिन नहीं इलेक्शन के डिक्टेट्स थे । अब तक तो मैं यह समझता था कि माननीय बहुगुणा जी का कोई खास हाथ नहीं था क्योंकि पहले से ही जोर चल रहा था लेकिन मुझे अब पता चला कि 5 करोड़ रुपये लगाकर वहां पर एक हिल कैम्पस भी खुलने जा रहा है । यह धनराशि यदि ट्यूबवेल्स में लगायी गयी होती तो कितनी मुनासिब बात थी, लेकिन नहीं पंत नगर युनिवर्सिटी के लिये हिल कैम्पस खोला गया । क्या लड़के वहां नहीं आ सकते हैं, युनिवर्सिटी में, कितने लड़के हैं जिनके लिये आप कैम्पस खोलेंगे ? अगर हर जिले में कैम्पस हो तो यह आर्गूमेंट कीजिये । युनिवर्सिटी कायम नही हुयी लेकिन कैम्पस के लिये 5 करोड़ रुपया का प्राविधान हो गया। मेरी अक्ल में इट इज ए डैड वेस्ट । कहा यह गया है कि यह आपका जिला है, इसलिये आपने किया । आप जवाब तो देंगे ही कुछ न कुछ लेकिन देयर इज नो सेन्स इन इट । वेस्ट आफ फंड्स ।

अधिष्ठाता महोदय, अब एस0 एस0 आर0 लाइट रेलवे के लिये 4 1/2 करोड़ रुपये का प्राविधान हो रहा है । मैं जानता हूं कि यह रेलवे लाइन ब्राड गेज होनी चाहिये और जब मैं 1937 व 1939 में मेम्बर था उस समय मेरठ के सारे एम0 एल0 एज0 ने यह कहा कि शहादरा सहारनपुर रेलवे लाइन ब्राड गेज बनायी जाय लेकिन सरकार ने मान कर नहीं दिया । उन्होंने कहा कि यह रेलवे मार्टिन को लीज पर दी हुयी है । जब वह समाप्त होगा तभी विचार किया जाय । 1946-47 में हमने फिर कोशिश की लेकिन सरकार ने नहीं माना । सन् 1970 में प्रधान मंत्री ने उसे ले लिया और अपने आप भी न चलाने का निर्णय कर लिया । रेलवे बन्द हो गयी । मैंने, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, फिर रेलवे मंत्री और प्रधान मंत्री को लिखा कि इस रेलवे लाइन को ब्राड गेज करने के बजाय आपने इसे बन्द ही कर दिया । यह एरिया बड़ा ही डैन्सली पाप्युलेटेड एरिया है । कोई रेलवे लाइन न होते हुये भी आपने इसे बन्द कर दिया लेकिन इससे मेरे खिलाफ यह प्रोपेगैन्डा हो गया कि मैंने ही इसे बन्द करवा दिया है । जरा देखिये मेरे लेटर्स । मैंने लिखा था कि इसे ब्राड गेज किया जाय और जब तक इसे ब्राड गेज न किया जाय तब तक इसे बन्द न किया जाय । फिर इलैक्शन आ गया । 1974 की हवा अब आ गयी थी । यह रेलवे लाइन शहादरा से आरम्भ होती है । और

सहारनपुर में समाप्त होती है, या सहारनपुर में आरम्भ होती है और शहादरा में समाप्त होती है लेकिन बीच में खेखड़े की कांस्टीट्युन्सी थी । एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेकर दिल्ली से गये थे, विकल जी और उन्होंने बीच में उद्घाटन करवा दिया खेखड़े में उसका ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आपसे ट्रेनिंग लेकर ही गये थे ।

चौधरी चरण सिंह—

उसको मजाक करके टालने से कोई फायदा नहीं । तो शाहदरे से बीच का स्टेशन है वहां श्रीमती जी जाती हैं, हमारी बहिन और उद्घाटन करती हैं । एरोप्लेन में दसियों आदमी दिल्ली से जाते हैं जिनका कोई वास्ता न रेल से था न किसी से । बीच में ब्राड-गेज के लिये उद्घाटन हो रहा है । अगर शाहदरे में या सहारनपुर में होता तो कोई सेंस था ।

लिहाजा अब गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास तो रुपया थे ही नहीं, 4,40 लाख रुपया इस गरीब सूबे से देने जा रहे हैं शहादरा लाइट रेलवे के लिये । यह रिस्पांसिबिलिटी आपको लेने की क्या जरूरत थी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

न करें हम ?

चौधरी चरण सिंह—

बिल्कुल नहीं । यह गवर्नमेंट आफ इंडिया का काम है, उनको करना चाहिये और 4,40 लाख रुपया जो ईस्टर्न जमुना नहर है, जिसका पानी हरियाणा लिये जा रहा है उस जगह खर्च होना चाहिये था, जिसके लिये कि जमाने से हमारी तजवीज चल रही थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट की, वह आप कीजिये । इस सम्बन्ध में आप जरूर व्याख्यान करेंगे कि चरण सिंह ने बन्द करवाने की बात कही तो उसके साथ यह भी जोड़ दीजिये कि 5 करोड़ रुपया जो हिल कैम्पस में लगाने जा रहे हैं तो दोनों के साथ ही काट दीजिये, जो कि पन्तनगर का हिल कैम्पस है । दोनों का साथ ही डिसीशन ले लीजियेगा ।

अब हैं सेल्स टैक्स एरियर्स । वह भी देखने की बात है कि स्कीमें कहां-कहां बन रही हैं, कब से बन रहीं है, कितने सालों से बन रही हैं । मैं सवाल उठाता नहीं हूं लेकिन वेस्टर्न लोगों का ख्याल है कि उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है 5 साल से । ठीक है, गरीबी बहुत ज्यादा जिन एरियाज में है वहां ड्योढ़ा खर्चा कीजिये, सवाया कीजिये, पौने दो गुना कीजिये । लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कम्पैरेटिवली जो कुछ हिस्टारिकल कारण से "ए बिट बेटर आफ हैं" सब तो नहीं हैं—जैसे मथुरा है, एटा, मैनपुरी, आगरा, इनकी हालत खराब है । हां देहरादून से बुलन्दशहर, मेरठ के जिले हैं वहां आधा खर्चा कीजिये । लेकिन यह नहीं हो सकता कि बिल्कुल खर्च न कीजिये ।

अधिष्ठाता महोदया, सेल्स टैक्स एरियर्स 61 करोड़ के हैं । मैंने अखबारों में पढ़ा है । "अमृतबाजार पत्रिका" में लिखा है कि सेल्स टैक्स क्यों नहीं वसूल किया गया, शायद कुछ टैक्सेज नहीं लगाने पड़ते ।

रही नये टैक्सेज की बात, तो टैक्सेज का हिसाब लगाइये । आप कहते हैं कि अमीरों पर पड़ेंगे अधिकतर । नहीं, गरीबों पर पड़ेंगे । एक टैक्स है आपका "स्टाम्प शुल्क" । आप सेल्स टैक्स डीड और मार्गेज डीड पर जो लगा रहे हैं तो साढे 37 से 45 और 45 से 75 कर रहे हैं । 28 रुपये से 50 रुपया और साढे 22 से साढे 37 कर रहे है और 45 से 75 कर रहे हैं । कहा तो यह जाता है कि जस्टिस फ्री होनी चाहिये । यह भी जस्टिस का एक अंग ही है कि आप कितनी कोर्ट-फीस और स्टाम्प लेते हैं और आपका यह ख्याल कि

[चौधरी चरण सिंह]

गरीब आदमी मार्गेज नहीं करता है और सेल्स टैक्स डीड नहीं करता, यह गलत है । आप अपना रजिस्ट्रेशन देखें । मंगा लीजिये कि मार्गेजेज और सेल्स का कितना एरिया है, कितने एरिये पर हो रहा है—तो पता चलेगा कि छोटे लोग ज्यादा कर रहे हैं और यह गरीब आदमी पर पड़ने वाला है जो बेचता है या जमीन रेहन रखता है । एकदम आपने इतना बढ़ा दिया कि एक हजार पर 75 रुपये तक वह केवल स्टाम्प के दे । यह बहुत ज्यादा है । मनोरंजन कर— यह भी अधिकतर गरीब पर ही पड़ेगा और मुझे तो डर लगता है कि कहीं डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली बात न हो जाय । अगर आप ज्यादा टैक्स लगाओगे तो सिनेमा देखने वालों की तादाद बजाय बढ़ने के कहीं घट न जाय । सिनेमा अच्छे हों इसकी तरफ ध्यान दीजिये बजाय इसके कि खराब चित्र हों और आप टैक्स बढ़ायें ।

तीसरी चीज मैं आपको बताऊं—एक्साइज । ओफ्फोह, यह मजबूरी न जाने क्या-क्या कराती है । अखबार में निकला है कि हम जबर्दस्ती किसी पर प्रोहिबिशन लादना नहीं चाहते हैं—डी० एन० बहुगुणा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वह कोई और होगा । मेरा नाम आप न भूलिये मेरी सिर्फ इतनी ही इस्तदुआ है ।

चौधरी चरण सिंह—

कुछ ज्यादा फर्क नहीं । (हंसी) अच्छा खैर, आप कहते हैं कि जबर्दस्ती किसी पर लादना नहीं चाहते । क्या मतलब ? यह एक बात सही है कि कम्प्लीट प्रोहिबिशन के कामयाब होने में कठिनाइयां आयी हैं । अमेरिका में प्रेसीडेन्ट जानसन ने बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे । आखिर उन्होंने छोड़ दिया । मुझे नहीं मालूम यहां क्यों छोड़ा लेकिन मौका एक कामयाब होने का था बम्बई में जब मोरारजी देसाई ने किया था और मद्रास में जब राजाजी ने इन्ट्रोड्यूस किया था । तो आप यह तो कह सकते है कि इसको हम रेगुलेट करेंगे और वाइन ड्रिंकिंग को डिस्करेज करेंगे । लेकिन आप तो वाइन ड्रिंकिंग को बढ़ा रहे हैं । आप जो लाइसेंस देने जा रहे हैं इसमें आप उसको खूब इन्करेज कर रहे हैं । आप लिबरलाइज कर रहे हैं होलसेल और रिटेल लाइसेंसेज । फारेन लिकर के और नये लाइसेंन्सेज दे रहे हैं और नये बार खुल रहे हैं । इतना टैक्स लगाना चाहिये जिससे पानी ही न पिलाने लगें वह । लेकिन साथ ही साथ इतना टैक्स लगाना चाहिये कि डिस्करेज हों लोग पीने से । यहां यह कोई बात नहीं है । आपको तो 15 करोड़ रुपये चाहिये थे, आपने डिपार्टमेंट से कहा, जैसे भी हो शराब से 15 करोड़ रुपये आने चाहिये । मैं इसको अपोज करता हूं । आपका ख्याल है कि इसका खर्चा बड़े लोगों पर पड़ेगा, लेकिन नहीं, इसे भी बदकिस्मती से ज्यादा गरीब ही पीते हैं । फारेन लिकर शायद वह पियेगा जिसको आप डी० ए० रहे हैं और जिसे दो हजार रुपये तनख्वाह मिलती है ।

एक और बात । आप सड़कों पर भी टैक्स लगा रहे हो और गुड्स के ऊपर भी टैक्स है । यह भी सारा मासेज पर पड़ने वाला है । गुड्स की कीमत बढ़ जायेगी और हर गरीब आदमी एफेक्टेड हो जायेगा । इसलिये मैं इन टैक्सों का विरोध करता हूं ।

अब एक बात आती है मालगुजारी की । मैं हमेशा मालगुजारी एबालिश करने के खिलाफ रहा । लेकिन श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने जो पी० सी० सी० के सेक्रेटरी थे, मुजफ्फरनगर में अक्तूबर, 1966 में पी० सी० सी० की मीटिंग में उसे पास करवा लिया । मुझसे पूछा भी नहीं गया । आपने मुजफ्फरनगर में रिज्योलूशन को पास करवा लिया । आपका इनेशियेटिव था उसमें । मुझसे पूछा तक नहीं गया । कांग्रेस को जीतने की उम्मीद नहीं थी, भाव बढ़ रहे थे, आपने सोचा कि मालगुजारी माफ कर दो, इसी से वोट मिल सकेंगे ।

सुचेता जी ने मुझसे पूछा था सन् 66 में कि आपकी राय क्या है ? मैंने राय यूं नहीं दी कि मैंने समझा कि कोई फायदा नहीं है देने से। मैं तो बराबर इसके खिलाफ रहा हूं । सब एक हैं कोई लक्कड़वाला या लोहावाला. . . (हंसी) खैर, छोड़िये उसे ।

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप मालगुजारी माफ मत कीजिये, मगर जो किसान के ऊपर और बर्डेन है उसे कम कीजिये, आबपाशी का रेट कम कीजिये, फर्टीलाइजर की कीमत कम कीजिये, डेवलपमेंट लैवी, अगर लगती है तो हटाइये । आप मालगुजारी लगा दीजिये, मगर साथ ही इन सब पर टैक्स को घटाइये । मेरा अपना ख्याल यह है कि किसान को मालगुजारी देने में न पहले दिक्कत थी न आज है । इससे आपको करीब 22 करोड़ रुपया मिल जायेगा । उड़ीसा इसे फिर लगाने जा रहा है । मध्य प्रदेश में पहले ही लग चुका था, पंजाब में भी रीइन्ट्रोड्यूज हो रहा है । आप भी लगाइये, मगर यह मैं इसी शर्त के साथ कह रहा हूं कि आबपाशी का रेट कम कीजिये, फर्टीलाइजर की कीमत कम कीजिये, एक्साइज के टैक्स को कम कीजिये । आज शराब का इस्तेमाल पढ़े लिखे लड़कों तक में बढ़ गया है । अगर यह बढ़ता गया तो उनकी सारी इनर्जी खत्म हो जायेगी, देश की तरक्की रुक जायेगी ।

अधिष्ठाता महोदया, मैंने दो घंटा से ज्यादा समय ले लिया, मैं सदन के सारे माननीय सदस्यों से माफी चाहता हूं । इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

कृपया एक चीज बता दें कृपा कर । उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिये इस बजट में क्या-क्या मौलिक परिवर्तन आप करना चाहते हैं ?

चौधरी चरण सिंह--

यह रोग तो आपने पैदा किया है । अब आप ही इलाज कीजिये । डेवलपमेंट के लिये आपके पास रुपया रहा नहीं । आप बात को क्यों नहीं मानते हैं । आप इस हद तक डूब गये हैं और अब मदद मांगते हैं । आप कोई माकूल काम करेंगे तो मैं मदद करूंगा लेकिन मैं कहता हूं कि आप एक माकूल काम में अगर मेरी मदद लेंगे तो दूसरे नामाकूल काम को आपको छोड़ना होगा ।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदया, पांचवीं पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में प्रथम बजट पर यह चर्चा शुरू हुयी है । हमारे सदन के वरिष्ठतम सदस्य, माननीय चौधरी चरण सिंह ने इस पर अपने कुछ सुझाव दिये हैं । मैं ध्यान पूर्वक माननीय चौधरी साहब के सुझाव और विश्लेषणों को सुन रहा था ।

मुझे बड़ा दुख है कि अपनी अपनी घंटे की इस चर्चा में चौधरी साहब ने इसमें किसी बात को इंगित नहीं किया कि यह प्रदेश जो दुनिया में सबसे पिछडा है, देश में सबसे पिछड़ा है, का विकास कैसे हो ? माननीय चौधरी साहब आज विरोधी दल के नेता हैं । जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ प्रदेश में प्रजातांत्रिक सरकार आयी जहां तक मुझे अपनी जानकारी है उस समय से सन् 1970 तक इस प्रदेश के शासन में वह रहे । प्रदेश में शासन की और प्रदेश की जितनी जानकारी आज माननीय चौधरी साहब को है उतनी इस सदन में बैठने वाले किसी सदस्य को नहीं है । यह सदन उनसे इस बात की अपेक्षा कर रहा था कि इस प्रदेश की जो कठिनाइयां हैं, इस प्रदेश की जो गरीबी है, इस प्रदेश का जो पिछड़ापन है, अपने तजुर्बे से जो उनकी शासन में रहने की जानकारी है, उसको दूर कैसे किया जाय इस पर वह राय दें । बड़े दुख की बात है कि चौधरी साहब ने उस पर कुछ प्रकाश नहीं डाला । कुछ बातें जो चौधरी साहब ने कहीं अधिकांश वह चीजें थीं जो संविधान से सम्बन्धित है, कुछ चीज़ें थीं जो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित थीं और कुछ चीजें ऐसी थीं जो स्वतः चौधरी साहब से सम्बन्धित थीं ।

[श्री लोकपति]

माननीय चौधरी साहब ने शुरू किया कृषि विभाग की इन-इफिशियेंसी से। चौधरी साहब हमारे देश में खास तौर से इस प्रदेश में किसानों के नेता हैं, यह बात वह स्वतः भी कहते है। कृषि विभाग माननीय चौधरी साहब के पास था तो इन-इफिशियेंसी आज कृषि विभाग में विद्यमान क्यों है। चौधरी साहब ने अपने मंत्रित्व काल में उनको दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की ? माननीय चौधरी साहब ने यह कहा कि प्रदेश में खाद्यान्न की कमी हुयी, बढ़ने के बजाय खाद्यान्न का उत्पादन घटा, चौधरी साहब कृषि मंत्री थे। मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं सदन की जानकारी के लिये इसको सदन के सामने रख रहा हूं। चौधरी साहब जिस जमाने में कृषि मंत्री थे उस समय प्रदेश में हरित कांति शुरू हो चुकी थी और कृषि मंत्री होते हुये क्या उन्होंने यह जानने की कोशिश की, कि जो किसानों को बीज दिया जा रहा है, खाद दी जा रही है, उसके अनुपात में किसानों को पानी भी दिया जा रहा है या नहीं।

चौधरी चरण सिंह--

जब मैं मंत्री था तो उस समय मेरे हाथ में सिंचाई विभाग नहीं था। मैंने श्रीमती सुचेता जी को अनेको बार लिखा कि जिस मंत्री के पास कृषि विभाग हो उसी के पास सिंचाई विभाग भी होना चाहिये। मेरे पास केवल कृषि विभाग ही था और जो प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका है जरिये इरीगेशन वह मेरे पास एक मिनट के लिये नहीं रहा।

श्री लोकपति--

तो श्रीमन् अभी चौधरी साहब ने कहा कि जब यह चीज चली तो उस समय श्रीमती सुचेता जी मुख्य मंत्री थीं। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि कृषि विभाग के साथ सिंचाई विभाग भी रहे परन्तु चौधरी साहब के मंत्रित्व काल में एक बार भी कृषि और सिंचाई विभाग साथ-साथ नहीं रहे। जब मान्यवर, वह स्वतः इस विचारधारा के थे कि कृषि विभाग और सिंचाई विभाग एक साथ हो तो जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री रहे तो वह चीज क्यों अमल में नहीं लाये !

अब प्रश्न यह है कि प्रदेश की खाद्यान्न की स्थिति में सुधार हो। प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़े। चौधरी साहब ने उसमें कोई सुझाव नहीं दिया। कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़े और वह स्थिर रहे इसके लिये मैं सदन से आपके माध्यम से अपने सिंचाई मंत्री, वित्त मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से, जो कृषि मंत्री हैं, अनुरोध करूंगा कि खरीफ का समय अब आ रहा है। कम से कम इसमें वह पहल करें कि हमारी सिंचाई और विद्युत् और कृषि विभाग की एक कोआरडिनेशन कमेटी बना दें क्योंकि निगम तो बहुत बन रहे हैं। इस कमेटी द्वारा यह निश्चित किया जाय कि प्रदेश में कितने भाग में किस प्रकार की सिंचाई है। चाहे वह सिंचाई मानसून या वर्षा पर निर्भर करती हो या वह सिंचाई जिसे पेरेनियल सिस्टम कहते हैं अर्थात् जो क्षेत्र वर्षा के ऊपर निर्भर करते हैं। उसी के अनुसार उस क्षेत्र में बीज का वितरण करें जिससे खाद्यान्न का उत्पादन हो और वह क्षेत्र जिसको कि सिंचित क्षेत्र माना जाता है उसमें उस तरह का कार्य करें जिसे कि उन्नतिशील बीजों की खेती कहा जाता है।

इसी सन्दर्भ में एक चीज और कहना चाहता हूं कि जिसके माननीय चौधरी साहब ने आंकड़े पेश किये हैं कि सन् 1948-49 में उत्तर प्रदेश की आमदनी सम्भवतः 243 रु० थी और भारत की आमदनी 250 रु०। सन् 1971-72 में देश की आमदनी हुई 347 रु० और प्रदेश की आमदनी घटकर 240 रु० रह गई। और जहां तक मैं समझ सका माननीय चौधरी साहब ने यह कहा कि इस दौरान में गांव की आमदनी घटी और शहर की आमदनी बढ़ी। गांव की आमदनी 27 रु० से घटकर 16.7 रह गई। यह उसी चीज से सम्बन्धित है कि गांव की आमदनी बढ़ेगी तब कृषि उत्पादन स्थिर रहेगा। तो इसको चौधरी साहब भी मानते हैं।

(इस समय 3 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

हमारे प्रदेश में अधिकांश जनता गांवों में रहती है, लगभग 80 प्रतिशत और उनकी रोजी-रोटी धरती से सम्बन्धित है और धरती का उत्पादन संतुलित नहीं है। उसके पीछे बहुत सी कमियां हैं और उनके सम्बन्ध में मैं पहले ही अनुरोध कर चुका हूं। लेकिन इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि शहर की आमदनी बढ़ी है और गांवों की आमदनी घटी है। 1948-49 में हमारे यहां खेती पुराने ढंग से होती थी। उस समय न तो वैसी खाद पड़ती थी और न उसमें वैसे बीज पड़ते थे जिनके लिये अधिक जल की आवश्यकता होती थी और जिनके लिये यह कहा जाता है कि हरित क्रांति आई। इस सम्बन्ध में एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने जनपद मिर्जापुर का देना चाहता हूं। मेरे जो आंकड़े हैं वह सरकारी आंकड़ों के आधार पर नहीं हैं, मेरी अपनी जानकारी के हिसाब से है इसलिये मैं नहीं जानता कि उनमें कितनी सत्यता है। 1964 में यानी हरित क्रांति के पूर्व हमारे यहां की आबादी साढ़े 8 लाख थी और जो कर्जा था वह करोड़ रुपया था। सन् 1971 में आबादी 115 लाख हो गई और जनपद में कर्जा साढ़े 14 करोड़ का हो गया। यह है हरित क्रांति की देन जिसकी आधारशिला हमारे चौधरी साहब ने रखी थी। कहा जाता है कि प्रदेश में खाद्यान्न की पैदावार बढ़ी सरकारी आंकड़ों में, खेती का दायरा बढ़ा ऐसा हमारे वित्त मंत्री जी के शुरू के भाषण में है लेकिन पैदावार नहीं बढ़ी और उसके न बढ़ने का कारण सिंचाई की समुचित व्यवस्था का न होना। उन क्षेत्रों में उस प्रकार के बीजों का वितरण जिनसे किसानों को लाभ होने के बजाय हानि हुई।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली की बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो अहम है। रिहन्ड डैम में पानी की कम की चर्चा की गई है। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सन् 1969 से 1973 के बीच में इन 4 सालों के जुलाई, अगस्त, और सितम्बर इन तीनों महीनों के आंकड़े ले लें कि इन तीन महीनों में बिजली का कितना उत्पादन हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी को अपनी जानकारी से यह बात बताना चाहता हूं कि जब कि रिहन्ड के क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ था उस समय, यानी सन् 1973 में अधिक बिजली का उत्पादन हुआ जितनी की बिजली अन्य वर्षों में नहीं पैदा हुई थी। सन् 1971 ही एक ऐसा वर्ष है जिसमें 1973 से अधिक बिजली पैदा हुई थी अन्यथा नहीं। रबी के दिनों में जब बिजली की आवश्यकता पड़ी तो बिजली प्राप्त नहीं हुई क्योंकि एक स्तर के नीचे जल कम गिरता है। बरसात के दिनों में यह अधिक चलाया गया क्योंकि बरसात में आमतौर से जो कोयले के बिजली घर हैं उनकी ओवरहालिन्ग होती है। जिस वर्ष वर्षा नहीं हुई थी तब कोयले के बिजली घर को क्यों चलाया गया? यह उसकी गलती है जो वहां का सबसे उच्च अधिकारी है। उसका अंजाम यह हुआ कि हर स्थानों में जो क्षेत्र विद्युत् से सिंचित होता था चाहे सरकारी पम्पकैनाल के द्वारा, चाहे राजकीय नलकूपों के द्वारा, चाहे निजी नलकूपों के द्वारा, हमारा रबी का क्षेत्र विद्युत् की कमी के कारण इफेक्टेड रहा। आखिरी अनुरोध करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारी सरकार ने एक आदेश निकाला है कि कोई भी औद्योगिक इकाई चाहे छोटी हो या बड़ी हो अगर वह डीजल जेनेरेटिंग पंम्पिंग सेट लगाती है तो उसको सरकार 50 प्रतिशत छूट देगी। लेकिन कृषि के लिये सरकारी आदेश यह है कि अगर सवा छः एकड़ के नीचे का कृषक डीजल इंजन लगाता है तो उसे एक हजार रुपये की छूट मिलेगी। श्रीमन्, कृषि भी एक उद्योग है। जिस प्रकार उद्योगपतियों के छोटे बड़े का कोई विचार नहीं रहा गया है वैसे ही कृषकों के लिये भी न रखा जाय और 50 प्रतिशत की छूट उनको भी मिले। इन शब्दों के साथ में प्रस्तावित बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं इस बजट का विरोध करने के लिये अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीराम प्रकाश त्रिपाठी]

विचार रख रहा हूं । मेरा विरोध बजट में लिखी हुई धनराशि से नहीं है । मेरा विरोध उन हाथों से है जिनमें इतनी विशाल धनराशि दी जा रही है । माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से इस सरकार तक कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूं । इस उत्तर प्रदेश की विधान सभा में कई बजट पास हो चुके हैं और जब जब बजट प्रस्तावित किया गया तब तक हमारी सत्तारूढ़ सरकार ने एक ही आश्वासन दिया कि स्वच्छ प्रशासन देंगे, सुखी समाज देंगे । लेकिन इन्होंने सदैव ही जनता को काल्पनिक हिंडोलों में बैठा कर उसकी गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ किया । जो बजट प्रस्तावित है उसमें टैक्सों का भार जनता पर पड़ने जा रहा है । जो धनराशि स्वीकृत करायी जा रही है तो मैं मुख्य मंत्री जी से और उनके विद्वान सहयोगियों से कहूंगा कि क्या वह अपने हृदय पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि जो धनराशि स्वीकृति करायी जा रही है वह जनता के हित के लिये और जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनके लिये पहुंच पायेगी । मुझे तो इसमें पूरा सन्देह है । जो धनराशि जिस योजना के लिये प्रस्तावित है उसका 30 प्रतिशत भी उसके लिये नहीं पहुंच पाता । बाकी धनराशि मंत्री से लेकर संतरी तक बैकडोर से निकल जाती है । अगर पूरी धनराशि जिस काम के लिये स्वीकृति सदन से करायी जाती है उस काम के लिये पहुंच जाती तो आज प्रदेश की यह स्थिति न होती जो आज है ।

आज तो शासन में सुरसा के मुख की तरह भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण मैं आपके माध्यम से यहां रखना चाहता हूं । कानपुर में आर0 टी0 ओ0 आफिस है। आर0 टी0 ओ0 का एक चपरासी है जिसका नाम मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं । वह चपरासी कार मेन्टेन कर रहा है । सुबह 9.30 बजे ड्राइवर कार पर उसको लाता है और शाम को 6 बजे ले जाता है । दूसरा उदाहरण और देता हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिकन्दरपुर सोसाइटी है । वहां के सुपरवाइजर की यह स्थिति है कि उसकी भैंस पर 48 इंच का पंखा चलता है । उसके पास मोटर साइकिल है, आठ हजार का रिवाल्वर है । इस तरह से श्रीमन, भ्रष्टाचार चारों ओर व्याप्त है । अगर नीतियों के आधार पर जनता के हित को दृष्टिगत रखते हुये धनराशि का व्यय हो तो इससे किसी को विरोध नहीं हो सकता । लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमारे मुख्य मंत्री जी सदन में चाहे भले ही बड़ी अच्छी शब्दावली का प्रयोग करके, लोकतंत्रीय मर्यादाओं के आधार पर हम लोगों को समझाने में कामयाब रहे हों (जैसा कि हम लोग भी यही आशा करते थे कि उनके हृदय में प्रदेश की जनता की सेवा करने का अर्मान है।) लेकिन देखने में ऐसा दिखाई नहीं देता ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपनी बात मुख्य मंत्री जी तक पंहुचाना चाहता हूं । मैं अपने ही जिले की बात कहना चाहता हूं केवल पुलिस की बात ले लें । हमारे जिले में थाना कमालगंज है । यहां के एक थाना इंचार्ज ने तीन इतने बड़े बदमाशों की हत्या की, जिन्होंने 7–7 कत्ल किये थे । इनमें से एक आदमी ने एक व्यक्ति का कत्ल किया और चोटी पकड़ कर सारे गांव में उसे घुमाया था । ऐसे बदमाशों की हत्या इस थाना इंचार्ज ने की । लेकिन वहीं से आपही के दल के एक नेता चुनकर आये हैं, जिन्होंने आपसे यह आदेश करवाये कि 24 घंटे के अन्दर इस थाना इंचार्ज का तबादला हो जाय । इसको रोकने के लिये जिला कप्तान ने 3-3 डी0 ओ0 लिखे लेकिन पुलिस कप्तान को फोन किया गया कि आप उसको 24 घंटे के अन्दर रिलीव कर दें अन्यथा आपको रिलीव कर दिया जायेगा । तो यह स्थिति है आज प्रशासन की ।

यहां पर एक छिबरामऊ थाना है । यहां की पुलिस ने जघन्य कृत्य किये हैं । जिस समय रेलवे स्ट्राइक चल रही थी, उसी समय सिकन्दरपुर कस्बे में दो आदमी बेंच पर बैठे थे । पुलिस उनको पकड़ कर थाने में लाती है और उनकी तलाशी करती है । अच्छी खासी धनराशि निकली फिर उनको एक निर्जन स्थान में ले जाकर मार दिया गया । फिर एक सिपाही के

घुटने में छर्रे का चोट दिखाकर, यह कहा गया कि पुलिस के साथ इन्काउन्टर में वे मारे गये। सम्भवतः मुख्य मंत्री जी की नोटिस में यह बात आयी है। लेकिन मैं भी मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी समुचित जांच करवाई जाय और यदि जांच से यह बात निकलती है कि पुलिस के साथ इन्काउन्टर से वे मारे गये, तो मैं इस सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। जब आपके यहां अधिकारियों की यह स्थिति है तो आप ऐसे अधिकारियों के हाथ में इतनी भारी धनराशि रखने जा रहे हैं। मेरा विरोध धनराशि से नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार आदि के बारे में तो हमारे वयोवृद्ध नेता चौधरी साहब ने सब कुछ कह दिया है।

मान्यवर, प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है जनता को सुख देना, समृद्धिशाली करना, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने भी पहले दिन कहा था कि इस प्रदेश की जनता को कुछ राहत दिलाने के लिये मैं यहां आया हूं। मैं ऐसे मुख्य मंत्री से मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की 9 करोड़ जनता भ्रष्टाचार की भट्ठी में जल रही है। उनकी आवाज को वह सुनने की कोशिश करेंगे और दलीय हित से ऊपर उठकर प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देंगे।

मान्यवर यहीं पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कैप्टेन चाहे जितना अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर टीम के साथी अच्छे नहीं हैं, तो वह टीम गेम नहीं जीत सकती है। आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो जाति और वर्ग हित के आधार पर काम करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश की 9 करोड़ जनता की त्राहि-त्राहि आवाज को सुनकर उनको भ्रष्टाचार की विभीषिका से बचायेंगे। यदि वह ऐसा संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे तो जो उन्होंने बजट के ऊपर और अपनी नीति के ऊपर भाषण दिया है, वह कुछ कारगर हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री नारायण सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, अभी चौधरी चरण सिंह का भाषण बजट के विषय पर बहुत देर तक चला। मैं भी लगातार उसे सुनता रहा और मैंने उस पर विचार किया। चौधरी चरण सिंह सन् 46 से इस सरकार में रहे और बहुत ऊंचे पद पर रहे और प्रदेश की 80 फीसदी जनता जो कि देहातों में रहती है उसके एक मात्र नेता अपने को मानने का गर्व करते हैं। कृषि विभाग के वह कई साल तक मिनिस्टर भी रहे लेकिन उन्होंने इस 80 प्रतिशत जनता के लिये क्या किया यह मेरी समझ में नहीं आया। हैजा अगर किसी को होता है, टीका लगने पर एक दिन में वह ठीक हो जाता है। लेकिन अगर टी० बी० की बीमारी हो तो फिर ठीक होने में उसे सालों लग जायेंगे। सालों तक चौधरी साहब खेती के अन्दर कार्य करते रहे लेकिन अगर आज भी उसमें कमी है तो इसमें सबसे पहले कमी चौधरी साहब की रही है। अगर कोई स्कीम अथवा प्लानिंग उनकी होती जिससे प्रदेश को लाभ होने वाला होता तो वह अवश्य उसे कार्यान्वित कर देते और वह जरूर हो जाता।

चौधरी साहब बहुत दिनों से काटेज, स्माल स्केल तथा लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रदेश की जनता को उनकी बात मानना होता तो मान लिया होता। बजट के अन्दर हर बात का उन्होंने विरोध किया। वह खुद भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अगर उनकी बात शत प्रतिशत ठीक है सभी बातें उनकी गलत हैं यह कहने की मैं जुर्रत नहीं कर सकता। तो जनता उनको क्यों नहीं मानती? आदमी जो स्वयं कहता है वही ठीक नहीं होता बल्कि दूसरा ही उसको ठीक अथवा गलत समझ सकता है। उनकी पार्टी का मेनिफैस्टो क्यों नहीं मान लिया गया? उनको यह मानना होगा, 20 साल से जिस बात को वह कहते आ रहे हैं, जनता उसे नहीं मान रही है और जनता का विश्वास उनको प्राप्त नहीं हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

कांटेज इन्डस्ट्री पर जो उनका भाषण था..... ।

(श्री नारायण सिंह के न बैठने पर ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को आपका आग्रह स्वीकार नहीं है क्यों कि वह बैठ नहीं रहे हैं ।

श्री नारायण सिंह—

गांधी जी का हवाला देते हुये उनका कहना है कि बड़ी इंडस्ट्री प्रदेश में नहीं लगनी चाहिये तो फिर यह खाद तथा बिजली के कारखाने कहां से आयेंगे ? भारतवर्ष के अन्दर, सूबे के अन्दर पहले लोग घोड़ों पर चढ़कर जाया करते थे, लेकिन अब वह स्थिति नहीं रही । जिस चीज की जरूरत नहीं होती है वह खुद बखुद खत्म हो जाती है । लेकिन चौधरी साहब वही राग अलाप रहे हैं । लेकिन अब घोड़े नहीं चलेंगे । मोटर कार, हवाई जहाज, हैलीकाप्टर चलेंगे । वह कहते हैं कि गांव के अन्दर कुम्हार को प्रोत्साहन दीजिये । मजदूर 5, 6 तथा 8 रुपये में मिलेगा । बिजली उनको दे दी जाय । यह विचार जो उनके दिमाग में है, वह तो अलग है लेकिन मैं नहीं समझता कि वह किसी और से मिलता है या नहीं । उन्होंने बहुत सी बातें कहीं और बाहरी देशों के उदाहरण दिये । किसी भी देश ने चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान या रूस हो बिना इंडस्ट्री के तरक्की नहीं की है । अगर की है तो चौधरी साहब बतायें । दुनियां के अन्दर जितने भी मुल्क हैं जब तक उनके अन्दर इन्डस्ट्री डेवलप नहीं हुई है, तरक्की नहीं कर पाये हैं । अगर हमारे प्रदेश के अन्दर दूसरे प्रदेशों जैसे हरियाणा, पंजाब आदि में इडन्स्ट्री डेवलप हुई है और जो तरक्की उन्होंने की है, की तरह इन्डस्ट्री डेवलप हुई होती तो हम भी प्रगति उसी स्तर पर कर सकते थे । बिना इन्डस्ट्री को डेवलप किये हम तरक्की नहीं कर सकते हैं ।

चौधरी साहब ने एक नक्शा अपने दिमाग में बिठा लिया है कि उनके दिमाग से नहीं निकला है । अगर वह नक्शा निकल जाय और हमारे प्रदेश और सदन का जो व्यू है उसकी तरफ भी ध्यान दें तो इतनी तकलीफ न होती ।

(इस समय 4 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

उनका यह व्यू है कि जो वह कह रहे है वह ठीक है और जो दूसरे या हम कह रहे हैं वह गलत है यह ठीक नहीं है । जैसा कि बजट पेश किया गया है वह एक सूबे और देश की प्रगति के लिये बहुत जरूरी है । आप ने छोटी लाइन बनाने के लिये कहा है और उसके लिये 4 करोड़ रुपये बजट में रखा गया है । आप उसको नहीं चाहते है इस हिसाब से यदि उसे नहीं रखा जाता है तो जनता को उससे नुकसान होगा । अगर किसी चीज का विरोध करना हो तो उसका विरोध इस शक्ल में करना चाहिये जिससे कोई अलाभ न हो ।

तीसरी चीज यह है कि चकबन्दी का ऐडमिनिस्ट्रेशन आज प्रदेश में क्यों खराब हो गया । मेरी धारणा है कि पिछले पांच साल से लगातार 6 सरकारें बदली हैं और 3 मुख्य मंत्री बदले हैं उसी के पीछे हमारा प्रदेश चला गया । अब हमारे प्रदेश को बहुगुणा जी का नेतृत्व मिला है । हम आज तक नेतृत्व की कमी के कारण 5 साल पीछे हो गये हैं । बहुगुणा जी के नेतृत्व से हम जितने पीछे हो गये हैं उतने ही आगे हो सकते है । हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन आज तक लूज रहा है जिससे अच्छी तरह से काम करने का मौका नहीं मिला है । अन्त में मैं ज्यादा न कह कर जो बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और नेता विरोधी दल जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे उन पर फिर से सोचें । कुछ कमी हो सकती है लेकिन कुल की कुल कमी नहीं हो सकती है और न होती है ।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रक्रम में भाग लेने का मौका दिया। पहली बात तो यह है कि किसी भी सरकार की तरफ से चाहे वह दुनिया की सरकार हो, भारत की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जो बजट पेश किया जाता है उसमें खामियां होती हैं। पूर्णता का अनुभव तो ईश्वर में ही हो सकता है। हमारा संसार खामियों से भरा हुआ है। हमारे विरोध पक्ष के भाई भी सरकार में रहे हैं। उनके पेश किये हुये बजट में भी खामियां थीं और रही होंगी, इसका वे स्वयं अनुभव करते होंगे। इस बजट में भी कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन मान्यवर, मैं एक छोटी सी कथा कह कर अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक आदमी ने चित्र बनाया और उसे चौराहे पर एक पेड़ पर टांग दिया और कहा कि यह जो चित्र है इसमें क्या-क्या खामियां हैं, इसको लोग देख कर बता दें। इस कार्य हेतु उसने एक पेंसिल रख दी। शाम को जब वह चित्रकार वहां लौटा तो उसने देखा कि वह सारा चित्र धब्बों से भरा था। किसी ने बताया कि इसकी आंख खराब है, किसी ने कहा नाक या कान खराब है, किसी ने कहा हाथ और पैर खराब है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी ने उसमें कुछ न कुछ खराबियां बता दीं। दूसरे दिन उस चित्रकार ने फिर से वही चित्र टांग दिया और कहा कि भाइयों, दर्शकों इस चित्र में जो-जो खराबी है, उसे ठीक कर देना। इस पर देखते सब रहे, लेकिन उसे ठीक किसी ने भी नहीं किया। तो उसी तरह से हमारे विरोध पक्ष के भाइयों को भी चित्र ठीक करने के लिये दिया गया था और उन्हें चाहिये था कि ऐसा चित्र वे प्रस्तुत करते जो कि लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण बनता, किन्तु वे भूल जाते हैं कि ऐसी स्थिति में इन समस्याओं का निराकरण कैसे हो।

मेरे पास 16 जून का दिनमान है। उसमें एक इन्टरव्यू छपा है, जिसमें एक रेल कर्मचारी ने अपना बयान दिया है और उसने कहा है कि मैं देशद्रोही नहीं हूं, जो देश की इस संकटकालीन स्थिति में कोई हड़ताल करूं। लेकिन हमारे विरोधी नेता एक तरफ तो चाहते हैं कि रेलें बन्द हो जायें, कोयला तापघरों तक न पहुंचे और पटरियां उखड़ जायें। इसी सन्दर्भ में मैंने श्री जयप्रकाश नारायण जी को एक पत्र लिखकर सूचित किया है कि जो आप कर रहे हैं वह कहां तक अहिंसक और उचित है कि बच्चों ने आन्दोलन किया और आप उनके साथ खड़े हो ग , होना तो यह चाहिये था कि आप किसी आन्दोलन का सूत्रपात करते और बच्चे आपके पीछे चल पड़ते। इससे अधिक मैं क्या कहूं, हम लोग तो बालक हैं उनके सामने, यह हमारे बुजुर्ग हैं और हम उनके सामने राजनीति में कुछ भी स्थान नहीं रखते हैं। लेकिन देश के प्रति प्यार हमारे हृदय में है, हमें देश से प्यार है।

हमारे यहां एक जिलाधिकारी श्री गंगाराम रहे हैं, उनसे जब मैंने एक बार मिट्टी के तेल आदि की व्यवस्था के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में संकट के समय क्या होता है, लोग कितना त्यागमय जीवन व्यतीत करते हैं। एक परिवार में 7 आदमी थे, जो कि एक अंडा बांट कर खाते थे। क्योंकि वे अपने देश की कठिनाई को समझते थे और उनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट-कूट कर भरी थी, उनमें देश के प्रति प्रेम था। वे विरोध केवल विरोध के लिये नहीं करते थे, सिद्धान्तों के लिये करते थे। हमारे लोग समय-समय पर इंग्लैण्ड का उदाहरण देते हैं, किन्तु इसे नहीं देखते हैं। लोग रेल-बसों पर प्रायः चर्चा छेड़ देते हैं कि अगर अमेरिका का वाटरगेट कांड जैसा कांड भारत में हुआ होता तो क्या होता और यहां पर जाने कितने वाटरगेट कांड जैसे कांड भरे हुये हैं। किन्तु वे हमारे लोग भूल जाते हैं कि हम किस स्थिति में हैं। मैं यह नहीं कहता कि आपने जो बातें चलाई हैं, वे सब अनुपयोगी हैं, लेकिन मैं यह मानूंगा कि इसमें आपके कोई रचनात्मक सुझाव नहीं आये हैं।

गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में कहा गया कि यह अपव्यय है। किन्तु मैं तो कहूंगा कि 13 मंडलों में 13 यूनिवर्सिटी हों और कक्षा एक से 16 तक बेसिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक के

[श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला]

लिये उन यूनिवर्सिटियों को ही उन मंडलों में काम करने के लिये पूरे अधिकार दिया जायें। जो चौधरी साहब ने कहा कि यह अपव्यय है, उसकी तरफ मैं इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह अपव्यय ही सिद्ध होगा यदि इस यूनिवर्सिटी को भी और यूनिवर्सिटियों की तरह से डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करने की ही यूनिवर्सिटी बनाया गया। अब गढ़वाल की बहुत सी चीजें हैं, पहाड़ में कुछ ऐसे अनाज होते हैं, कुछ अन्य चीजें हैं। जैसे जो वहां की जड़ी बूटियां हैं, वहां की लकड़ी है, लीसा है, घास है, भीमलू है, राल है, रिगाल है। इन चीजों पर बड़े-बड़े अनुसन्धान कार्य करने के लिये, अन्वेषण करने के लिये गढ़वाल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है।

हिमालय हमारे देश का मस्तक है। उसको ऊंचा करने की, उसका विकास करने की आवश्यकता है। वह ऊंचा होगा तो संसार में हमारे देश का मस्तक ऊंचा होगा। वहां पर भू-कटान को रोकने के लिये बहुत काम करने की आवश्यकता है। भू-कटाव हो रहा है। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि इन्द्र देवता की पूजा करो। इन्द्र माने वृक्ष। वृक्ष अगर रहेगा तो वर्षा होगी, अगर वृक्ष नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगी। हिमालय को वृक्षों से छा दो। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से पर्वतीय विकास परिषद् की बैठक में भी याद दिलाया था कि हिमालय के लोगों को खेती से छुड़ा दीजिये। बागवानी और उद्योग दो काम उनको दे दीजिये। उनसे एक गड्ढा खुदवाइये और भरवाइये लेकिन उनसे कहिये कि खेती करना बन्द करो। पहाड़ के आदमी का खेती करना बन्द कर दीजिये और ऐसा काम दीजिये जिससे वहां जमीन का एनक्रोचमेंट बंद हो जाय। तो सारे उत्तर प्रदेश का लाभ है।

गढ़वाल यूनिवर्सिटी के विषय में अपव्यय नहीं है। यह सरकार की बहुत बड़ी कृपा है। गढ़वाल के लोगों ने आन्दोलन किया था। गढ़वाल के लोगों ने बड़ी कुर्बानी की। हम लोग जेल गये। 15-15 दिन जेल में बन्द रहे। माननीय मुख्य मंत्री, बहुगुणा जी की बहन भी जेल गयीं। उसके लिये बड़ा भारी जन आन्दोलन किया। उसके फलस्वरूप भूतपूर्व मुख्य मंत्री त्रिपाठी जी ने मंजूर किया और इस सरकार ने उसका कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया है। मैं चाहूंगा कि यह यूनिवर्सिटी पहाड़ की ही नहीं सारे प्रदेश की सेवा करेगी। वहां के लोगों द्वारा जो उद्योग खड़े किये जायेंगे उससे इस प्रदेश को राहत मिलेगी। वहां पर जो वृक्ष लगाने और पशुपालन आदि के सम्बन्ध में अन्वेषण होंगे उनसे देश और प्रदेश को लाभ मिलेगा।

जो मालगुजारी की बात कही गयी है हमारे यहां किसान तो दुख प्रकट करता है कि हमारी जमीन है लेकिन हम टैक्स तो देते नहीं हैं। हमारे यहां का किसान टैक्स देने के लिये बिल्कुल खुश है। वह कहता है कि हम किसी की जमीन मुफ्त नहीं खाना चाहते। एक ओर आप कहते हैं कि हमारे यहां विकास हो, दूसरी ओर कहते हैं कि हर टैक्स गलत लगा है। बिना टैक्स के कहीं हम विकास कर सकते हैं। भूमि पर किसान का राइट है। अगर वह टैक्स नहीं देता है और वह भूमि को मुफ्त में खाता है तो उसके दिल में संदेह है कि गवर्नमेंट कभी कह देगी कि भूमि पर तुम्हारा कोई राइट नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब से शासन संभाला है प्रशासन के सम्बन्ध में बड़ी हिम्मत दिखायी है। किन्तु प्रशासन के सम्बन्ध में विरोधी भाइयों का जो कथन है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिये। हमारे विरोधी भाई कह रहे थे कि हमारे दल के लोगों की कुर्सी बचाने के लिये कार्य किये जाते हैं। किन्तु हमको भी कितनी ही खरी खोटी हमको सुननी पड़ती है। हिंडोना खास हायर सेकेन्डरी स्कूल में बहुत से बच्चों के रिजल्ट्स विद्ड्रेल्ड कर लिये गये हैं इसलिये कि उनके घर वालों ने कांग्रेस का प्रचार किया है। उनसे कहा गया है कि अब भुगत लो। मैं चुनौती देता हूं। किसी निष्पक्ष अधिकारी से इसकी जांच करायी जाय। मैं

एक पत्र भी लिखा है आपको। मैंने अपनी पत्नी को भी सचेत किया है। मेरे पास पत्र भी हैं। मेरे पास चिट्ठी है जिसमें मेरी लाइफ को चैलेंज किया गया है कि तुमको मार दिया जायगा। बंधुओं, ऐसी बात नहीं है, हमें चैलेंज मिल रहा है विरोधी दल के लोगों की ओर से। यह केवल इस सरकार का दोष नहीं है। यह प्रशासन का भ्रष्टाचार आज की चीज नहीं है। मैं माननीय मुख्य मंत्री को इशारा करना चाहता हूं कि विपक्ष से इतना खतरा नहीं होता है जितना अपने मित्रों और अपने नजदीक वालों से होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री की बहुत तारीफ करता हूं। उनके प्रशासन की तारीफ करता हूं और आशा करता हूं कि इधर जो उन्होंने नये स्टेप्स लिये हैं, उससे प्रशासन सुदृढ़ होगा। मैं आपको बोलने का अवसर देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। प्रथम इसके कि मैं बजट पर कुछ कहूं, मैं अपने सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से, जिन्होंने 2-3 बातें कहीं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। एक चीज तो यह कही गई कि कोई ऐसी बात चौधरी साहब की नहीं है कि जिसका अन्य लोगों ने अनुकरण किया हो या उसको माना हो। मैं तीन बातें बताना चाहता हूं जिनको चौधरी साहब ने कहा और उनको भारत सरकार तथा प्रादेशिक सरकार ने माना। पिछले वर्ष चौधरी साहब ने गल्ले के थोक व्यापार के संबंध में कहा था कि सरकार व्यापार नहीं कर सकती है और इसको प्राइवेट सेक्टर में देना चाहिये क्योंकि इसका व्यापार वही लोग कर सकते हैं जो इसके पंडित हों। इससे गेहूं तथा अन्य गल्ला और महंगा होगा। पिछले साल यह बात सरकार के दिमाग में नहीं आई। लेकिन इस साल अपने आप सरकार ने उसको छोड़ दिया।

दूसरी कोयले के खानों के संबंध में थी। उन्होंने कहा था कि इसके राष्ट्रीयकरण से नुकसान होगा और कोयले की दिक्कत होगी। इस साल सरकार ने निर्णय लिया है कि कुछ खानें वापस कर दी जायं। तीसरी चीज चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में थी। चौधरी साहब ने कहा था कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है बल्कि केन्द्रीय सरकार को। लेकिन उस समय प्रान्त से लेकर केन्द्र तक के बड़े-बड़े नेता ने यही कहा कि राज्य सरकार चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है और वे इसके लिये सक्षम हैं। अन्त में 1971 में जब फिर से कांग्रेस सरकार आ गई तो यह कहना शुरू किया कि राज्य सरकार नहीं कर सकती है। यह तीनों बातें ऐसी हैं जिनको चौधरी साहब ने कहा जिनको न केवल प्रान्तीय स्तर बल्कि प्रधान मंत्री तक ने स्वीकार किया है। अगर ऐसी बात न होती तो जैसा कि मुख्य मंत्री के ऊपर आरोप लगाया गया था कि रिश्वत लेकर चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया। अगर ब्रिटेन में ऐसी बात प्रधान मंत्री कहते तो उनकी गवर्नमेंट ही फेल हो जाती और गलत बयानी का नतीजा मिलता।

जहां तक रूस, ब्रिटेन और अमेरिका की बात कही कि वहां बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और वहां के लोग तरक्की कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि आदमी कितने ज्यादा हैं और प्राकृतिक सम्पत्ति कहां कितनी है। इस हिसाब से आर्थिक नीति जब तक हमारी नहीं होगी, हमारी कामयाबी नहीं होगी। हमारे देश में आदमी ज्यादा हैं और साधन कम हैं। इस स्थिति को देखते हुये यह कोशिश करनी चाहिये कि अपने आदमियों को अधिक से अधिक रोजगार दे सकें तभी वह सम्पन्न हो सकेंगे। जो सबसे बड़ा कम्युनिस्ट देश चीन है वह बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज चलाने के पक्ष में था। वास्तव में वह सबसे बड़ा कम्युनिस्ट देश है। उसने भी अपने निर्णय को 1962 में बदला और उसने यह निर्णय लिया और निश्चय किया कि पहले नम्बर पर हम खेती को प्राथमिकता देंगे दूसरे नम्बर पर छोटे छोटे उद्योगों को और तीसरे नम्बर पर बड़ी इन्डस्ट्रीज को। नतीजा यह हुआ कि वह अपने निर्णय के 10 साल में ही

[श्री शारदा प्रसाद रावत]

विश्व की तीसरी शक्ति बन कर सामने आया। आपने अभी फर्माया कि इस नीति का किसी ने समर्थन नहीं किया।

हमारे इस विधान सभा में बापू की तस्वीर लगी हुई है। मैं इस बात को बड़ी ही दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जिस नीति को अपनाया है वह शतप्रतिशत बापू की नीति है जिसने इस देश को आजादी के पहले रूस को देखा था, ब्रिटेन को देखा था, अमेरिका को देखा था और भारत को भी देखा था और उस महान पुरुष ने जो उचित था वह व्यवस्था बनायी। समाजवाद की पुस्तक लिखने वाले कार्लमार्क्स ने संभवतः भारत को नहीं देखा था और न यहां के आदमियों की शक्ति को ही देखा था, यहां के विचारों को नहीं देखा था और न ही यहां के रहन-सहन के स्तर को देखा था। उन्होंने जो अपनी किताब लिखी वह ब्रिटेन में बैठ कर लिखी जहां मजदूरों और मिल-मालिकों में झगड़ा था। उन्होंने अगर भारत देखा होता तो शायद वह अपनी थ्योरी को इस देश के लिये बदलते और दूसरी राय देते। महात्मा जी ने इस देश की खाक को छानने के बाद जो भी निर्णय लिया वह सही निर्णय लिया। वह उनका निर्णय इस देश के रहने वालों के अनुरूप, इस देश की प्रकृति के अनुरूप और यहां की विचारधारा के अनुरूप था।

जहां तक बजट का प्रश्न है सबसे मुख्य बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने एक आश्वासन दिया था जिसके अन्तर्गत उन्होंने कहा था कि हर गांव को पक्की सड़कों से मिलायेंगे। गांवों को मिलाने की बात तो दूर रही नगर भी सड़कों से नहीं मिल पाये। जो सड़कें हजारों साल से बनी पड़ी हैं और कच्ची हैं वहां पर कुछ भी कार्य नहीं हुआ है।

अब मैं अपने क्षेत्रीय स्तर पर आ जाना चाहता हूं जो एक ऐसा क्षेत्र है सहजनवा वहां सन् 1970 में वित्त मंत्री जी भी गये थे उनके समक्ष वहां के लोगों ने इस बात को कहा था कि यहां कोई भी सड़क आजादी के बाद नहीं बनी है और मैं बड़ी दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि वहां पर केवल ढाई किलोमीटर की सड़क है जो वहां बनी है। सिंचाई के साधन जो अब तक हैं वे अपनी क्षमता से काम नहीं कर सकते हैं। इस बजट में उनका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है और इसके साथ ही साथ इसमें कोई पैसा नहीं है जो उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये रखा गया हो जो पहले से बनी हुई हैं। जो नहरें हैं, जो नलकूप हैं और जो लिफ्ट माइनर्स हैं अपनी क्षमता के बराबर काम नहीं कर पा रहे हैं उनको क्षमता से काम करने के योग्य बनाने की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है।

फर्टीलाइजर जिसकी बड़ी आवश्यकता है उसकी कमी को दूर करने का भी प्रबन्ध नहीं किया गया है जिससे किसान अपने खेतों को उपजाऊ बना सके। वास्तव में होना यह चाहिये कि गोबर की खाद को बढ़ावा देना चाहिये। यह तभी संभव हो सकता है जब कि पशुओं को पालने के उचित साधन मुहैया किये जायें। लोगों को भैंस व गाय पालने के लिये ऋण दिया जाये इससे दूध की भी समस्या हल हो जाय और उनके गोबर से खाद की भी समस्या हल होगी। वह रसायनिक खाद की अपेक्षा हरी खाद और गोबर की खाद से अपनी जरूरतों को पूरा कर लेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इसके साथ ही यह बजट किसानों के हितों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है यह सभी नौकरी करने वालों के हितों को ध्यान में रख कर बनाया गया है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत माननीय मोहन लाल कपूर की बनस्पति घी के अभाव के बारे में है। इस पर आज सिर्फ वक्तव्य हो गया है इसलिये अस्वीकार किया गया।

एक माननीय बाबू लाल वर्मा का बहराइच जिले के अन्तर्गत चीनी मिल के काश्तकारों एवं लेबरों की बकाया धनराशि के संबंध में है। आप बजट के दौरान इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)---

मान्यवर, चीनी मिल का जो है, यह बहुत महत्व का है, इसको स्वीकार कर लिया जाय। मिलें बंद होने वाली हैं।

श्री अध्यक्ष---

कोई मिल बन्द नहीं है। यानी आशंकित स्थिति के बारे में है।

माननीय राम अधार राय का भी नियम 51 के अन्तर्गत है। जिला आजमगढ़ में अधिकारीगण द्वारा किसानों से असन्तोषपूर्ण ढंग से गल्ले की वसूली के बारे में है। यह भी खाद्य का सवाल है। वक्तव्य आज खाद्य पर है।

माननीय सत्य प्रकाश मालवीय ने इलाहाबाद के बिजली का ट्रांस्फारमर जल जाने के फ..स्वरूप डी0सी0 बिजली तथा पानी की बन्दी से जनता में असन्तोष तथा बिजली की सप्लाई बन्द है और के सम्बन्ध में दिया है। यह स्थानीय महत्व का है लेकिन अल्प सूचित प्रश्न आप कर लें।

एक माननीय भीखा लाल जी, माननीय गोविन्द सिंह नेगी, माननीय ऊदल का उत्तर प्रदेश में तराई इलाकों से धान की तस्करी के बारे में है। माननीय मुख्य मंत्री ने इस पर बयान दे दिया है, इसलिये अस्वीकृत किया गया।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात कह दूं ताकि मुख्य मंत्री जी उस पर वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष---

आने दीजिये पहले वक्तव्य, तब बोलियेगा।

रासायनिक खाद के मूल्य में वृद्धि और वितरण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---

देश में रासायनिक उर्वरकों की प्राप्ति के दो श्रोत हैं एक आन्तरिक उत्पादन और दूसरा विदेशों से आयात। इन दोनों श्रोतों से प्राप्त उर्वरकों का वितरण और उनका मूल्य निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इन दोनों श्रोतों के उर्वरकों से प्राप्ति की कमी रही है। विदेश से आयात होने वाले उर्वरकों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य की भारी बढ़ोत्तरी हुई है। इस पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार ने जून 1, 1974 से उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि की। यह वृद्धि राज्य सरकार के माध्यम से बांटे जाने और प्राइवेट व्यापारियों द्वारा बेचे जाने वाले उर्वरकों पर भी साथ-साथ लागू की गई थी।

2---राज्य सरकार और केन्द्र के अब तक के समझौते के अनुसार जब कभी उर्वरकों के मूल्य में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ोत्तरी के दिन के पूर्व उपलब्ध राजकीय एजेन्सियों के स्टाक पर राज्य सरकार को पूर्व मूल्य और बढ़े हुए मूल्य के अन्तर की धनराशि केन्द्रीय सरकार को देनी होती है। प्रदेश के कृषकों के हित में मैंने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

किया कि 31 मई, 1974 के स्टाक पर बढ़ा हुआ दाम न लागू किया जाय। माननीय सदस्यों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि केन्द्रीय सरकार ने इस अनुरोध को मान लिया कि उर्वरकों के बढ़े हुए मूल्य की धनराशि राज्य सरकार से वसूल नहीं की जायगी और प्राइवेट व्यापारियों के पास भी पुराने दामों पर प्राप्त उर्वरक जून 1, के पहले निर्धारित दरों से बिकवाये जा सकते हैं। इस सहमति के प्राप्त होते ही इसके कार्यान्वयन हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं जिसके अनुसार पुराने दामों पर प्राप्त उर्वरक, चाहे वह सरकारी एजेन्सी के हों या प्राइवेट व्यापारियों के, जून 1 के पूर्व के दामों पर बेचे जायं और जून 1 तथा आदेश के प्राप्ति की तिथि तक जो पुराने स्टाक ग्राहकों को बढ़ी हुई कीमत पर बेचे गये हैं उनसे लिये गये बढ़े हुये दाम सम्बन्धित किसानों को वापस किये जायं।

3—इस रियायत से उत्तर प्रदेश के कृषकों को लगभग 14 करोड़ रुपये का लाभ होगा। मुझे विश्वास है कि सदन हमें केन्द्रीय सरकार को हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये धन्यवाद देना पसन्द करेगा।

4—खाद्यान्नों की समस्या की पृष्ठभूमि में गेहूं क्रय योजना के महत्व को देखते हुये प्रदेश में मई के मध्य से उर्वरकों की वितरण प्रणाली में यह मोड़ दिया गया है कि जो कृषक 105 रु0 प्रति कुन्टल की दर से गेहूं सरकारी क्रय केन्द्रों पर विक्रय करेंगे उनको खरीफ में अधिक उत्पादन की सहायता के लिये उर्वरक दिया जायगा। राष्ट्रीय हित में सहयोग देने वाले ऐसे कृषकों की एतदर्थ सहायता करना जनहित में है। इस दृष्टिकोण से यह व्यवस्था की गई है कि जो कृषक दो कुन्तल गेहूं बेचेंगे वह 50 कि0 ग्रा0 का नत्रजन खाद का एक कट्टा प्राप्त कर सकेंगे। किन्तु खरीफ की फसलों के लिये जिन्हें बुवाई के समय खाद की आवश्यकता होती है कठिनाई न हो, इस दृष्टि से यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि फास्फेट और पोटाश उर्वरक धान की नर्सरियों और खरीफ की फसलों की बेसल ड्रेसिंग के लिये जिला अधिकारियों द्वारा वास्तविक प्रयोगकर्त्ताओं को गेहूं क्रय योजना से असम्बद्ध रख कर उपलब्ध किया जाय। इस व्यवस्था से खरीफ की बुवाई में उर्वरकों की कठिनाई नहीं होगी।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने उनके सुझाव को मान लिया। यह ठीक ही है, क्योंकि यह तो एक तरह से किसानों के साथ अन्याय हो रहा था कि पुराने उर्वरक को नये दाम से बेचा जाता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास आंकड़े हैं कि पुराना उर्वरक जिलेवार कितना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जिलेवार तो अलग-अलग नहीं है पर टोटल में बता सकता हूं। ऐग्रीकल्चर का जो हमारा सेल्स आर्गनाइजेशन है उसके पास पुराने रेट के मुताबिक कुल उर्वरक 634.32 लाख रुपये का था और बढ़े हुये दाम से उसका दाम हो रहा है 1,169.27 लाख रुपये। पी0 सी0 एफ0 के पास पुराने रेट से 333.50 लाख का था और बढ़े हुये रेट से उसका दाम 631.93 लाख रुपये हो रहा है। गन्ना सोसायटीज के पास 286.11 लाख रुपये क था जो बढ़े हुये दाम से 552.73 लाख रुपये का है। ऐग्रो के पास था 191.44 लाख का। वही नये भाव से हो रहा था 340.11 लाख रुपये का। प्राइवेट पार्टीज के पास 146.12 लाख का था जिसके बढ़े हुये दाम हो रहे थे 264 लाख रुपये। इस तरह से जो डिफरेन्स आया वह 1367.21 लाख के करीब का। इस तरह से प्राइवेट पार्टीज के पास 1 करोड़ 18 लाख बढ़त दाम जाने वाले थे। बाकी या तो सेल्स आर्गनाइजेशन में आता, पी0 सी0 एफ0 में जाता, गन्ना सोसायटीज में जाता या एग्रो में जाता। लेकिन केन्द्रीय सरकार के साथ

प्रदेश का 4–5 साल पुराना समझौता है। जब सदन में प्रश्न उठा तो हम उसमें गये और हमने प्रार्थना की थी कि हमें थोड़ा समय दीजिये। बीच में केन्द्र की सरकार से समझौता हुआ था कि जो भी दाम बढ़ेंगे सब पर दाम बढ़ जायेंगे। इस तरह से कई बार पहले दाम बढ़ा है, लेकिन पहली मर्तबा हूं जब हमने मंजूर किया। भविष्य में जब कभी पुराने अग्रीमेंट के नाम पर पुराने स्टाक पर बढ़ा हुआ दाम जो किसान पर लगाया जाता था वह स्थिति पैदा नहीं होगी।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अन्त में जो कहा है कि गेहूं स्कीम के अतिरिक्त किसानों को पोटास और दूसरे उर्वरक की व्यवस्था की है, किन्तु प्रदेश की मुख्य फसल मक्का थी, तो उसके लिये जो नाइट्रोजन खाद, यूरिया की आवश्यकता पड़ती है उसकी भी कोई व्यवस्था आपने अपने मस्तिष्क से सोची है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, असली फसल मक्का नहीं है इस प्रदेश की, लेकिन हमने खरीफ की फसल म जितनी भी फसलें आती हैं उसमें जो भी थोड़ी बहुत व्यवस्था करनी है, जितना नाइट्रोजन अवेलेबिल है वह पूरा नहीं है लेकिन हमारी जिद नहीं है कि हम छोटे काश्तकारों को नहीं देंगे। थोड़ी बहुत उनकी मदद जरूर करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि प्राइवेट व्यापारियों को भी एक जून से पूर्व के दामों पर बेचे जाने के आदेश हैं—वह जहां तक सरकारी एजेंसीज हैं वहां तो कंट्रोल पर लेंगे और पुराने दामों पर बिकवायेंगे लेकिन प्राइवेट व्यापारी पर पुराने दामों पर वह बेंचे, इसकी क्या व्यवस्था है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अब जो आदेश गये हैं उनके अन्दर सब सीज कर लिया सब जगह कलेक्टर को कह दिया कि पकड़ लो और एक-एक व्यापारी का एकाउन्ट सील करवा दिया। उस समय थोड़े दिन इस सदन में गाली भी खायीं ताकि उचित व्यवस्था हो सके।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी करा देना चाहता हूं कि इलाहाबाद में मैंने अभी जिलाधीश से बात किया और यह कहा उनसे कि नये रेट से खाद की व्यवस्था और वितरण कर रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था करायें कि पुराने रेट से ही जिनके पास खाद पुरानी है वह बेचें तो, उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता प्रकट की। उन्होंने कहा कि मेरे पास आदेश नहीं आये हैं, तो आप कोई आदेश भिजवा दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

माननीय सदस्य पहले की बात कर रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या उन्हें जानकारी है कि जिस समय केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार द्वारा यह जो खाद का स्टाक है उसे सीज करने की बात कहते हैं, उसके ठीक दो हफ्ते पहले जो स्टाकिस्ट्स और डीलर हैं

[श्री पुरुषोत्तम]

उन्हें पता चल गया था और यह रहस्य भेदन हो गया था कि खाद के दाम बढ़ने वाले हैं और उन्होंने आधे से ज्यादा खाद का घुटाला कर दिया था ? यह रहस्य-भेदन कैसे हुआ, उन्हें पता कसे चला? आधा तो वैसे ही नष्ट हो गया। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि, "सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पंडितः" तो आधा क्या हुआ ? क्या वह पूंजीपतियों, तस्करों और सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों ने फिफ्टी-फिफ्टी बांट लिया ? 10 दिन पहले पता चल गया था कि घोटाला हो चुका है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा–

अध्यक्ष जी, 1,591.49 लाख रुपये की खाद हमारी गिनती और कब्जे में है । यह खाद वह है जिसको पुराने दामों पर बेचा जायगा । अगर नये दाम लगते तो 2,958.70 लाख रुपये पहुंचते । यह भी हो गया कि प्राइवेट डीलर भी कार्ड पर खाद दे रहा था तो यह कर दिया गया है कि कार्ड पर दोनों का मूल्य है और उस पर वह ले भी गये हैं तो उनको वापसी होगी और 14 करोड़ रुपया बनेगा जो इस तरह से छूट मिलेगी ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

उत्तर प्रदेश का कृषक इस सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी है जिनके कारण गरीबों को यह राहत मिली है । मैं किसान की तरफ से इसके लिये मुख्य मंत्री जी और इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं . . . . (व्यवधान) । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे छोटे-छोटे किसानों को भी नत्रजन खाद दिये जाने के आदेश देने की कृपा करेंगे ? दूसरा प्रश्न है कि 31 मई से पूर्व किसानों ने जो गेहूं सरकार को दिया है क्या उनको भी नत्रजन खाद दिलायेंगे ? क्योंकि पहले आदेशों के अनुसार अथराइज्ड डीलर के हाथ किसानों ने अपना गेहूं बेच दिया । क्या उनको भी यह खाद मिलेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा–

जिन किसानों ने 105 रुपये के हिसाब से गेहूं बेचा है उनकी भी रीट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से दिया जायेगा ।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)–

इसमें जो फास्फेट व पोटास दिये जाने की बात कही गयी है, वह तो ठीक है, लेकिन क्या छोटे-छोटे किसानों को नत्रजन खाद भी दिये जाने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जितना नत्रजन खाद हमारे पास है उसका दाना-दाना इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे कि वह कृषकों तक पहुंच जाये और खरीफ की फसल जितनी भी बढ़ सकती हो वह बढ़े ।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—

जिन किसानों ने नये दामों पर खाद खरीदा है उनको अधिक मूल्य वसूली गयी कीमत कब तक वापस हो जायेगी ?

श्री हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा—

जिन-जिन किसानों को नये भाव पर यह खाद दी गयी है वह रजिस्टर में दर्ज है । उसका हिसाब है । जितना पैसा ज्यादा लिया गया है वह हम वापस दिलवा देगें । इसके लिये मैंने, चूंकि सदन बैठा नहीं था, माननीय अध्यक्ष महोदय को ही सदन मान कर, उनको दिखा कर, 15 तारीख को ही इसके लिये आदेश कर दिये हैं ।

बाबा रामनाथ जिला (जिला मैनपुरी)—

अभी कुछ दिन पहले मैंने सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कुछ आंकड़े पढ़े थे जिसमें यह लिखा था कि हमारे देश के लिये 16 लाख टन खाद की जरूरत है जिसे हम अपने यहा पैदा करके जरूरत को पूरा कर लेंगें। उसी पेज पर एक जगह पढ़ा कि हम केवल 11 लाख टन ही पैदा कर पायेंगे, 5–6 लाख टन की जो कमी रह जायगी वह विदेशों से मंगाकर पूरी करेंगें। जब इस तरह की खबरें अखबार में आदि छपती हैं और ट्रेडर्स को यह पता चल जाता है कि खाद की कमी है, तो यह उनके लिये स्वर्ग मिलना हो जाता है, ब्लैक करने का उनको मौका मिल जाता है। तो मेरा एक सीधा सा प्रश्न है हमारे जिले में जो गेहूं की वसूली हो रही है। वह ठीक नहीं हो रही है। इसको आप ठीक कीजिये। कि ह नों से अलग-अलग 100 रुपये 105 रुपये भाव पर गेहूं लिया जा रहा है। मान्यवर, आप किसी हिसाब से गेहूं लें। आप ताकत से गेंहूं को वसूल रहें हैं यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न के बाहर बोल रहे हैं। आप प्रश्न करिये।

बाबा रामनाथ—

माननीय मंत्री जी एक सवाल यह है जो प्राइवेट डीलर्स हैं, हमारे शहर मैनपुरी में वहां डालडे का कोटा ... (हंसी)

श्री अध्यक्ष—

यह विषय नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

इस संबंध में पिछली 10 तारीख को एक काम रोको प्रस्ताव मैंने यहां रखा था। उसमें मैंने दो सवाल उठाये थे। तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक सवाल का उत्तर दे दिया था उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अभी मुख्य मंत्री जी ने यह अच्छी बात बताई कि जो पुराना खाद का स्टाक है वह पुराने रेट पर बेंचा जायगा। दूसरा सवाल यह है कि जो छोटे किसान हैं, जो गांव में रहते हैं और जिनकी तादाद 90 फीसदी है जिनके पास लेवी का गेहूं देने के लिये नहीं है। जो गांव के 90 फीसदी छोटे काश्तकार हैं उनको खाद देने के लिये सरकार ने क्या किया है? मैं ऐसा समझता हूं कि छोटे किसान आज खरीफ की बुआई करना चाहते हैं उनको नाईट्रोजन्स खाद नहीं मिल रही है। नतीजा यह है कि जो पुराने बीस साल का बीज है इन्डीजिनस जाति का जो बीज है, धान है उसकी बुआई वह कर रहे हैं जिसकी पदावार चौथाई होती है इससे हमारे उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो छोटे काश्तकार हैं जो सरकार को लेवी का गेहूं नहीं दे सकते, उनको नाईट्रोजन्स मेन्योर देने के लिये यह सरकार क्या करने जा रही है?

श्री अध्यक्ष—

जो छोटे किसान हैं उनके बारे में बताया जा चुका है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मेरा निवेदन है कि नाईट्रोजन्स खाद की कमी है। पर जो नाइट्रोजन्स खाद मिलेगी हम उसको बांटेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो छोटे किसान हैं जो लेवी का गेहूं नहीं दे रहे ह उनको भी खाद मिले यही कोशिश की जा रही है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े हो कर बोलने से शोर।)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो गेहूं वसूली के नियम बनाये हैं वह क्या है? हमारे जिले में पुलिस और आपके अधिकारी जबर्दस्ती घरों में ुस रहे हैं। जो बीज का हूं रखा गया है उसको निकाल रहे हैं। जो गेहूं नहीं दे रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। उनके घरों को सील किया जा रहा है। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि उसको रोकने के लिये वह क्या करने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

यह ो खाद से संबंधित श्न है और आपने गेहूं इसमें मिला दिया है।

श्री राम अधार--

खाद के बारे में भी कह रहा हूं। खाद का वितरण गेहूं देने वालों को ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। गेहूं कहीं आप 100 रुपये, कहीं 102, कहीं 104 रु0 भिन्न-भिन्न रेट पर ले रहे हैं। इसी सम्बन्ध में मैं आपसे यह बात कह रहा हूं कि जो अधिकारी हैं उनको ऐसा करने से ोका जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह अलग से श्न है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

इसके लिये मैं राय साहब से कहूंगा कि क्या वे अपनी खाद बनाकर फसल खड़ी कर रहे है। इसमें और कोई बात नहीं है।

श्री भाभी (जिला आजमगढ़)--

मैं मुख्य मन्त्री जी को यह जानकारी कराकर उत्तर जानना चाहता हूं कि जो बढ़े हुए दाम खादों के लिये ग ेहूं और जो उनके वापिसी की बात कही जा रही है तो आप किस माध्यम से, किस तरीके से उसको वापिस करायेंगे ताकि गड़बड़ी वसूली में न हो क्योंकि जो ईमानदारी आज सारे देश और प्रदेश में चल रही है उससे भरपूर परिचित हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किस नियम से उनको वसूल करायेंगे।

दूसरा प्रश्न यह है कि जैसे हम मान लें कि जहां तक गेहूं देने का सवाल है तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास गेहूं नहीं है तो उनको खाद न मिलने से उत्पादन में कमी हो सकती है या वह गरीब किसान जो कि अपनी निजी आवश्यकता के लिये गेहूं बच दिया हो तो मैं कहूंगा कि आप उन किसानों को ऐसा आश्वासन दें जिससे कि उनको खाद मिल सके और उत्पादन में कमी न आये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मान्यवर, सदस्य नेमुझसे बड़े वाजिब आश्वासन दिलाना चाहते हैं, तो जहां तक पैसे की वसूली की बात है तो इसके लिये हम रेडियो से कह रहे हैं, अधिकारियों को रेडियोग्राम तथा आदेश भेज रहे हैं। इसी प्रकार ब्लाकों में भी आदेश भिजवा रहे हैं ताकि किसान जिस संस्था से, एग्रो की दुकान से, कृषि का जो बिक्री केन्द्र है वहां से या प्राइवेट डीलर से अर्थात् जिससे पुराने स्टाक से खाद नये रेट पर खरीदी हो तो उनसे अपना अधिक पैसा मांग लें। यदि इन आदेशों के बावजूद पैसा वसूली में कोई गड़बड़ी होती है और इसके लिये शिकायत आती है तो उसकी जांच कराई जायगी। इसके अलावा सदन लगभग 12-14 अगस्त के बाद बन्द हो जायेगा तो आप लोगों को भी इस पर कड़ी नजर रहेगी तो गड़बड़ी नहीं होगी।

दूसरी बात ठीक है। आपने इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं उस पर हम विचार करेंगे।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी कि जिस रेट पर खाद हरियाणा और पंजाब राज्यों को प्राप्त होती है उसी दर पर हमको भी खाद दी जाय?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, यह बात सही है कि जिस रेट पर हरियाणा और पंजाब राज्यों को खाद मिलती है उस रेट पर हमको नहीं मिलती है। इसके लिये हम केवल केन्द्र सरकार से प्रार्थना ही कर सकते हैं और उनसे लिखा पढ़ी जारी है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---

माननीय मुख्य मन्त्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि पिछले भाषण में उन्होंने कहा था कि हमने खाद का कोटा बढ़ाने के लिये दिल्ली आदमी भेज रखा है कि केन्द्र सरकार 1 लाख टन खाद देगी या 5 लाख टन। इस सम्बन्ध में क्या आश्वासन मिला है ?

दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि जो स्टाक रिपोर्ट भेजी है कि इतने-इतने करोड़ रुपये का माल पड़ा है प्राइवेट डीलरों, एग्रो तथा कृषि का जो बिक्री केन्द्र है उनके वहां। इसी प्रकार एक गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा डीलर के पास 7 लाख का माल था मई 31 को जो 1 जून को सरकारी आदेश के बाद अपने संबंधियों व मेल मिलाप वालों के वहां उसे रखवा दिया तथा कुछ ऊंचे भावों पर बेच डाला। इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि खाद सही दाम पर बिके? सरकार के यहां क्या कोई मन्थली रिपोर्ट स्टाक की आती है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

माननीय सदस्य ने 3 प्रश्न किये हैं---पहले के सम्बन्ध में प्रश्न यह कहना है कि हमने जो आदमी भेजे थे वह इसलिये नहीं भेजे थे कि उर्वरक कितनी मिलेगी कम मिलेगी या ज्यादा, वह तो हम खुद कर रहे हैं। जहां तक दूसरे प्रश्न का ताल्लुक है उन्होंने यह जानकारी दी कि किसी ट्रेडर के पास 7 लाख का उर्वरक था। अगर उस समय हमें सूचना मिलती कि यह जब्ते का स्टाकिस्ट नहीं था तो हम डी0 आई0 आर0 में बन्द करवा सकते थे। और अगर था तो उसके स्टाक की पूरी चेकिंग है, रिपोर्ट है, उसे एकाउन्ट देना पड़ेगा और हम उससे लेंगे, यह मैं आश्वासन दिलाता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि विदेशी खाद सस्ती पड़ती है या अपने देश की और इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न यह है कि अपने देश की खाद का उत्पादन मूल्य कितना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले हम जो खाद भारत में पैदा कर रहे हैं वह बहुत सस्ती है। हर देश की खाद चेकोस्लोवाकिया से लेकर केनाडा, अमेरिका तक, जो भी खाद बनाने वाले देश हैं वह सबसे महंगी खाद लेते हैं। इसलिये इम्पोर्ट महंगा है और हमारी खाद सस्ती है। दोनों का एवरेज प्राइस दुगुन से ऊपर है।

श्री प्रभुनारायण (जिला वाराणसी)---

माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के सामने खाद की कमी को देखते हुए सवा तीन एकड़ के जोत के किसानों तथा छोटे किसानों के लिये कोई पूल बनाने की स्कीम विचाराधीन है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सुझाव है, मान्यवर देखेंगे ।

श्री राम सेवक यादव--

लागत-खर्च के बारे में पूछा था, वह भी बताने की कृपा करें?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

हमारे पास फर्टीलाइजर का कारखाना तो नहीं है, केन्द्रीय सरकार का है । न लागत का मालूम है और न खच का । इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

जैसा माननीय ुख्य मन्त्री जी ने कहा उर्वरक की कमी है, विदेशों की खाद नहीं खरीद सकते क्योंकि हमसे बहुत महंगी है, हमारे यहां का किसान बहुत दरिद्र है उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वह खरीद सके, इन सब बातों को देखते हुए और यह भी दखते हुए कि सरकार नो-प्राफिट और नो-लास बेसिस पर खाद देगी, विशेष परिस्थिति ों को दखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेंगे कि गरीब छोटे किसानों को सब्सीडाइज्ड रेट पर खाद दे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

किसी तरह से हमारा प्रदेश इस समस्या में फंसा था उससे छुड़वाया है और आगे गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की सब्सीडाइज्ड रेट की पालिसी नहीं है । जैसा कि हमको बताया गया है सब पार्टीज के, चाहें वह जनसंघ हो, बी0 के0 डी0 हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, एकनामिस्ट ने बताया है कि घाटे का बजट और नासिक प्रेस यही मूल्य वृद्धि के कारण हैं । अगर और सब्सीडाइज्ड रेट पर दिया गया तो घाटा और होगा । हम सारे वायुमण्डल और देश की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं । कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
18 जून, 1974 ।

अविशोधित प्रतिलेख

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 620 पर)

कानपुर नगर महापालिका क्षेत्र में बनाये गये नलकूपों का विवरण इस प्रकार है:—

स्थान	व्यय	टिप्पणी
	रु0	
1—पनकी	1,62,833	असफल
2—जूही 3—हरजिन्दर नगर	1,48,100 (दोनों नलकूप)	जूही नलकूप असफल रहा । हरजिन्दर नगर नलकूप अंशतः सफल हुआ जिसका अभी पुर्नविकास किया जा रहा है । इसकी क्षमता 1,85,400 लीटर प्रति-घंटा है ।
4—गणेश उद्यान व मोती झील	1,15,122	मोती झील में दो बोरिंग गिर जाने के कारण काय स्थगित किया गया । गणेश उद्यान नलकूप की क्षमता 1,81,000 लीटर प्रति घंटा है ।
5—गणेश उद्यान 6—नहर की पटरी 7—(दो नलकूप)	3,32,440 (तीनों नलकूपों का व्यय)	गणेश उद्यान नलकूप असफल रहा । नहर की पटरी के दो नलकूपों की क्षमता क्रमशः 1,26,600 तथा 1,88,600 लीटर प्रति घंटा है ।
8—जूही बारह देवी	71,805	इसकी क्षमता 1,25,300 लीटर प्रति घंटा है ।

जूही (बारहदेवी) व गणेश उद्यान के नलकूप नगर महापालिका को हस्तांतरित कर दिये गये हैं । गणेश उद्यान के सफल नलकूप की पूरी क्षमता से नगर को पानी दिया जा रहा है । दूसरे नलकूप से अभी पानी दिया जाना है । नहर की पटरी के दो नलकूपों के लिये पंपिंग प्लान्ट प्राप्त हो गये हैं, बिजली कनक्शन मिलना शेष है । नलकूपों के निर्माण में गोल-माल की शिकायत शासन को नहीं मिली ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 626 पर)

सूची–1

सीतापुर जनपद के सहकारी संघ एवं बीज भंडारों की सूची

क्रम-संख्या	नाम सहकारी संघ	क्रम-संख्या	नाम बीज भंडार
1	कुसमा	1	कुसमा
2	कंटीला	2	कंटीला
3	शाहपुर	3	शाहपुर
4	जमौरा	4	जमौरा
5	मानपुर	5	मानपुर
6	मझिगवां	6	मझिगवां
7	कौरोना	7	करोना
8	औरंगाबाद	8	औरंगाबाद
9	कुतुबनगर	9	कुतुबनगर
10	नीमसार	10	नीमसार
11	अनौगी	11	अनौगी
12	भड़कुड़ा	12	भुड़कुड़ा
13	बड़ागांव	13	बड़ागांव
14	नेरी	14	नेरी
15	मुडाकलां	15	भुड़ाकलां
16	खैराबाद	16	खैराबाद
17	रामकोट	17	रामकोट
18	परसेंडी	18	परसेंडी
19	शाहमहोली	19	शाहमहोली
20	लहरपुर	20	लहरपुर
21	अकबरपुर	21	अकबरपुर
22	मुद्रासन	22	मद्रासन
23	रीछिन	23	रीछिन
24	रेउसा	24	रेउसा
25	महराजनगर	25	महराजनगर
26	जहांगीराबाद	26	जहांगीराबाद
27	सिकन्दराबाद	27	सिकन्दराबाद
28	बेहटीमानशाह	28	बेहटीमानशाह
29	महमूदाबाद	29	महमूदाबाद
30	सबरपुर	30	सदरपुर
31	सैदनपुर	31	सैदनपुर
32	बांसरा	32	बांसरा
33	भण्डिया	33	भण्डिया
34	सुरैचा	34	सुरैचा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम सहकारी संघ			क्रम संख्या	नाम बीज भंडार
35	मिठौली	..	..	35	मिठौली
36	कुवंरपुर	..	..	36	कुवंरपर
37	बिसवा	..	..		..
38	ऐलिया	..	..		..
39	माधोपुर	..	..		..
40	बेहटापकोड़ी	..	..		..
41	गोपालपुर	..	..		..
42	मिश्रिख	..	..		..
43	सीतापुर	..	..		..
44	रामपुर मथुरा	..	..		..
45	चांदपुर	..	..		.
46	नीलगांवा	..	..		..
47	सिधौली	..	.		..
48	पिपराधूरी	.	.		..
49	कमलापुर	..	..		..
50	महौली	..	..		..
51	हरगांव	..	..		..

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 626 पर)

सूची–2

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन के बिक्री केंद्रों की सूची तथा उन पर असमायोजित उर्वरक के धन का विवरण–जनपद सीतापुर ।

क्रम-संख्या	बिक्री केंद्रों के नाम				असमायोजित धनराशि 30–4–1974 को
1	2				3
1	परसेंडी संघ	..	..	..	3,352.76
2	सिकन्दराबाद संघ	..	..	..	18,221.65
3	सुरंचा संघ	..	..	..	7,441.32
4	औरंगाबाद	..	..	..	4,087.28
5	कुसुमा	..	..	..	..
6	बिसवां संघ	..	..	..	4,320.00
7	बेहटीमानशाह	..	..	..	9,073.20
8	महमूदाबाद	..	..	..	23,860.71
9	सदरपुर	..	..	..	38,263.86
10	खैराबाद	..	..	..	245.58
11	नीमसार	..	..	..	15,663.35
12	मिठौली	..	..	..	17,202.91
13	भण्डिया	..	..	..	11,807.96
14	शाहमहोली	..	..	..	3,569.98
15	संवनपुर	..	..	..	5,035.70
16	जहांगीराबाद	..	..	..	14,348.12
17	मानपुर	..	..	..	1,954.48
18	जमौरी	..	..	..	627.17
19	मुडाफलां	..	..	..	1,177.54
20	नेरी	..	..	..	1,597.75
21	ढेढवा चिलौला क्षे0स0	..	..	..	..
22	सराय संघ	..	..	..	805.00
23	बांसरा	..	..	..	7,133.85
24	कुंवरपुर	..	..	..	63,629.53
25	कंटोली	..	..	..	5,298.42
26	पुरनी क्रय-विक्रय	..	..	..	1,645.63
27	कुतुब नगर क्षे0स0	..	..	..	580.40
28	एलिया क्षे0स0	..	..	..	..
29	अनौगी	..	..	..	..
30	कोरोनी संघ	..	..	..	..
31	भुड़कुडा	..	..	..	..

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

1	2	3
32 रामकोट संघ		
33 शाहपुर		
34 रेउसा		
35 महराज नगर		
36 अकबरपुर		
37 बड़ागांव		
38 लहरपुर		
39 रीछिन		
40 मुद्रासन		
41 घरनाग क्षे0स0		
42 तरीनपुर क्षे0स0		
43 मिश्रिख		
	योग ..	2,61,143.15

विधान सभा सचिवालय पटना

नत्थी 'घ'

(देखिये अतां0 प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 630 पर)

संलग्नक—1

साधन सहकारी समिति लि0, रामकोला में दिनांक 25-4-74 को बकायादारों की सूची

क्र0 सं0	बकायादार सदस्य का नाम	25-4-74 को बकाया	बकाया पड़ने की तिथि	वसूली हेतु की गयी कार्यवाही	25-4-74 के बाद हुई वसूली
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री—				
1	भगवन्त गोविन्द राव	9126.70	30-6-72	दावा उप निबंधक के यहां आर्बिट्रेटर नियुक्ति हेतु प्रेषित है ।	..
2	सूर्यभान गोविन्द राव	.. 1,200.00	30-6-72	आर्वी0 की सुनवाई हो रही है	..
3	जयराम गोविन्द राव	.. 800.00	30-6-73	.. ..	..
4	दुर्गा गोविन्द राव	.. 1,220.48	30-6-73	आर्वी0 की सुनवाई हो रही है	..
5	छेवी	.. 168.00	30-6 68	.. ..	..
6	शिव धोबी	.. 200.00	30-6-73	.. ..	..
7	बृज नरायन गोविन्द राव	.. 816.10	30-6-73	.. ..	..
8	अतर गोविन्द राव	.. 884.16	30-6-73	.. ..	..
9	प्रभन्स गोविन्द राव	.. 165.56	30-6-65	एवार्ड लिया जा चुका है	..
10	डोमई तिवारी	.. 250.00	30-6-72	" "	..
11	लालजी गोविन्द राव	.. 666.00	30-6-73	आर्वी0 की सुनवाई हो रही है	..
12	मूल गोविन्द राव	.. 945.70	30-6-72	" "	..
13	सोमी	.. 40.00	30-6-68	एवार्ड लिया जा चुका है	..

अवैध प्रकाशन विधान सभा

14	रामनाथ	..	66.00	30-6-73	आर्वी0 की सुनवाई हो रही है
15	जुगुन कुर्मी	..	1166.30	30-6-73	एवार्ड लिया जा चुका है
16	गुनई	..	132.00	30-6-73	..
17	मोहीत कमकर	..	150.00	30-6-72	..
18	नूरुद्दीन	..	59.45	30-6-68	..
19	अहमद अली	..	35.00	30-6-73	एवार्ड लिया जा चुका है
20	मिश्री यादव	..	188.50	30-6-73	..
21	रामचन्द्र गोविन्द राव	..	150.00	30-6-72	एवार्ड लिया जा चुका है
22	काशी गोविन्द राव	..	5429.75	30-6-73	आर्वी0 की सुनवाई हो रही है
23	परमेश्वर	..	116.47	30-6-70	एवार्ड लिया जा चुका है
24	रुद्र कुमार गोविन्द राव	..	148.29	30-6-73	..
25	सीताराम	..	300.00	30-6-73	..
26	बृजनारायण पुत्र ज्वाला	..	240.00	30-6-73	..
27	बंश बहादुर गोविन्द राव	..	480.00	30-6-73	..
28	दूब नाथ	..	751.80	30-6-73	..
29	गोबर	..	30.00	30-6-73	..
30	सन्हू	..	50.00	30-6-70	एवार्ड लिया गया है
31	सुखारी	..	50.00	30-6-66	..
32	काशी कुर्मी	..	1616.00	30-6-73	..
33	शंकर	..	790.00	30-6-73	आर्वी0 की सुनवाई हो रही है
34	नन्द किशोर हजाम	..	300.00	30-6-73	..
35	छट्टू हरिजन	..	92.86	30-6-73	..
36	अदालत	..	1000.00	30-6-72	..
37	राजपत	..	990.00	30-6-72	आर्वी की सुनवाई हो रही है
38	श्रीराम सिंह	..	666.00	30-6-73	..
39	रामजतन गोविन्द राव	..	7271.57	30-6-73	..

उत्तर प्रदेश सभा

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री—				
40	बम्बहादर सिंह	1359.60	30–6–72	.. ..	..
41	राम प्रताप राव	3938.50	30–6–70	एवार्ड लिया जा चुका है	..
42	किशन	553.00	30–6–72	.. ..	..
43	कन्हई	350.00	30–6–72	आर्बी0 की सुनवाई हो रही है	..
44	उदयप्रताप राव	2100.00	30–6–70	.. ..	..
45	दूधनाथ	2450.00	30–6–71	एवार्ड लिया जा चुका है	..
46	छांगुर	1846.50	30–6–72	आर्बी0 की सुनवाई हो रही है	..
47	छेदी	663.94	30–6–73	.. ..	..
48	ब्रजभूषण	617.85	30–6–73	.. ..	..
49	गोरी	35.00	30–6–64	एवार्ड लिया जा चुका है	..
50	सन्त	300.00	30–6–65	.. ..	..
51	हबीब	100.00	30–6–68	आर्बी0 की सुनवाई हो रही है	..
52	स्वामी नाथ	107.96	30–6–65	.. ..	..
53	भोला	103.62	30–6–69	.. ..	..
54	मु0 बटुला	176.55	30–6–70	.. ..	..
55	सहती	70.00	30–6–66	एवार्ड लिया जा चुका है	..
56	भोला पुत्र मुनेशर	50.00	30–6–67	आर्बी0 की सुनवाई हो रही है	..
57	दशन	153.38	30–6–68	.. ..	..
58	सूर्यभान	1415.00	30–6–72	.. ..	..
59	जोखू	148.72	30–6–67	.. ..	..
60	अलम	30.00	30–6–65	आर्बी0 की कार्यवाही हुई है	..
61	पलटू	25.00	30–6–73	.. ..	..
62	गंगा	50.00	1–4–74	.. ..	..
63	महातम	250.00	1–4–74	.. ..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

64	जगदीश	..	..	1500.00	1-4-74	..	..	..
65	श्यामबिहारी	..	..	2018.75	1-4-74	..	..	..
66	संत प्रसाद गोविन्द राय		..	1900.00	1-4-74	..	..	..
67	लाल सिंह	..	..	500.00	1-4-74	..	..	..
68	इन्द्रासन	..	..	1440.00	1-4-74	..	..	..
69	अलख बहादुर	..	..	495.90	1-4-74	..	..	..
70	मोलानन्द	..	..	400.00	1-4-74	..	..	..
71	छोटा	..	..	1833.00	1-4-74	..	..	..
72	श्री पारस	..	..	3509.25	1-4-74	..	..	..
73	राम नरेश	..	..	3287.40	1-4-74	..	..	..
74	लाल बहादुर	..	..	2467.80	1-4-74	..	..	..
75	बरोगा	..	..	574.55	1-4-74	..	..	..
76	चन्द्र बली	..	..	1420.00	1-4-74	..	..	..
77	रामप्रवेश	..	..	3210.95	1-4-74	..	..	..
78	नाग	..	..	80.00	1-4-74	..	..	..
79	भगवान	..	..	1501.59	1-4-74	..	..	..
80	मु0 कालपती	..	..	100.00	1-4-74	..	..	100.00
81	अवतार	..	..	80.00	1-4-74	..	..	..
82	रामलाल	..	..	200.00	1-4-74	..	..	..
83	सबटू	..	..	320.00	1-4-74	..	..	..
84	अलम	..	..	456.00	1-4-74	..	..	..
85	कैलाश	..	..	80.00	1-4-74	..	..	..
86	रामआज्ञा	..	..	50.00	1-4-74	..	..	..
87	जोउत	..	..	500.00	1-4-74	..	..	..
88	मसाल	..	..	250.00	1-4-74	..	..	..
89	ठाकुर	..	..	59.00	1-4-74	..	..	59.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री—				
90	छदा	150.00	1-4-74	.. .. ..	..
91	झिनकू	80.00	1-4-74	.. .. ..	..
92	ठाकुर	100.00	1-4-74	.. .. ..	
93	वेचन	1500.00	1-4-74	.. .. ..	..
94	वशराज	1597.40	1-4-74	.. .. ..	
95	सहतो	79.25	1-4-74	.. .. ..	..
96	विन्देश्वरी	25.00	1-4-74	.. .. ..	
97	दरबारी	50.00	1-4-74	.. .. ..	..
98	लक्ष्मण	65.00	1-4-74	.. .. ..	..
99	लाली	300.00	1-4-74	.. .. ..	..
100	त्रिवेनी	80.00	1-4-74	.. .. ..	..
101	फेखन	20.00	1-4-74	.. .. ..	..
102	बसन्त	300.00	1-4-74	.. .. ..	300.00
103	राजदेव	1500.00	1-4-74	.. .. ..	1500.00
104	राजनीति	2300.00	1-4-74	.. .. ..	..
105	गब्बू	100.00	1-4-74	.. .. ..	..
106	रामप्रसाद	500.00	1-4-74	.. .. ..	..
107	दुर्गा	200.00	1-4-74	.. .. ..	..
108	चनचल	200.00	1-4-74	.. .. ..	..
109	विदेशी	170.00	1-4-74	.. .. ..	..
110	सरदार	40.00	1-4-74	.. .. ..	..
111	मुटुर	80.00	1-4-74	.. .. ..	..
112	बद्रीनारायण	831.50	1-4-74	.. .. ..	..
113	समुझ लाल	100.00	1-4-74	.. .. ..	..
114	जगत बली	150.00	1-4-74	.. .. ..	..
115	केश्वर	100.00	1-4-74	.. .. ..	..
116	नजर	875.00	1-4-74	.. .. ..	875.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

117	विश्वनाथ	..	..	300.00	1-4-74	..	..	..	..
118	मु0 मुल्ला	..	..	595.90	1-4-74	..	..	..	..
119	बाबू लाल	..	..	150.00	1-4-74	..	..	..	..
120	भरत	..	..	100.00	1-4-74	..	..	..	..
121	राजकिशोर	..	..	1500.00	1-4-74	..	..	..	..
122	मेढई	..	..	80.00	1-4-74	..	..	..	..
123	कासीम	..	..	120.00	1-4-74	..	..	..	..
124	केदार	..	..	300.00	1-4-74	..	..	..	..
125	हरवंश	..	..	150.00	1-4-74	..	..	..	..
126	कमला	..	..	150.00	1-4-74	..	..	..	..
127	भगत	..	..	100.00	1-4-74	..	..	..	..
128	मु0 मरजादी	..	..	1500.00	1-4-74	..	..	..	..
129	सीताराम	..	..	1700.00	1-4-74	..	..	..	..
130	सुरेन्द्र प्रताप	..	..	1890.00	1-4-74	..	..	..	..
131	सूयभान	..	..	2090.00	1-4-74	..	..	..	..
132	शिव प्रताप	..	..	400.00	1-4-74	..	..	..	..
133	श्री प्रकाश	..	..	1816.50	1-4-74	..	..	..	..
134	देवराज	..	..	860.94	1-4-74	..	..	..	..
135	जितेन्द्र	..	..	2957.80	1-4-74	..	..	..	..
136	मु0 शिव मूर्ति	..	..	1500.00	1-4-74	..	..	..	..
137	गजेश्वर	..	..	1500.00	1-4-74	..	..	..	..
138	चरन	..	..	160.00	1-4-74	..	..	..	..
139	इस्तयाक अली	..	..	1000.00	1-4-74	..	..	..	..
140	नन्द लाल	..	..	240.00	1-4-74	..	..	..	..
141	देव नारायन	..	..	1000.00	1-4-74	..	..	..	..
142	विजय बहादुर	..	..	400.00	1-4-74	..			
143	उमा शंकर	..	..	600.00	1-4-74			..	..
		योग	.	1,19,822.70					2,834.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 8 का उत्तर पीछे पष्ठ 631 पर)

1—वर्ष 1969–70 से 1972–73 तक लगी पूंजी की स्थिति (रुपये लाखों में)

सुपर मार्केट का नाम	1969–70 तक	1970–71 तक	1971–72 तक	1972–73 तक
1—लखनऊ	19.42	20.30	26.27	26.80
2—इलाहाबाद	10.29	8.00	10.23	13.42
3—कानपुर	11.96	11.96	15.53	18.11
4—देहरादून	15.67	13.09	17.68	15.71
5—मेरठ	11.40	11.30	10.53	13.24

2—वर्ष 1969–70 से 1972–73 तक लाभह/ानि की स्थिति (रुपये लाखों में)

सुपर मार्केट का नाम	1969–70		1970–71		1971–72		1972–73	
	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
1—लखनऊ	..	2.97	..	4.26	..	1.55	..	4.11
2—इलाहाबाद	..	1.31	..	1.04	..	0.36	..	0.26
3—कानपुर	0.03	..	0.04	..	0.04	..	..	0.26
4—देहरादून	..	0.39	..	0.31	0.01	..	..	0.60
5—मेरठ	..	0.65	..	0.89	..	1.33	..	1.17

नोटः—(1) देहरादून तथा मेरठ सुपर मार्केट में संबंधित केन्द्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों (जिनका कि सुपर मार्केट एक इकाई है) के आंकड़े भी शामिल हैं।

(2) कानपुर सुपर मार्क्रेट में वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 में केन्द्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार, कानपुर के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्र0 सं0 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

संलग्नक–1

	लखनऊ दुग्ध संघ					कानपुर मिल्क बोर्ड (नवम्बर, 1969 से चालू)			
मद	1968–69	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1–कुल व्यय पर प्रशासनिक व्यय का प्रतिशत	11.7	10.3	11.2	12.0	7.5	19.8	12.1	11.3	11.6
2–लाभ (लाख रु0)	0.28	0.74	0.87	..	3.07	..	..	..	..
3–हानि (लाख रु0)	..	..	..	3.60	..	11.69	9.59	10.18	7.29

संलग्नक–2

	लखनऊ दुग्ध संघ			कानपुर मिल्क बोर्ड		
विक्रय मूल्य प्रति लीटर	धनराशि	वसा प्रतिशत	वसा रहित ठोस का प्रतिशत	धनराशि	वसा प्रतिशत	वसा रहित ठोस का प्रतिशत
1—स्टैन्डर्ड दूध ..	2.30	4.7	8.7	..	..	..
2—टोण्ड दूध ..	1.90	3.1	8.7	2.0	3.1	8.6
3—डबल टोण्ड दूध ..	1.60	1.5	9.0	1.70	1.6	9.1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 636 पर)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1974

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

1959 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं 02 में नई धारा 8-क का अन्तः स्थापन

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

नई महापालिका के गठन तक महापालिका के प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपलब्ध

"8-क—(1) जहां महापालिका का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो गया है तथा नई महापालिका का संगठन नहीं हुआ है वहां धारा 9 के अधीन नई महापालिका का सम्यक् रूप से संगठन किये जाने तक—

(क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद, विशिष्ट सदस्य और धारा 95 तथा 97 के अधीन संगठित या नियुक्त समस्त विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप समितियों के सदस्य तथा महापालिका का मुख्य नगर अधिकारी, अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे, तथा ऐसी समस्त विशेष समितियां, संयुक्त समितियां और उप-समितियां विघटित हो जायेंगी;

(ख) महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति तथा धारा 5 के खंड (ङ) के अधीन नियुक्त अन्य समितियों की तथा मुख्य नगर अधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य, तथा कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उनका प्रयोग, अनुपालन तथा निर्वहन उसके द्वारा किया जायेगा, तथा प्रशासक को विधि की दृष्टि से महापालिका, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति, विकास समिति या अन्य समितियां अथवा मुख्य नगर अधिकारी जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायेगा;

(ग) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुये, खंड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में—

(i) उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा; अथवा

(ii) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो अधिरोपित करना वह उचित समझे, उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जाने वाले किसी व्यक्ति अथवा उपखंड (i) के अधीन संगठित किसी समिति या अन्य निकाय को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(घ) प्रशासक का वेतन और भत्ता, जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों ारा नियत किये जायें, महापालिका की निधि से दिये जायेंगे ।

(2) नई महापालिका के गठन के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक निर्वाचन, उपधारा (1) के अधीन प्रशासक की नियुक्ति के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर किये जायेंगे:

परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, उक्त अवधि को विस्तारित कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा विस्तार कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक हो ।"

निरसन तथा अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1973 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

राष्ट्रपति अधिनियम, संख्या 12, 1973

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1973 के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई क्रिया इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई क्रिया समझी जायगी मानो यह अधिनियम 12 जून, 1973 को प्रवृत्त हो गया था ।

1973 का उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 3

विधान सभा सचिवालय

उद्देश्य और कारण

चार नगर महापालिकाओं, अर्थात् लखनऊ, वाराणसी, कानपुर तथा आगरा का कार्यकाल 30 जून, 1973 को समाप्त होने वाला था। नवीनतम जनगणना के अनुसार कस्बों का परिसीमन समय के भीतर पूरा न हो सकने के कारण इन महापालिकाओं के निर्वाचन नहीं किये जा सके। लोक हित में यह उचित नहीं समझा गया कि इन महापालिकाओं का कार्यकाल बढ़ाया जाये। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 में ऐसी महापालिका के प्रशासन के लिये कोई उपबन्ध नहीं है जिसका कार्यकाल समाप्त हो रहा हो और बढ़ाया न गया हो। यह आवश्यक समझा गया कि जब किसी महापालिका का कार्यकाल अथवा बढ़ाया गया कार्यकाल समाप्त हो जाये और नई महापालिका न संगठित हुई हो तो धारा 9 के अधीन नई महापालिका का सम्यक् रूप से संगठन होने तक, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद, विशिष्ट सदस्य तथा अधिनियम के संसुगत प्रबन्धों के अधीन संगठित या नियुक्त समस्त विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप समितियों के सदस्य तथा महापालिका के मुख्य नगर अधिकारी अपना पद रिक्त कर देंगे और ऐसी समस्त विशेष समितियां, संयुक्त समितियां तथा उप-समितियां विघटित हो जायेंगी और महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, कार्यकारिणी समिति तथा अन्य समितियों की सब शक्तियां, कृत्य तथा कर्त्तव्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक में निहित हो जायेंगे तथा उनका प्रयोग, अनुपालन और निर्वहन उसके द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1973 प्रख्यापित किया गया था और तत्पश्चात् उसे उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 12, 1973) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

यह विधेयक उक्त राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 12, 1973 को प्रतिस्थापित करने के लिये पुनः स्थापित किया जा रहा है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मंत्री।

संसदीय प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ 637 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) विधेयक, 1974

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

राज्य लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया का विनियमन तथा उसके कार्य-संचालन की व्यवस्था करने के लिये ·

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन

2—(1) राज्य लोक सेवा आयोग (जिसे आगे आयोग कहा गया है) का अध्यक्ष, राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से आयोग की प्रक्रिया का विनियमन करने के लिये नियम बना सकता है ।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त नियमों में आयोग के कार्यों का सुकर संपादन करने तथा उसके सदस्यों (जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है) और अधिकारियों में उक्त कार्यों के आवंटन की व्यवस्था की जा सकती है ।

(3) अध्यक्ष, यदि वह लोक हित में उचित समझे, यह निदेश दे सकता है कि उक्त नियम अथवा उसका कोई भाग प्रकाशित नहीं किया जायगा ।

आयोग के आदेशों तथा निर्णयों का प्रमाणीकरण

3—आयोग के आदेश तथा निर्णय ऐसी रीति और ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे राज्यपाल सरकारी गजट म अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रमाणीकृत किये जायेंगे, और किसी ऐसे आदेश या निर्णय की, जिसे इस प्रकार प्रमाणीकृत किया जाय, विधिमान्यता पर इस आधार पर आपत्ति नही की जायगी कि यह आयोग द्वारा दिया गया आदेश अथवा निर्णय नहीं है ।

उद्देश्य और कारण

राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिये कोई कार्य नियम नहीं है । ऐसे नियमों के न होने के कारण सभी छोटे-मोटे मामले पूरे आयोग के समक्ष निर्णय के लिये रखने पड़ते हैं । यह दुष्कर है तथा इससे आयोग के कार्य संचालन में गतिरोध उत्पन्न होता है और परिणाम स्वरूप आयोग का बहुमूल्य समय नष्ट होता है । अतएव, यह आवश्यक समझा गया कि आयोग के अध्यक्ष को इस बात के लिये सशक्त किया जाये कि वह आयोग की प्रक्रिया विनियमित करने के लिये नियम बना सके और आयोग के आदेशों तथा निर्णयों को अधिप्रमाणित करने का भी उपबन्ध किया जाय ।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) विधेयक, 1974 तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 648 पर)

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री के विरुद्ध और अधिक प्रभावी कार्यवाही करने के उद्देश्य से और उनके सम्बन्ध में अपराधों के लिये प्रतिरोधक दंड देने के निमित्त भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, दि ड्रग्स ऐन्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

अधिनियम का लागू होना

2—भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, दि ड्रग्स ऐन्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से संशोधित किया जायगा।

1860 के अधिनियम 45 का संशोधन

3—भारतीय दंड संहिता में—

(1) धारा 272 में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"आजीवन कारावास से दंडित किया जायगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा : परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

(2) धारा 273 में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"आजीवन कारावास से दंडित किया जायगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा : परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

(3) धारा 274 में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"आजीवन कारावास से दंडित किया जायगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

(4) धारा 275 में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय अर्थात्:—

"आजीवन कारावास से दंडित किया जायगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा: परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

(5) धारा 276 में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हों सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"आजीवन कारावास से दंडित किया जायगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।"

1974 के अधिनियम 2 की प्रथम अनुसूची का संशोधन

4—दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रथम अनुसूची में धारा 272, 273, 274, 275 और 276 के सामने वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः स्तम्भ 2, 3, 4, 5 और 6 में निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जांय, अर्थात्:—

"272	विक्रय के लिये आशयित खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण जिससे कि वह अपायकर बन जायें।	जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
273	खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य या पेय को, यह जानते हुये कि वह अपायकर है, बेचना।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
274	विक्रय के लिये आशयित किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाय या उसकी क्रिया बदल जाये या वह अपायकर हो जाय।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
275	किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अपमिश्रित है बेचने की	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

प्रस्थापना करना या
औषधालय से देना ।

276 किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति के रूप में जानते हुये बेचना या औषधालय से देना । — जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास या संज्ञेय अजमानतीय सेशन न्यायालय

5--दि ड्रग्स ऐन्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 में--

1940 का ऐक्ट 23 का संशोधन

(1) धारा 6 में उपधारा (1) में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अतिरिक्त परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यह निदेश दे सकेगी कि केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला और निदेशक के कृत्य उत्तर प्रदेश में क्रमशः ऐसे प्राधिकारी तथा ऐसे अधिकारी द्वारा जिन्हें राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, किये जा सकेंगे और तब इस अधिनियम में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला या निदेशक के प्रति किसी निर्देश, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ।"

(2) धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्--

"19-क--जब कोई औषधि या प्रसाधन सामग्री धारा 22 के खंड (ग) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति से इस युक्तियुक्त विश्वास से अभिगृहीत की जाय कि ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री मिथ्या छाप वाली अथवा अपमिश्रित है तो स बात को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री अभिगृहीत की गई थी ।"; सबूत का भार

(3) धारा 27 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्--

इस अध्याय के उल्लंघन में औषधियों के निर्माण, उसकी विक्री आदि के लिये शास्ति

"27-जो कोई भी स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ारा--

(क) किसी औषधि का--

(1) जो धारा 17 के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (च) या खंड (छ) के अधीन मिथ्या छाप वाली अथवा धारा 17-ख के अधीन अपमिश्रित समझी गयी हो; या

(2) धारा 18 के खंड (ग) की अपेक्षानुसार किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना, या

(ख) इस अध्याय या तद्धीन बनाये गये किसी नियम के किन्हीं उपबन्धों क उल्लं न में खंड (क) में निर्दिष्ट किसी औषधि से भिन्न किसी औषधि का विक्रय के लिये विनिर्माण, विक्रय करता है, विक्रय के लिये उसका स्टाक या प्रदर्शन करता

है अथवा उसका वितरण करता है तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जायेगा ।

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय किन्हीं विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो ।"

(4) धारा 27-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"27—क जो कोई भी स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अध्याय इस अध्याय के अथवा तद्धीन बनाये गये किसी नियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लं- उल्लंघन में प्रसाधन धन में किसी प्रसाधन सामग्री का विक्रय के लिये विनिर्माण, विक्रय सामग्रियों करता है, विक्रय के लिये उसका स्टाक या प्रदर्शन करता है अथवा के विनिर्माण, उसका वितरण करता है तो वह आजीवन कारावास से दंडनीय विक्रय आदि के होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :
लिये शास्ति

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लि , ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो ।"

(5) धारा 30 निकाल दी जाय ।

1954 के अधिनियम 37 का संशोधन

6—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में—

(1) धारा 4 में, उपधारा (2) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"परन्तु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यह निदेश दे सकेगी कि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला और निदेशक के कृत्य उत्तर प्रदेश में क्रमशः एसे प्राधिकारी तथा अधिकारी द्वारा जिन्हें राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किये जा सकेंगे और तब इस अधिनियम में केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला या निदेशक के प्रति किसी निर्देश को यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ।"

(2) धारा 16 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "इतनी अवधि के लिये, जो छः मास से कम की न होगी किन्तु जो छः वर्ष तक की हो सकती है, कारावास से और जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा दंडनीय होगा" के स्थान पर शब्द "आजीवन कारावास से डनीय होगा और जुर्माने से ी दंडनीय होगा" रख दिये जायें ।

(ख) उपधारा (1) के परन्तुक (2) में शब्द "तो न्यायालय निर्णय में वर्णनीय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिये छः मास से कम की अवधि के लिये कारावास या एक हजार पये से कम के जुर्माने अथवा छः मास से कम की अवधि के लिये कारावास और एक हजार रुपये से कम के जुर्माने, दोनों से दंडित कर सकेगा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जा , अर्थात्—

"न्यायालय निर्णय में वर्णनीय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिये ऐसे दंड से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास के ड से कम हो ।";

(3) उपधारा (1–ख) में, शब्द "छः वर्ष की अवधि के लिये कारावास से और जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा" के स्थान पर शब्द "आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" रख दिये जांय ।

(4) धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा ी जाय, अर्थात्–

"19–क जब खाद्य के लिये आशायित कोई पदार्थ धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन खाद्य निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति से इस युक्तियुक्त विश्वास से अभिगृहीत किया जाय कि वह अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला है तो यह साबित करने का भार कि खाद्य के लिये आशयित ऐसा पदार्थ अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से खाद्य के लि आशयित ऐसा पदार्थ अभिगृहीत किया गया था ।"

सबूत का भार

(5) धारा 21 के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात:––

"अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे

21––क इस अधिनियम के अधीन दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय तथा अजमान ीय होंग ।"

उद्देश्य और कारण

खाद्य पदार्थ तथा औषधियों में अपमिश्रण एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो भयंकर रूप धारण कर चुकी है । सरकार का यह विचार है कि ऐसे गम्भीर अपराधों के लिये कठोर दंड की व्यवस्था की जाय । अतएव, यह प्रस्ताव है कि इस प्रकार के गम्भीर अपराधों के सम्बन्ध में दंड को बढ़ाकर आजीवन कारावास का दण्ड कर दिया जाय और यह भी व्यवस्था की जाय कि अत्यधिक आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर ऐसा दंड देना अनिवार्य होगा । यह भी आवश्यक है कि ऐसे मामलों में सबूत के भार के लिये विशेष व्यवस्था की जाय । इस प्रकार के सभी अपराधों को संज्ञेय तथा अजमानतीय बनाने का भी प्रस्ताव है ।

2—तद्नुसार खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पुरः स्थापित किया जाता है ।

सालिग राम जायसवाल,
स्वास्थ्य मंत्री ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 649 पर)

दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

ऐक्ट संख्या 8, 1851

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में दि इंडियन टोल्स ऐक्ट, 1851 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) सका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह दिनांक पहिली अप्रैल, 1974 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

ऐक्ट संख्या 8, 1851 में नयी धारा 2—क 2—ख, 2—ग, 2—घ, 2—ङ 2—च और 2—छ का बढ़ाया जाना

2—उत्तर देश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित दि इण्डियन टोल्स ऐक्ट, 1851 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्—

निगम द्वारा बनाई गई, अनुरक्षित तथा मरम्मत की गई सड़कों तथा पुलों पर पथकर

"2—क—किसी ऐसी सड़क या पुल पर, जिसे उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सरकारी कम्पनी है (जिसे आगे निगम कहा गया है) के व्यय पर बनाया गया, अनुरक्षित या मरम्मत किया गया हो अथवा जिसे एतद्पश्चात् उक्त निगम के व्यय पर बनाया जाय, अनुरक्षित या मरम्मत किया जाय, धारा 2 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे राज्य सरकार के व्यय पर बनाई गई या मरम्मत की गई सड़कों या पुलों पर लागू होते हैं ।

निगम को पथकर आदि का प्रबन्ध तथा वसूल करने की शक्ति

2—ख—(1) धारा 2 तथा 2—क के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते ये, राज्य सरकार निगम को किसी ऐसी सड़क या पुल पर, जिसे, निगम के व्यय पर बनाया गया, अनुरक्षित या मरम्मत किया गया हो, अथवा जिसे एतद्पश्चात् निगम के व्यय पर बनाया जाय, अनुरक्षित या मरम्मत किया जाय, अथवा जिसका स्वामित्व, अनुरक्षण तथा मरम्मत राज्य सरकार द्वारा निगम को अन्तरित की गई हो अथवा एतद्पश्चात् की जाये, लगाये गये सभी पथकर का प्रबन्ध और उसे वसूल करने का प्राधिकार दे सकती है ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन निगम किसी पथकर का प्रबन्ध करने तथा उसे वसूल करने के लिये प्राधिकृत किया जाय तो राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के ारम्भ में, विधि ारा यथोचित विनियोजन किये जाने के पश्चात् राज्य की संहत निधि से, निगम द्वारा इस प्रकार वसूल किये गये और गत वित्तीय वर्ष ें सरकारी कोषागार में उसके द्वारा जमा किये गये पथकर के बराबर धनराशि निकालेगी, और उसे निगम को देगी और यह भुगतान राज्य की संहत निधि पर भारित व्यय होगा ।

पथकर के उद्ग्रहण को पट्टे पर देने की राज्य सरकार तथा निगम की शक्ति

2–ग—(1) धारा 2, धारा 2–क या धारा 2–ख में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम उक्त धाराओं के अधीन किसी सड़क या पुल पर उद्ग्रहीत पथ कर को वसूल करने का अधिकार किसी व्यक्ति को, चाहे सार्वजनिक नीलाम द्वारा या वैयक्तिक बातचीत से, एक बार में पांच वर्ष से अनधिक के लिये, ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जिन्हें, यथास्थिति राज्य सरकार या निगम उचित समझे पट्टे पर दे सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार से पट्टे की शर्तों तथा निबन्धनों को सम्यक् रूप से पूरा करने के लिये प्रतिभूत प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी, जैसी, यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम निदेश दे ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि किसी पट्टेदार द्वारा देय हो तो, राज्य सरकार की दशा में, ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत करे और निगम की दशा में, उसका प्रबन्ध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) ऐसे पट्टेदार द्वारा देय धनराशि को उल्लिखित करते हुए कलेक्टर को प्रमाण-पत्र भेज सकता है और यह अनुरोध कर सकता है कि कार्यवाहियों के व्यय सहित ऐसी धनराशि इस प्रकार वसूल की जाय मानों कि वह भू-राजस्व की बकाया हो ।

(3) प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर उसमें उल्लिखित धनराशि को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा ।

(4) उपर्युक्त किसी ऐसी देय धनराशि को वसूल करने के लिये ऐसे पट्टेदार के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा ।

पट्टेदारों तथा उन के अभिकर्त्ताओं की शक्ति

2–घ—धारा 2 या धारा 2-क के अधीन उद्गृहीत पथकर के प्रबन्ध तथा उसे वसूल करने में निगम द्वारा सेवायोजित सभी व्यक्ति और जहां पथकर को वसूल करने का अधिकार धारा 2–ग के अधीन पट्टे पर दिया गया हो तो पट्टेदार और उसके द्वारा ऐसा पथकर वसूल करने के निमित्त उसके अभिकर्त्ता के रूप में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति धारा 3 के अर्थान्तर्गत पथकर वसूल करने के लिये नियुक्त अधिकारी समझे जायेंगे और, अन्यथा की गई व्यवस्था के सिवाय, सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे सभी दायित्वों तथा आभार जिसके अन्तर्गत धारा 7 की अपेक्षानुसार पथकर-सारणी तथा शक्तियों के विवरण को प्रदर्शित करने का दायित्व है, के अधीन होंगे जो इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों के लिये हों ।

2—ङ—पट्टेदार अथवा उसकी ओर से पथ-कर वसूल करनेवाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा विहित की जाय, पथ-कर के लिय रसीद देगा जिस पर उसके यथाविधि हस्ताक्षर होंगे ।

रसीद देने का दायित्व

2—च—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी ऐसे कार्य या लोप का दोषी हो जिसके लिये इस अधिनियम में किसी अन्य दण्ड की व्यवस्था न हो, अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ।"

सामान्य शक्ति

3—मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाये, अर्थात्:—

नई धारा 9 का बढ़ाया जाना

"9—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

नियम बनाने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल 30 दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनो सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।"

विधि परिषद मुद्रण

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की है, जो एक सरकारी कम्पनी के रूप में कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत है । यह प्रस्ताव है कि ऐसी किन्हीं सड़कों और पुलों पर जो, उक्त निगम को हस्तांतरित किये जायें तथा ऐसी किन्हीं सड़कों तथा पुलों पर भी जिनका निर्माण, अनुरक्षण या मरम्मत निगम के व्यय से किया जाय । पथ कर वसूल करने का प्राधिकार निगम को दे दिया जाय । यह उपबन्ध किया जा रहा है कि उक्त प्राधिकरण के अधीन वसूल की गई सभी पथ-कर की आय निगम को अन्तरित कर दी जायेगी ।

2--यह भी आवश्यक समझा जाता है कि राज्य सरकार तथा निगम को पथ-कर वसूल करने के अधिकार को पट्टे पर देने की शक्ति दी जाय । ऐसे पट्टेदार द्वारा राज्य सरकार या निगम को संदेय कोई धनराशि भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी । तद्नुसार, इंडियन टोल्स ऐक्ट, 1851 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

3--इस अवसर का लाभ कतिपय अन्य औपचारिक सामान्य प्रकार के संशोधन करने के लिये भी उठाया जा रहा है ।

4--तद्नुसार, दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पुरः स्थापित किया जाता है ।

लक्ष्मी शंकर यादव,
सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी0 एस0 यू0 पी0-ए0 पी0-63 वि0 सभा—(1035)—1974—835 (हिन्दी) ।